खण्ड-449, अंक-5
बुधवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1926
(28 जुलाई, 2004 ई0)

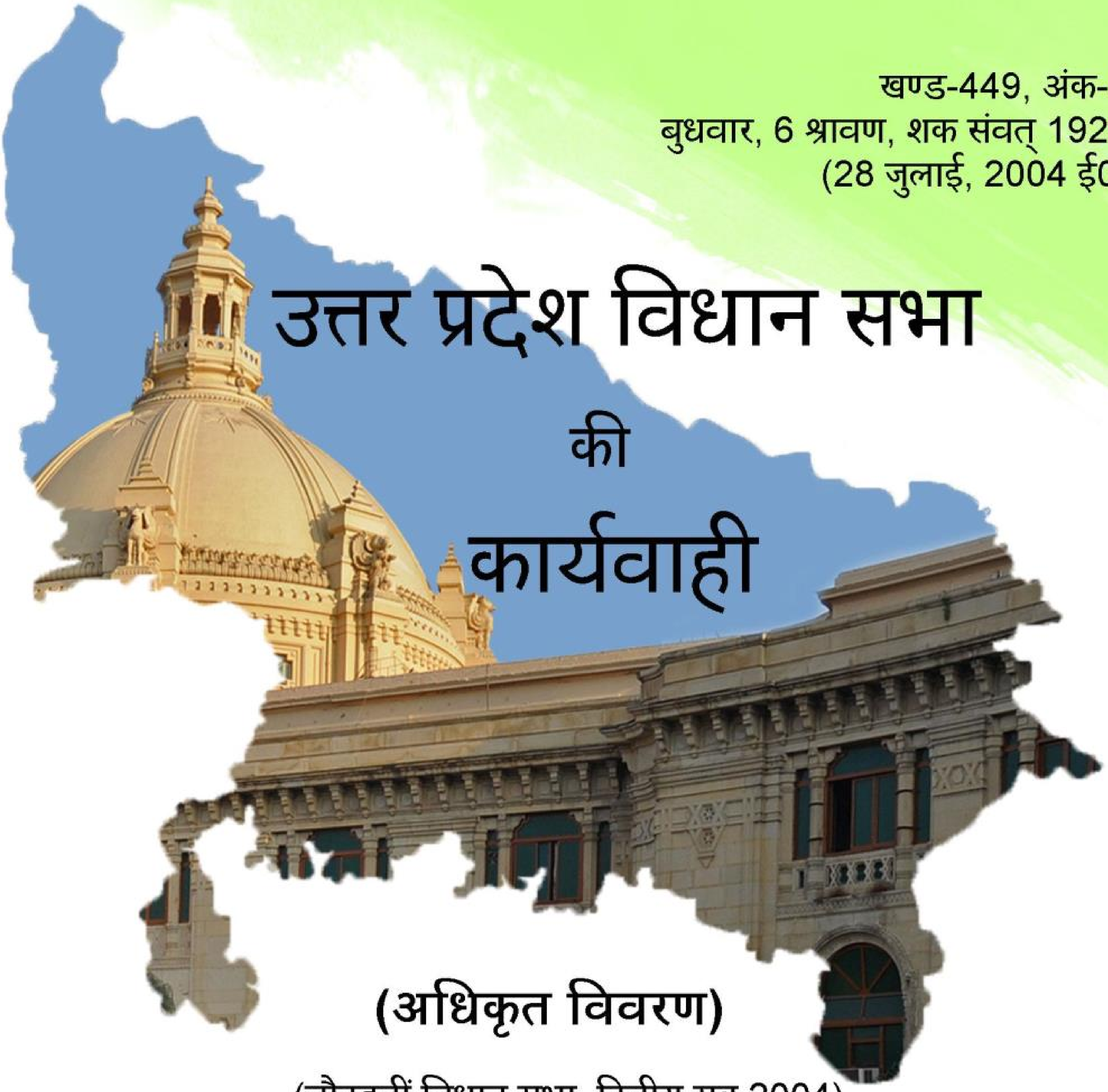

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 449 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-छ
दिनांक 27 जुलाई, 2004 को नेता विरोधी दल के बोलने के लिये खड़े होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान डाले जाने सम्बन्धी कृत्य पर मांफी मांगे जाने की मांग	1
विगत कई दिनों से सदन में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होने पर नेता विरोधी दल आदि अन्य दलीय नेता द्वारा व्यक्त की गयी चिन्ता	1-4
प्रश्नोत्तर	4-73
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-130 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	73
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	73-74
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	74
जनपद झांसी की तहसील गरौठा एवं मोठ के अन्तर्गत एरच एवं सलेनापुर क्षेत्र में हो रहे अवैध बालू खनन को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
सदर चिकित्सालय, आजमगढ़ में कुत्ते काटने की सुई (एन्टी रैवीज टीका) उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	75
बस्ती के नगर पूर्व क्षेत्रान्तर्गत कुआनो नदी के गौरा घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पलियां खुर्द में श्री हरि ओम मौर्य की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत की जांच कराकर मृतक परिवार को मुआवजा दिये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	75-76
जनपद झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्रान्तर्गत नैफेड़ एजेन्सी द्वारा किसानों से चना खरीदने में की गई धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत बेसों नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
मेरठ महानगर में पेयजल संकट समाधान के लिये बन्द पड़े तीन ट्यूबवेल्स को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
प्रतीक्षा सूची में से नियम-301 की सूचना को लिये जाने का अनुरोध ...	77

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	77-78
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	78
संविधान के 97वें संशोधन के अन्तर्गत मंत्रि-मंडल से हटाये गये मंत्रियों को विभिन्न निगमों/बोर्डों में समायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न	78-81
नियम-301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं का उत्तर निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त न होने पर औचित्य का प्रश्न	81-82
प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशन होने के उपबन्धों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न ...	82-85
सदन में उत्पन्न अव्यवस्था पर औचित्य का प्रश्न	85
जनपद वाराणसी में हो रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न की सूचना	86-88
श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा कांग्रेस जनों के प्रति असंसदीय शब्दों का प्रयोग किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	88-89
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	89-90
सदन में की गई घोषणा के अनुरूप प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर 100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	90
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	90
सदन में की गई घोषणा के अनुरूप प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर 100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	90
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	90-91
उत्तर प्रदेश द्वितीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती) राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय का प्रतिवेदन, 2001-2006 प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड (परिशिष्ट) तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) (वर्ष 2001-2006) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन- (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 28 फरवरी, 2003 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	91

विषय				पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक 2004 (पुरःस्थापित)			...	91-92
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित)			...	92
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	...	...	...	92-93
दिनांक 28 फरवरी, 2003 को विधान सभा में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने के प्रस्ताव पर व्यवस्था का प्रश्न		...	...	93
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं				93
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (पारित)		...	...	93-130
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	130-132
श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री आर0 के0 शर्मा, थानाध्यक्ष तथा जय किशोर त्यागी सिपाही, थाना-मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना	...	...	...	132
नत्थियां	...	...	...	133-145

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-349

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थ नगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अशोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर

ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्धनगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्धनगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रार्गी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फर्सीहा वर्शार, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बा[illegible]ाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भ[illegible] सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाज़ियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह,	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुंशी लाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शर्फार, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फर नगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ	
राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला, "भगत राजा"	ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शर्ब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फेरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुक्म सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री), श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री), श्री बनवारी सिंह यादव (प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री) तथा श्री अजीत कुमार राजू (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 27 जुलाई, 2004 को नेता विरोधी दल के बोलने के लिए खड़े होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान डाले जाने सम्बन्धी कृत्य पर मांफी मांगे जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 के अन्तर्गत ....

(इस बीच श्री भरत सिंह, श्री राम इकबाल सिंह, डा0 विनोद तिवारी, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री सतीश महाना, तथा चौधरी मस्त राम के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और नेता विरोधी दल के खड़े होकर बोलने पर सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान डाले जाने के कृत्य पर मांफी मांगे जाने की मांग करते हुए नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जायें नेता विरोधी दल भी खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरा आग्रह है कि आप इन लोगों को वापस बुलायें।

(भारतीय जनता पार्टी के वेल में आये हुये सदस्यगण नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, क्या कह रहे हैं ?

माननीय सदस्यगण, आपसे मेरा अग्रह है कि बिजली के बारे में आपने कहा, उस पर चर्चा निधारित है, लेकिन आपसे इतना आग्रह है कि अपनी सीटों पर आप लोग जायें। माननीय प्रमोद कुमार ने प्रस्ताव किया है, श्याम सुन्दर शर्मा ने प्रस्ताव किया है।

(भाजपा के सदस्यगण सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे)

माननीय टण्डन जी आप इन लोगों को समझाइये, आप कुछ कहना चाहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

(भाजपा के सदस्यों के नारेबाजी करते रहने तथा सदन के वेल से वापस न जाने पर)

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11 बजकर 35 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 11 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक और बढ़ा दिया है। 12 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

विगत कई दिनों से सदन में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होने पर नेता विरोधी दल आदि अन्य दलीय नेताओं द्वारा व्यक्त की गयी चिन्ता

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, सदन में तो तीन दिन तक जिस तरह की अव्यवस्था रही है वह लोकतंत्र के लिए कोई शुभ नहीं है। लेकिन जब सारा प्रदेश दर्द से कराह रहा हो तो उन समस्याओं को लेकर उन

विषयों को लेकर हमने नोटिसें दीं हम उन पर चर्चा कराना चाहते थे, जो नहीं हो सकी। सदन में जो कुछ हुआ उसको हम हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सदन अपनी बात कहने के लिए है। यहां ऐसा वातावरण रहा कि हम अपनी बात नहीं कह पाए। सरकार का और आपका दायित्व है कि जो मैंडेट है उसका पालन हो। जब सदन अव्यवस्थित होता है तो सरकार का काम पूरा करने में आप उसकी मदद करते हैं यह आपका कर्तव्य है कि सरकार का काम रुकने न पाए दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज रुक न सके उसको भी संरक्षण देना होगा। कहीं न कहीं व्यतिक्रम हुआ जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई। मैं हृदय से इस पीठ के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आपको आश्वासन देना चाहता हूं मैंने पहले भी कहा था अब उसको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है ऐसी स्थिति न हो अगर ऐसी स्थिति होती है, तो नियमानुसार जो कार्यवाही करेंगे, जो निर्देश देंगे, हमारा दल उसका पालन करेगा। अगर पीठ के प्रति कोई असम्मान की बात मेरी तरफ से हुई हो, तो उसके लिए खेद है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। हम पीठ के प्रति सदैव सम्मान बनाए रखना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो पूर्व से आपसे यह अनुरोध रहा है कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले उसी में हम सब का हित है क्योंकि हम सब प्रदेश के नुमाइन्दे हैं सभी की अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में जवाबदेही के साथ पूरे प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही रहती है। इसलिए हम सभी लोगों की यह सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी प्रदेश की ज्वलंत समस्याए हैं उन सब पर इस सदन में विधिवत् चर्चा होनी चाहिए चर्चा इसलिए होनी चाहिए जिससे सरकार के संज्ञान में वह समस्याएं आ जाएं और उन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए सरकार उन समस्याओं का निराकरण करने का कार्य करें और माननीय अध्यक्ष जी के सामने सरकार अपनी वचनबद्धता जाहिर करे। सदन का मतलब इसीलिए होता है लेकिन जिस तरह से चार दिनों तक सदन लगातार बाधित रहा चाहे किसी भी कारण से हो उसमें हम नही जाना चाहते लेकिन चार दिन तक किसी एक का नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक नुकसान होता रहा और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों-करोड़ रुपया सदन के संचालन में खर्च होता है, उसका भी एक तरह से अपव्यय होता रहा है। विपक्ष अपनी भूमिका प्रजातांत्रिक ढंग से, जोरदार तरीके से निभाने में विश्वास करता है और यह तब ही सम्भव हो सकता है जब सदन सुचारु रूप से चलें जब सदन ही नहीं चलेगा तो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर खतरा आ जायेगा। मान्यवर, हम इसीलिये आपको कि आपने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करके एक सद्भाव का वातावरण पैदा किया और व्यवस्थित ढंग से सदन चलाने के लिये आपने जो माहौल पैदा किया, उसके लिये आपको धन्यवाद देते हैं और बधाई देना चाहते हैं। इसी के साथ-साथ हमको पूरा विश्वास है कि आपके संरक्षण में सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष का भी प्रचुर सहयोग आपको प्राप्त होता रहा है। विपक्ष को विशेषकर मान्यवर, आपके संरक्षण की आवश्यकता होती है सत्ता पक्ष को संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह तो सत्ता में होते हैं। सदन के अन्दर विपक्ष को आपके संरक्षण की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिये हमें पूरा विश्वास है कि आपका संरक्षण हमें प्राप्त होगा और पूरे का पूरे सदन व्यवस्थित ढंग से चलेगा और इस प्रदेश की समस्याओं को सदन के पटल पर आने में आप अपना संरक्षण हमको प्रदान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कहते हैं कि 'देर आए दुरुस्त आए'। चार दिन बाद मैं यह नहीं कह रहा हूं कि [***] मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी संसदीय शब्दों का ही ज्यादा प्रयोग करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, भाई ने भाई को पहचाना।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने तो इनको सही पहचाना इन्होंने मुझको गलत पहचाना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनको किसी ने नही पहचाना कि यह इधर हैं कि उधर हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सभी दलों के नेताओं को बुलाकर गम्भीरता से सदन को चलाने की अपनी मंशा जाहिर की और जैसी प्रशंसा लोगों ने आपकी पहले दिन की थी। आज आपने उसका सही दृष्टिकोण और सही रास्ता निकाल दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदन में शांति रहे और सदन व्यवस्थित तरीके से चले। हम लोग सदन में इसीलिये आते हैं कि जन भावनाओं को यहां रख सकें। जन भावनाएं कभी कड़वी होती हैं तो कभी मीठी होती हैं। कभी अच्छी होती हैं तो कभी आलोचनात्मक। इनको सरकार से कहने का तात्पर्य यह होता है कि सरकार इन पर ध्यान देगी, जनता के जो दुःख दर्द हैं उनका निदान करेगी। मैं पिछले 3-4 दिन का उल्लेख नहीं करना चाहता। सदन की कार्यवाही के संचालन में 2 लाख रुपये प्रति मिनट के हिसाब से कितने करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इन बीते 3 दिनों में हम कानून-व्यवस्था पर चर्चा कर सकते थे, कुछ अपने सुझाव दे सकते थे। बिजली के संकट से पूरा प्रदेश जूझ रहा है; हम वस्तुस्थिति सरकार को बता सकते थे, हम सुझाव दे सकते थे कि कैसे इन परिस्थितियों से निकला जाय। लाखों छात्र प्रवेश के लिये दर-दर भटक रहे हैं। हम इस विषय पर भी बात कर सकते थे। तीन दिन को खो कर हमने अपने लिये अच्छा किया होगा लेकिन हमने जनता के साथ विश्वासघात किया है यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। आज आपने जो सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करके सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चलाने का जो निर्णय लिया है उसके लिये मैं आपके प्रति, नेता प्रतिपक्ष के प्रति, नेता बहुजन समाज पार्टी के प्रति और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, अन्त में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हर रोज कोई न कोई मुद्दा आ सकता है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा हो उसको लिया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार आ जायेंगे, हम अपनी बात कह सकेंगे और सरकार को भी अवसर मिलेगा कि वो अपना स्पष्टीकरण दे

नोट :-[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सके। हमको केवल कहना ही नहीं है, सुनना भी है। एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक रास्ता खोजा। देर से ही सही, लौट कर आए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी इन्होंने जिस तरह से अपने मन की बात रखी है मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं लेकिन यह भी सही है कि इन तीन दिनों में जो माहौल रहा उससे किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर हुआ है जहां तक सरकार की मंशा और सरकार की कार्य-प्रणाली है वह चाहती है कि मुद्दों पर बहस हो, कानून-व्यवस्था पर,बिजली के सवाल पर, छात्रों की समस्या पर, बहस हो, सरकार संवेदनशील है सरकार कार्यवाही करती रही है, आज भी कर रही है, आगे आने वाले दिनों में भी कार्यवाही होगी। सरकार जवाबदेही करेगी। नेता सदन ने सदन में अपनी इस इच्छा को पूरी ताकत के साथ रखा है, उस दिन भी इच्छा जाहिर की थी सदन में बहस हो किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी। हालांकि लोकतंत्र की प्रजातंत्र की इस व्यवस्था को बचाए रखने के लिए धन कोई मायने नहीं रखता है मिसाल दी है कि दो लाख रुपये खर्चा होते हैं, तो बहुत बड़ा प्रदेश है 100 करोड़ जनता का देश है, प्रदेश है, धन के खर्चे से लोकतंत्र बच जाए, पैसे के खर्चे से प्रजातंत्र बच जाए यह हमारे लिए बड़ा घाटा नहीं है गरीब के पैसे का घाटा है। लोकतंत्र की व्यवस्था कमजोर होगी तो जनता हाथ पैर से अपाहिज हो जाएगी, कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारे शरीर का एक अंग भी काम कर रहा है तो शरीर को स्वस्थ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ हम सभी नेताओं की ख़्वाहिश का स्वागत करते हैं कि सदन चलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बैठक में हिस्सा लेने और शान्तिपूर्ण माहौल से हिस्सा लेने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही अपेक्षा करता हूं सदन को भविष्य में चलाने के लिए सारे तथ्यों को सदन के पटल पर लाने के लिए आप सभी पूरा सहयोग करेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मेरठ में पशुवधशाला को आबादी से बाहर स्थानान्तरण की मांग

**1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित/चल रहे कमेलों को आबादी से बहुत दूर स्थापित करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या मेरठ की पशुवधशाला को आबादी से बाहर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

इस सम्बन्ध में भूमि अर्जन की कार्यवाही चल रही है। भूमि अर्जन के उपरान्त वधशाला का निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होते ही वधशाला का स्थानान्तरण किया जाना सम्भव हो सकेगा, जिसमें समय लगने की सम्भावना है। अतः किसी समयावधि का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मैंने पूछा था क्या नगरीय क्षेत्रों में स्थापित पशु वधशालाओं को कहीं अन्यत्र खुले स्थान पर करने का विचार करेंगे ? सरकार का उत्तर है कि जी नहीं, मैं जानना चाहता हूं सरकार ने उत्तर दिया, जी नहीं, तो क्या पशु वधशालायें जो शहर के बीच-बीच में स्थित हैं जो वहां के रहने वाले निवासियों के लिए उनके स्वास्थ्य के बारे में सिरदर्द बनी हुई हैं, जन स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको किसी अन्यत्र खुले स्थान पर स्थानान्तरण करें ? अगर सरकार का उत्तर सही है तो आगरा और कानपुर की वधशालाओं को शहर से बाहर करने की प्रक्रिया क्यों चल रही है ? क्या पशु वधशालायें शहर के बीच होना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन नहीं है ? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है क्या उसका पालन करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन होगा या नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अवश्य होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरठ में भूमि अर्जन की कार्यवाही चल रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक भूमि अर्जन की जो प्रक्रिया है, दिनांक 02-06-2001 को धारा 46 और धारा 17 की कार्यवाई हो चुकी है। यह कार्यवाई आप कब तक पूरी करा देंगे ?

अल्पसंख्यक एवं हज राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (हाजी याकूब)-

मान्यवर, माननीय सदस्य पशु वधशाला ....

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी, जवाब दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सही है कि बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पशु वधशालाएं आबादी के अन्दर हैं, घनी आबादी के अन्दर हैं और उन्हें शहरों से हटना चाहिए। लेकिन बहुत से कारण हैं जिसकी वजह

से नहीं हट पा रही हैं क्योंकि बहुत सी वधशालाओं को हटाने से एक नई समस्या खड़ा हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरठ का मामला है, वह प्रोसेस में है और बहुत ही जल्दी उसको पूरा कर लिया जाएगा।

सवर्ण गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के निर्धारित मानक

**2-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सवर्ण गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीतिगत फैसला लिया गया है ? यदि हां, तो सवर्ण गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कितने धन का प्राविधान किया गया है एवं छात्रवृत्ति देने के क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हां।

सवर्ण गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु रु0 162.94 करोड़ का प्राविधान किया गया है एवं प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों, जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रु0 19884 (ग्रामीण क्षेत्र) तथा रु0 25546 (शहरी क्षेत्र) हो, के छात्र/छात्राओं को, जो पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, को अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं की भांति छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं दरों एवं शर्तों पर अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि छात्रवृत्ति देने के लिए मानक क्या तय है और साथ ही साथ गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था है, उसको तय कौन करेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय मौर्य जी बहुत ही योग्य सदस्य हैं। इनको शासन में भी रहने का मौका मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जवाब को इन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। मेरे उत्तर में स्पष्ट रूप से है कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनका मानक क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

उत्तर में आ गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है, मान्यवर।

तारांकित प्रश्न

जनपद वाराणसी में विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन की मांग

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 100 करोड़ रुपये की परियोजना त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त परियोजना का कार्यान्वयन कब तक हो जायगा ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

वाराणसी नगर की विद्युत प्रणाली में वृद्धि एवं सुधार हेतु त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना को स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत योजना की धनराशि रुपये 83.96 करोड़ है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों एवं क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। योजना में दर्शाये गये कार्यों को लक्ष्यों के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, वाराणसी नगर की विद्युत प्रणाली में वृद्धि एवं सुधार हेतु त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना को स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत योजना की धनराशि रुपये 83.96 करोड़ है। योजना में प्रस्तावित कार्यों एवं क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। योजना मे दर्शाये गये कार्यों को लक्ष्यों के अनुसार पूर्ण कराया जाएगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, काशी का जो महत्व है उसको देखते हुए सरकार से मेरी अपेक्षा है कि इन कार्यों को गति प्रदान की जाये और दूसरा यह मैं जानना चाहता हूं मेरा विधान सभा क्षेत्र जो काशी का हृदय है उसके लिए त्वरित विद्युत सुधार प्रणाली में कौन-कौन सी योजनाएं ली गयी हैं ताकि जनता जान सके कि वहां क्या-क्या कार्य होने हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रश्न किसी विधान सभा क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे बनारस जनपद के सम्बन्ध में पूछा गया था। पूरी योजना 83.96 करोड़ की है इसकी टेण्डर प्रक्रिया हो गयी है और मार्च, 2005 तक कार्य पूरा हो जाएगा।

प्रदेश में बढ़ते हुए कुष्ठ रोग को रोकने के उपाय

*2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस रोग को रोकने के कोई उपाय किये जा रहे हैं, यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

नोट :-नत्थी 'ख' ता0 प्र0 सं0 1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश में कुष्ठ रोग के निवारणार्थ राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम संचालित है, जिसके अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों की खोज, खोजे गये रोगियों का 6 से 12 माह नियमित उपचार प्रदान कर रोग मुक्त करने एवं प्रशिक्षण तथा जनमानस में जागरूकता लाने हेतु आई0 ई0 सी0 कार्यक्रम के साथ-साथ विकलांग कुष्ठ रोगियों की विकलांगता निवारण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगरीय मलिन बस्तियों, श्रमिक कालोनियों तथा अन्य जन समूह में छिपे हुए कुष्ठ रोगियों की खोज एवं उपचार हेतु एक योजना तथा भौगोलिक रूप से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सफल योजना चलाकर समाज में छिपे हुए कुष्ठ रोगियों की खोज एवं उपचार का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2004-05 तक कुष्ठ रोग के निवारण का स्तर अर्थात् 01 रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट उत्पादन लागत तथा इसके वितरण लागत के निर्धारण की योजना

*3-श्रीमती विमला राकेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत कितनी है और उपभोक्ताओं को किस दर पर उपलब्ध करायी जा रही है ? क्या सरकार विद्युत उत्पादन की लागत और उसके वितरण लागत में तार्किक अनुपात निर्धारित करने की कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जल विद्युत की औसत प्रति यूनिट उत्पादन लागत 44 पैसे तथा तापीय विद्युत की संयुक्त रूप से वर्षवार पर 144.28 पैसे है।

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों की सूची संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं यथा औद्योगिक, व्यवसायिक, कृषक, घरेलू बत्ती एवं पंखा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक आदि जिनकी भुगतान क्षमता भिन्न-भिन्न है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता के आधार पर विद्युत दरों का निर्धारण किया जाता है। अतः प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता के लिए समान विद्युत दर निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। समग्रता में विद्युत दरें तार्किक हैं।

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 133-134 पर।

प्रदेश में सिंचाई हेतु निजी नलकूपों के विद्युत कनेक्शनों को त्वरित निस्तारण हेतु कार्य योजना

*4-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि असिंचित कृषि क्षेत्रों में किसानों द्वारा स्थापित किये गये निजी नलकूपों के विद्युत कनेक्शनों को प्राप्त करने में अत्यधिक समय लग जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदेश में सिंचाई हेतु निजी नलकूपों के लम्बित बी0 एल0 फार्मों के त्वरित निस्तारण हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। प्रत्येक वर्ष निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2003-2004 में पांच हजार निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा रहा है, आगे के वर्षों में अवशेष के ऊर्जीकरण का कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा।

प्रदेश में अन्धता निवारण हेतु विशेष कार्य योजना

*5-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अन्धता निवारण हेतु सरकार ने कोई विशेष कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशन, नेत्र परिचर्या, स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल नेत्र शिविर तथा दृष्टिदोष से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क चश्मे का वितरण आदि सम्मिलित है।

लागू नहीं होता।

पुष्टाहार एवं अन्य वितरण सामग्री की क्रय नीति

* 6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुष्टाहार तथा अन्य वितरण सामग्री की क्रय नीति क्या है ? क्या मई, 2002 से अब तक पुष्टाहार आदि का क्रय विभाग द्वारा

बिना टेण्डर मांगे कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराते हुए दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

पुष्टाहार एवं अन्य वितरण सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करके किया जाता है।

वर्ष 2002 के बाद एवं वर्ष 2004 से पूर्व पुष्टाहार हेतु आमंत्रित निविदाओं को कतिपय कारणों से अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपरिहार्य परिस्थितियों में लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराये जाने की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत लिये गये उच्च स्तरीय निर्णय के क्रम में पूर्व निर्धारित शर्तों पर पुष्टाहार की आपूर्ति ली गयी। पुनः नये टेण्डर आमंत्रित कर फरवरी, 2004 से एमलाइज रिच एनर्जी फूड की आपूर्ति ली जा रही है।

निदेशालय द्वारा योजना के सम्यक् संचालन हेतु मेडिसिन किट्स, प्री स्कूल किट्स एवं कार्यालय के उपयोग हेतु स्टील अलमारी आदि का क्रय समय-समय पर शासन की नीति के अन्तर्गत निर्गत किये गये शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, लखनऊ एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लि0 से किया गया है।

पुष्टाहार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच समाज कल्याण आयुक्त से करायी गयी। यह जांच आख्या शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थपित करने हेतु योजना

*7-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के मानकों के अनुसार 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना का प्राविधान है।

प्रदेश में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के लिये किये गये प्रयास

*8-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश में विद्युत उत्पादन मांग से कितना कम है ? सरकार द्वारा मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में कितने नये विद्युत सब-स्टेशन बनाने के लिये संविदा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तथा उन पर कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? रोजा थर्मल पावर स्टेशन पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तमान में प्रदेश में विद्युत उत्पादन मांग से लगभग 4200 मे0वा0 कम है।

(अ) केन्द्रीय सेक्टर के विद्युत गृहों से लगभग 2800 मे0 वा0 विद्युत आयात की जा रही है।

(ब) नये विद्युत गृहों की स्थापना, मौजूदा विद्युत गृहों की क्षमता वृद्धि एवं जीर्णोद्धार करके विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के अन्तर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संलग्न-"क" के अनुसार है।

परियोजना के विकासकर्ता के अनुसार निर्माण कार्य सितम्बर, 2004 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ट 135-139 पर।)

जनपद बागपत के निजी नलकूप हेतु कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

*9-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बागपत के विद्युत वितरण खण्ड बड़ौत एवं बागपत में हजारों कृषकों द्वारा निजी नलकूप के विद्युतीकरण किये जाने सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए कनेक्शन हेतु एस्टीमेट की धनराशि लगभग एक वर्ष पूर्व जमा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या कृषकों के नलकूप को ऊर्जीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद बागपत में दिनांक 31-3-2004 को 1039 निजी नलकूप कनेक्शन ऊर्जीकरण हेतु लम्बित थे, जिनमें एस्टीमेट की धनराशि जमाकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी थी।

जी नहीं।

विगत वर्ष जनपद बागपत हेतु 30 कनेक्शन सामान्य योजनान्तर्गत निर्गत किये जाने का लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त माह जुलाई, 2004 में 100 निजी नलकूप कनेक्शन निर्गत करने का अतिरिक्त

लक्ष्य है। सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 के लक्ष्य अभी विचाराधीन है। लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप 2004-05 में ऊर्जीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

के0 जी0 एम0 सी0, लखनऊ में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की जांच

*10-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि क्या के0जी0 एम0सी0 (वर्तमान-के0जी0 चिकित्सा विश्वविद्यालय) में वर्ष 1992 से 1999 में कर्मचारियों को शासन की स्वीकृति के बिना उच्चतर वेतन अनुमन्य किये जाने से राजकोष को हुयी रु0 एक करोड़ सत्रह लाख की धोखाधड़ी सम्बन्धी जांच आदेश संख्या-एस-2-307/दस-133(2)1/99,दिनांक 9-2-2000 वित्त (संवाये अनु0-2) और प्रशासनिक विभाग तथा सर्तकता विभाग द्वारा जांच करायी गयी थी ? क्या विशेष आडिट व जांच में अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

(क) निदेशक, अधिष्ठान ब्यूरो के पत्रांक-ब्यूरो-138/दस-5 (आडिट जांच)/2000, दिनांक 30 मार्च, 2001 द्वारा प्रेषित आडिट रिपोर्ट में रुपये एक करोड़ सत्तरह लाख के अधिक का भुगतान का उल्लेख किया गया था। उक्त भुगतान धोखा-धड़ी न होकर शासनादेश को परिभाषित करने में चूक होने से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण हुआ था जिसमें से अधिकांश मामलों में वसूली की जा चुकी है और कतिपय मामलों में वसूली की जा रही है तथा कतिपय प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण वसूली स्थगित है।

(ख) अधिक भुगतान शासनादेश को परिभाषित करने में चूक होने से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण हुआ था किन्तु संज्ञान में आते ही इसका निराकरण कर लिया गया, चूंकि इस प्रकरण में किसी प्रकार की धोखा-धड़ी करके अधिक भुगतान नहीं किया गया है, अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है तथा किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का आधार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप लगाने पर रोक

*11-श्री सुखदेव राजभर, श्री ओ0 पी0 सिंह तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप लगाने पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में शुल्क निर्धारण

*12-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में चल रहे निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों से लिया जाने वाला शुल्क निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे राजकीय चिकित्सालयों के अनुरूप निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में बेरोजगार विकालांगों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार

*13-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार प्रदेश के बेरोजगार विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा में ताज ट्रिपोजियम योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

1-डा0 यशवन्त सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपोजियम योजना, जनपद आगरा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 20 कि0 मी0 की परिधि में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा पड़ा है और सरकारी सामग्री का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के सबसे बड़े विद्युत बकायेदारों का विवरण एवं वसूली की मांग

3-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सबसे बड़े 20 विद्युत बकायेदार कौन-कौन हैं ? उनके बकाये की वसूली हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार वसूली में ढिलाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश के 20 सबसे बड़े बकायेदारों के नाम निम्नवत् हैं :-

1-मे0 आई0आई0एल0लि0, पनकी, कानपुर

2-सोमानी आयरन एण्ड स्टील्स लि0

3-मोदी थ्रेड, मोदीनगर

4-राज रतन कास्टिंग

5-परेरहट स्टील

6-रिमझिम इस्पात

7-मोदी स्पिनिंग व विविंग मिल

8-राम श्री स्टील

9-मोदी इण्ड (स्टील से0) रोलिंग इ0

10-विजय इस्पात

11-राठी इस्पात, गाजियाबाद

12-डाला टाउन कालोनी सोनभद्र

13-मीनाक्षी कास्टिंग

14-गरिमा फैरो एलायज

15-शिवांगी स्टील

16-रामचरन स्टील

17-महाराष्ट्रा स्टील मिल्स

18-बीनस लोहा

19-रीयल सीमेण्ट-उरई

20-सरस्वती स्टील

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वसूली हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है :—

1-विद्युत विच्छेदन

2-धारा-3, धारा-5 नोटिसें जारी की जा रही हैं।

3-न्यायालय में विवादित मामलों की पैरवी सक्रियता से की जा रही है।

कोई अधिकारी दोषी नहीं पाये गये हैं, अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी में 33/11 के0वी0 भदैनी उपकेन्द्र की पुरानी केबिल बदलने का कार्य

4-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के0वी0 भदैनी उपकेन्द्र की 33 के0वी0 लाइन में लगा हुआ खराब केबिल बदलने हेतु आगणन पैकेज बनाये जाने एवं उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक 20 जनवरी, 04 क्या प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

33/11 के0वी0 भदैनी उपकेन्द्र की 33 के0वी0 लाइन में लगा हुआ पुराना तथा कम क्षमता का केबल बदलने हेतु आगणन स्पेशन एम0 एण्ड आर0 अन्तर्गत स्वीकृति किया है तथा कार्य माह मई, 2004 में पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में 33/11 के0वी0 भदैनी उपकेन्द्र हेतु 132 के0वी0 स्विचयार्ड से सुन्दरपुर पेट्रोल पम्प तक बाईपास लाइन की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग

5-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भदैनी 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र हेतु 132 के0वी0 स्विचयार्ड से सुन्दरपुर पेट्रोल पम्प तक बनी हुई बाईपास लाइन द्वारा आपूर्ति होने वाली विद्युत की व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक 20 जनवरी, 04 क्या प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

33/11 के0वी0 भदैनी उपकेन्द्र हेतु 132 के0वी0 स्विचयार्ड से सुन्दरपुर व पेट्रोल पम्प तक की हुई बाईपास लाइन द्वारा आपूर्ति होने वाली विद्युत लाइन को सुदृढ़ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण निर्माण निगम में वित्तीय अनियमितता की सर्तकता जांच

6-श्री आर0 पी0 एन0 सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग की कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम में एक सौ तिरासी करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला माह जनवरी, 2004 में प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रकरण की विभागीय एवं सर्तकता जांच करायी जा रही है एवं जांच के परिणामों के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी नगर की विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु प्रस्तावित योजना

7-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में नगर की विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु विद्युत कार्य मण्डल, वाराणसी द्वारा प्रस्तावित योजना (प्रथम चरण) वर्ष 2002-2003 की कार्य योजना को कारपोरेशन स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ? उक्त कार्यों को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वाराणसी नगर की विद्युत प्रणाली में वृद्धि एवं सुधार हेतु त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत ए0पी0डी0आर0पी0 योजना को स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत योजना की धनराशि रुपये 8396.41 लाख है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों एवं क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने पर कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने पर।

लखनऊ की टिकैत राय सचिवालय कालोनी के कतिपय आवास संख्या में लगे विद्युत संयोजन की तिथि एवं उस पर बकाया विद्युत बिल की जानकारी

8-श्री अशोक सिंह चौहान-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-28 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आवास संख्या-2/309, 2/310 व 2/312 में विद्युत संयोजन किस तिथि को लिया गया तथा उनका मीटर नं0 क्या है ? उक्त आवासों में आवंटन की तिथि से आज तक कितना विद्युत बिल अवशेष है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

टिकैतराय सचिवालय कालोनी में आवास सं0-2/309 में विद्युत संयोजन दिनांक 8-7-1993 को 2/310 में दिनांक 9-2-2004 को तथा 2/312 में दिनांक 1-3-2004 को विद्युत संयोजन दिया गया है। आवास सं0-2/309 में मीटर सं0-यू0ई0-4160, आवास सं0-2/310 में मीटर सं0-डब्ल्यू जे0 1412 तथा आवास सं0-2/312 में मीटर सं0-डब्ल्यू आई 8247 लगाया गया है।

आवास सं0-2/309 में रु0 24956.00 बकाया है। आवास सं0-2/310 एवं 2/312 में आवंटन की तिथि से कोई देय नहीं है।

9-श्री श्याम देव राय चौधरी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

इण्डियन रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा वाराणसी में व्याप्त अनियमितताओं सम्बन्धी पत्र

10-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा, वाराणसी में व्याप्त अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच एवं वैधानिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का 8 सूत्रीय पत्र दिनांक 8-12-2003 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गोमती नगर में वर्षों से तैनात प्रवक्ता आदि के स्थानान्तरण की मांग

11-डा0 विनोद तिवारी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमती नगर, लखनऊ में कितने प्रवक्ता, प्रोफेसर व प्राचार्य लगभग 30 वर्षों से लखनऊ में ही तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमतीनगर, लखनऊ में कोई प्रवक्ता, प्रोफेसर व प्राचार्य 30 वर्षों से कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कालेज में प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर व प्राचार्य की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत स्थानान्तरण किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद वाराणसी में विद्युत शिकायतों को दूर करने हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग

12-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में विद्युत उपभोक्ताओं की वर्तमान संख्या की दृष्टि से विद्युत की शिकायतों को दूर करने हेतु वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या आवश्यक संख्या में कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण शिकायतों को दूर करने में अत्यधिक समय लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उपभोक्ताओं की विद्युत शिकायतों को दूर करने के लिये वाराणसी नगर में कुल 668 कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं जिसमें लाइन मैन 64, स्किल्ड कुली/मजदूर/फ्यूजमैन-66 एवं कुल/बेलदार/मेठ-538।

जी हां। कुल उपभोक्ताओं की संख्या में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम है फिर भी त्वरित कार्यवाही हेतु प्रयोग के तौर पर वाह्य एजेन्सी का उपयोग इस कार्यवाही हेतु किया जा रहा है।

विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगी रोक के कारण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है। उपभोक्ताओं की विद्युत शिकायतें दूर करने के लिये तथा सब-स्टेशनों के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिये वाह्य एजेन्सी की सेवायें ली जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लखनऊ को अवर अभियन्ता थर्मल के पदों को सीनियर टेक्नीशियन (कम्प्यूटर) के पद पर स्वीकृत करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

13-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अवर अभियन्ता (थर्मल) के 4 पदों को परिविस्तारित कर सीनियर टेक्नीशियन (कम्प्यूटर) वेतनमान रु0 1650-2690 (अपुनरीक्षित) के पद स्वीकृत करने संबंधी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-57 दिनांक 6-1-2003 तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-583 दिनांक 28-6-2003 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

परीक्षणोपरान्त व्यवहार्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

14-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक-700 दिनांक 31-7-03 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

132 के0वी0 सब-स्टेशन कैन्ट से वाया 33 के0वी0 विद्यापीठ तथा विद्यापीठ से 33/11 के0वी0 सब स्टेशन बेनिया तक 33 के0वी0 लाइन का निर्माण दि0 10-3-04 को पूर्ण करके ऊर्जीकृत कर दिया गया ।

बेनिया सब-स्टेशन के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र गोदौलिया का निर्माण ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसे शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

अतिरिक्त 6 (छः) अदद ट्रालीमुक्त ट्रांसफार्मर के क्रय का प्रस्ताव है।

33/11 सब-स्टेशन मैदागिन की क्षमता वृद्धि सम्भव नहीं है इसके स्थान पर निकटस्थ 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन मछोदरी की क्षमता वृद्धि 2×5 से 1×5+1×8 कर दी गयी है। जिससे मैदागिन सब-स्टेशन का लोड कुछ कम हो गया है।

रात्रि कालीन गैंग तीन खण्डों में कार्यरत हैं एवं शेष खण्डों के लिए व्यवस्था की जा रही है।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ के सभी सब स्टेशनों पर टेलीफोन कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के नगर मलेरिया अधिकारी द्वारा मच्छर मारने की दवा के घोटाले सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

15-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 में नगर मलेरिया अधिकारी, गाजियाबाद के पद पर तैनात चिकित्साधिकारी को 90 लीटर मच्छर मारने की दवा घोटाले में दोषी पाये जाने के बावजूद दण्डित न किये जाने के संबंध में श्री विद्या सागर गुप्ता, सदस्य, विधान सभा का पत्रांक-ख-2-641731, दिनांक 6 अगस्त, 2003 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अतिथि प्रवक्ताओं के स्थायी समायोजन करने सम्बन्धी जानकारी

16-डा0 विनोद तिवारी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों/प्रवक्ताओं, रीडर्स, प्रोफेसर की कमी को पूरा किये जाने की शासन की क्या कोई योजना है ? क्या यह सही है कि सेवा नियमावली, 1990 के आधार पर संदर्भित किसी भी अधियाचन के सापेक्ष कोई चयन/संस्तुति उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ने नहीं की है ? क्या सरकार स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष वर्ष 1998 से कार्यरत अतिथि-प्रवक्ताओं का स्थायी समायोजन करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों-प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को भेजा गया है।

जी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली-1990 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा चिकित्सा शिक्षकों की संस्तुति चयन हेतु की गई है, जिनके नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

जी नहीं।

उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों कीसेवा) नियमावली-1990 में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रवक्ता के पद लोक सेवा आयोग के परिधि के पद है। अतिथि प्रवक्ताओं को आमंत्रित करने की व्यवस्था एक वैल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता/नियुक्ति होने तक के लिए हैं। अतः ऐसी स्थिति में अतिथि प्रवक्ता के स्थायी समायोजन का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश तथा जनपद वाराणसी में विकलांग पेंशन धारक का विवरण एवं उनके पेंशन की धनराशि

17-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में तथा जनपद-वाराणसी में कुल कितने-कितने व्यक्ति वर्तमान में विकलांग पेंशन धारक हैं ? क्या उन्हें अद्यतन पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो पेंशन की धनराशि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम नारायण-

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में प्रदेश में 200229 और जनपद वाराणसी में 7207 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी गयी।

जी हां।

रु0 125/- प्रतिमाह।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त प्रसूति गृहों में निष्चेतक की नियुक्ति की मांग

18-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त प्रसूति गृहों में एक-एक निष्चेतक की नियुक्ति हेतु पदों के सृजन से पूर्व निष्चेतक की वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने हेतु निदेशक, उपचार, उ0 प्र0 को कार्यवाही करने के संबंध में विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 23 जून, 1999 को बैठक हुई थी , यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार प्रदेश के समस्त प्रसूति गृहों में एक-एक निष्चेतक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वैकल्पिक व्यवस्था हेतु समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों को निदेशित किया जा चुका है।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण प्रदेश के समस्त प्रसूति गृहों में एक-एक निष्चेतक की नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

लखनऊ के राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमती नगर के प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की मांग

19-डा0 विनोद तिवारी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमती नगर, लखनऊ के विरुद्ध जूथिका-पाटणकर-जांच समिति व नियोजन-जांच समिति की रिपोर्ट शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के प्राचार्य प्रोफेसर बी0एन0 सिंह एवं अन्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों पर विधिवत जांच हेतु शासनादेश दिनांक 19-12-2002 द्वारा सुश्री जूथिका पाटणकर तत्कालीन विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा को जांच अधिकारी नामित किया गया था, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई जांच आख्या शासन में प्राप्त हो चुकी है। नियोजन विभाग के "योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग" राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0 द्वारा की गई जांच रिपोर्ट भी शासन में प्राप्त हो चुकी है।

प्रोफेसर बी0एन0 सिंह, प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमती नगर लखनऊ के विरुद्ध लगाये गये आरोप सुश्री जूथिका पाटणकर, तत्कालीन विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा/जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट में सिद्ध नहीं पाये गये। नियोजन विभाग की जांच रिपोर्ट पर

प्रोफेसर बी0एन0 सिंह एवं अन्य दो अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है, जो गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्यालयों में अनुसचित जाति, जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण का प्राविधान

20-श्रीमती विमला राकेश-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु प्रति छात्र कितनी धनराशि का प्राविधान है ? उक्त छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा वितरण सुनिश्चित किये जाने हेतु क्या प्रचलित प्रणाली में कोई सुधार किये गये हैं , यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु प्रति छात्र प्रतिमाह निम्न धनराशि का प्राविधान है :-

कक्षा	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	आवासीय	अनावासीय	आवासीय	अनावासीय
1-1 से 5	-	25/-	-	25/-
2-6 से 8	-	40/-	-	40/-
3-9 व 10	-	60/-	-	60/-
4-आई0टी0आई0	60/-	50/-	-	-
(1) (न्यूनतम योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण)				
5-दशमोत्तर छात्रवृत्ति				
समूह-4	235/-	140/-	235	140/-
समूह-3	355/-	185/-	355	185/-
समूह-2	510/-	330/-	510	330/-
समूह-1	740/-	330/-	740/-	330/-

जी हां।

शासनादेश सं0-37 भा0स0/26-3-04-4(77)/2002, दि0 18-6-2004 द्वारा शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र भी भराकर जमा कराने और प्रवेश के समय पात्र छात्रों से प्रवेश शुल्क न लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त राशि का भुगतान संबंधित संस्था द्वारा सीधे समाज कल्याण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने के 45 दिन के अन्तर्गत भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई है।

जनपद वाराणसी के कतिपय 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की मांग

21-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी में 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन, भदैनी, बी0 एच0 यू0, शंकुलधारा, बेनियां, मैदागिन तथा मछोदरी ओवर लोड है जिसके कारण सम्बद्ध क्षेत्रों में पीक आवर्स में रोस्टरिंग करनी पड़ती है जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये विद्युत सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, वाराणसी में 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र बी0एच0यू0, शंकुलधारा, बेनियाबाग तथा मैदागिन ओवर लोड हैं। जबकि 33/11 के0वी0 सब स्टेशन भदैनी ओवर लोडेड नहीं हैं। 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन मछोदरी ओवर लोडेड था परन्तु अब इसकी क्षमता वृद्धि करके ओवर लोडिंग समाप्त की जा चुकी है।

जी हां, बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बी0एच0यू0 सबस्टेशन की ओवर लोडिंग समाप्त करने हेतु नया 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन डाफी बनाया गया है। शंकुलधारा व बेनियाबाग की ओवर लोडिंग समाप्त करने हेतु गोदौलिया में एक नया 33/11 के0 वी0 सबस्टेशन निर्माणाधीन है। इसी प्रकार मैदागिन सबस्टेशन की ओवर लोडिंग समाप्त करने हेतु काशी सबस्टेशन की क्षमता वृद्धि किया जाना स्वीकृत कर दिया गया है। इससे मैदागिन सबस्टेशन की भी ओवर लोडिंग समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में पुराने विद्युत पोलों को बदलवाने की मांग

22-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर में अनेक पुराने बिजली के खम्भे नीचे से जर्जर होकर गिरने की कगार पर हैं, यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी विद्युत विभाग को पोल उपलब्ध कराकर उनको बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। धन उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के जिला अस्पताल में शुल्क सम्बन्धी रसीद बुकों में गोलमाल करने की जांच

23-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पी0 एल0 शर्मा जिला अस्पताल मेरठ में वर्ष 1997 से 2000 तक मरीजों से विभिन्न मदों में वसूला गया शुल्क सम्बन्धी द्वितीय प्रति की रसीद बुकों को गायब करके शासकीय धनराशि का गोलमाल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च स्तरीय अधिकारी से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

फिर भी प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अपर निदेशक, मेरठ मण्डल को जांच एवं यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन की तहसील कालपी में विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

24-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत आपूर्ति मांग के अनुरूप न होने के कारण जनपद-जालौन की तहसील कालपी में 132 के0 वी0 विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जनपद जालौन की तहसील कालपी में 132 के0 वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु प्रस्ताव नियोजन स्कन्ध में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा चुका है तथा वित्त पोषण की व्यवस्था होने के उपरान्त उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, तहसील कालपी के बबीना एवं न्यामतपुर विद्युत उपकेन्द्र के क्षमता की जानकारी

25-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन की तहसील कालपी में बर्बाना विद्युत उपकेन्द्र तथा न्यामतपुर विद्युत उपकेन्द्र मात्र 1.5 एम0 वी0 के होने के कारण ओवरलोड है ? क्या यह सही है कि इसके कारण नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाकर 3 एम0 वी0 करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत उपकेन्द्रों की क्षमता 3+1.5 एम0 बी0 ए0 पूर्व से ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनगणना के आधार पर नये राशन कार्डों को बनाने पर विचार

26-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नई जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर नये राशन कार्डों को बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या

सरकार गरीबी रेखा के नीचे बने कार्डों का भी पुनरीक्षण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुंवर रघुराज प्रतापसिंह, राजा भैया)-

जी हां।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लाभार्थियों का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। पुनरीक्षण की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा ही की जा सकती है।

लखनऊ के राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक मोहान रोड के सहायक प्रवक्ताओं की सेवा नियमावली प्रख्यापित करने की मांग

27-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ के सहायक प्रवक्ताओं हेतु सेवा नियमावली बन कर तैयार है और उस पर लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त नियमावली को प्रख्यापित न किये जाने का क्या कारण है ? उसे कब तक प्रख्यापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

नियमावली का प्रख्यापन शासन के विचाराधीन है।

शीघ्रातिशीघ्र प्रख्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय विकास खण्डों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को राशन न वितरित किये जाने की जांच

28-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही, खुदागंज, मदनापुर, जलालाबाद एवं जैतीपुर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को राशन न वितरित किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम0 85741/03, दिनांक 25-09-03 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा कराकर दोषियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ व मेरठ में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के अनुपालन की जानकारी

29-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 482 (एस0/बी0) 2001 ए0 पी0 विश्वकर्मा बनाम उ0 प्र0 सरकार में दिनांक 12-4-01 को पारित आदेश में जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ व मेरठ में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण अभी मा0 उच्च न्यायालय में विचारार्धीन है।

समाज कल्याण विभाग में उप निदेशक के स्वीकृत पदों की संख्या एवं तैनाती

30-श्रीमती विमला राकेश तथा श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय पर उप निदेशक के कितने पद स्वीकृत हैं ? उन पदों पर कौन-कौन अधिकारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि श्री बी0 एन0 गुप्ता उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग में अपने नियुक्त स्थान पर कार्य न करके महिला कल्याण विभाग में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनको अपने मूल पद पर समाज कल्याण विभाग में वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। निदेशालय समाज कल्याण विभाग मुख्यालय पर उप निदेशक के 02 पद स्वीकृत हैं।

उक्त पदों पर श्री रमाकान्त एवं श्री फूलचन्द्र तैनात हैं।

जी हां। निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय उ0 प्र0 के आदेश दिनांक 24-9-99 द्वारा श्री बी0 एन0 गुप्ता को उनके मूल विभाग (समाज कल्याण विभाग) में उप निदेशक पद पर योगदान करने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु उक्त आदेशों के विरुद्ध श्री गुप्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-1699 (एस0बी0)/99 प्रस्तुत की गयी जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14-10-99 को स्थगन आदेश पारित किया गया है उक्त स्थगन आदेश से श्री बी0 एन0 गुप्ता, उप निदेशक के पद पर महिला कल्याण निदेशालय में कार्यरत हैं।

रिट याचिका संख्या-1699 (एस0 बी0)/99 में अंतिम निर्णय होने के बाद ही शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम डमौरा में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की मांग

31-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर स्थित ग्राम डमौरा ब्लाक जैतीपुर में 33 के0 वी0 ए0 विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक मुख्य

मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0 एम0/वी0 को0/एम0/857 5/03, दिनांक 25-9-03 निदेशक, विद्युत वितरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम डमौरा में नये उपकेन्द्र का बनाया जाना वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अस्पतालों में डिस्पोजेबिल सिरिंजों को नष्ट करने की मशीन लगाने की मांग

32-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली डिस्पोजेबिल सिरिंजों को नष्ट किये जाने हेतु किन-किन अस्पतालों में मशीन लगायी गयी है ? क्या सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों में डिस्पोजेबिल सिरिंज नष्ट करने की मशीन लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली डिस्पोजेबिल सिरिंज को नष्ट किये जाने हेतु जिन-जिन अस्पतालों में मशीन लगायी गयी है, उसकी सूची संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ट 140-141 पर)

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास की कार्य योजना

33-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसमें महिलाओं, वृद्धों, आदिवासियों एवं गरीबों के स्वास्थ्य के लिये कोई विशेष प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

पृथक से कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है किन्तु विभाग की योजनाओं से भारतीय चिकित्सा पद्धति का विकास किया जाता है।

विभाग द्वारा संचालित राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और इसी क्रम में समाज की सभी महिलाओं, वृद्धों एवं गरीबों को लाभान्वित किया जाता है।

आदिवासियों हेतु पृथक से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में चिकित्सालयों की स्थापना ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्तियां

34-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों (जिला मुख्यालय को छोड़कर) में प्रति एक हजार जनसंख्या पर चिकित्सकों की संख्या क्या है ? क्या यह संख्या निर्धारित मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो मानक की पूर्ति हेतु चिकित्सकों की नयी नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति एक हजार जनसंख्या पर चिकित्सकों की संख्या-05 है।

जी नहीं।

जी हां।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजे गये हैं। उनकी संस्तुतियां प्राप्त होने पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में स्वीकृत पद तथा आरक्षित पदों की संख्या एवं चयन

35-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर एसोसिएट/असिस्टेन्ट प्रोफेसर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों में से आरक्षित पद कितने हैं ? आरक्षित पदों पर कुल कितने संकाय सदस्य कार्यरत हैं ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि रिक्त आरक्षित पदों की चयन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में प्रोफेसर, एडीशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नांकित पद स्वीकृत हैं :-

प्रोफेसर	36
एडिशनल प्रोफेसर	08
एसोसिएट प्रोफेसर	11
असिस्टेंट प्रोफेसर	173

आरक्षित पद

अनुसूचित जाति	42
अनुसूचित जनजाति	03
अन्य पि0 वर्ग	44
अनुसूचित जाति	03
अन्य पिछड़ा वर्ग	06

आरक्षित रिक्त पदों का विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-22/2002, 2004 द्वारा किया गया था। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15-2-2004 थी। चयन यथाशीघ्र सम्पन्न किये जाने हेतु चयन संबंधी प्रक्रिया प्रगति पर है।

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में टाइप-2 के भवन एवं पार्क निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

36-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में टाइप-2 के लगभग 64 नये भवन तथा एक पार्क के निर्माण का कार्य प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन पार्क का निर्माण अभी शुरू ही नहीं हुआ है ? यदि हां, तो पार्क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0, लखनऊ में 66 टाईप-2 भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावति था, किन्तु पार्क का निर्माण कार्य आगणन/परियोजना में प्रस्तावित नहीं था।

जी हां। भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, किन्तु पार्क का निर्माण कार्य परियोजना में प्रस्तावित न होने के कारण उक्त निर्माण कार्य शुरु होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश की सेवाओं में उत्तरांचल के अनुसूचित जाति/जनजाति के मूल निवासियों को पूर्व की भांति प्रोन्नतियों में आरक्षण का लाभ दिये जाने की जानकारी

37-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सेवाओं में केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण लाभ अनुमन्य करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 2000 में पृथक उत्तरांचल राज्य बन जाने के बाद वहां के अनुसूचित जनजाति के मूल निवासियों को एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश की सेवाओं में आरक्षण लाभ किस आधार पर दिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उत्तरांचल के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मूल निवासी जो वर्ष 2000 के पूर्व प्रदेश एवं संस्थान की सेवाओं में नियुक्ति पा चुके हैं ? क्या वह वर्ष 2000 के बाद प्रोन्नतियों में आरक्षण लाभ पाने के हकदार हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वर्ष 2000 में पृथक उत्तरांचल राज्य बन जाने के बाद भी इस संस्थान में पूर्व से ही कार्यरत आरक्षित वर्ग के कर्मियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया गया है, क्योंकि इस श्रेणी के कर्मी जो संस्थान में पूर्व से कार्यरत रहे हैं, के बारे में विभक्तिकरण के पूर्व की स्थिति बरकरार रखी गयी है। चूंकि इन कर्मियों को उत्तरांचल जाने का विकल्प नहीं दिया गया था, इस प्रकार उन्हें जहां एक ओर

वहां के विकल्प का लाभ नहीं मिला वहीं दूसरी ओर उन्हें यहां आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो इससे दोहरे नुकसान की सम्भावना है।

इस संस्थान में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण लाभ अनुमन्य कराया जाता है। जहां तक भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देने का प्रश्न है कि संदर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण शासनादेशों एवं तत्संबंधी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर के आपूर्ति विभाग द्वारा कोटेदारों को तेल की आपूर्ति में कमी किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के आपूर्ति विभाग द्वारा कोटेदारों को तेल की आपूर्ति में कमी किये जाने की जांच करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम/88843/03, दिनांक 29-10-03 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया-

जी हां।

तहसील तिलहर जनपद शाहजहांपुर में मैसर्स ज्वाला आयल कम्पनी एवं मेसर्स आर0 के0 बी0 के0 लिमिटेड, दो थोक मिट्टी तेल विक्रेता कार्यरत हैं। शिकायत की जाच सहायक आयुक्त (खाद्य) बरेली मण्डल, बरेली द्वारा मौके पर जाकर आकस्मिक रूप से की गई है। जांच में नगर तिलहर के उचित दर विक्रेताओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेताओं से सम्पर्क करके मिट्टी तेल थोक विक्रेताओं द्वारा कम मात्रा में उन्हें मिट्टी तेल दिये जाने तथा निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे लिये जाने के संबंध में पूंछताछ की गई। दोनों मिट्टी तेल थोक विक्रताओं द्वारा जारी कैश मेमों का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि दोनों थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं द्वारा उचित दर पर विक्रेताओं को डिस्पेंसिंग यूनिट/फिलर मशीन से माप कर पूर्ण मात्रा में मिट्टी का तेल दिया जाता है और मिट्टी तेल उचित दर विक्रेताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि नहीं ली जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के कतिपय ग्रामों में बाधित विद्युत आपूर्ति पुनः चालू कराने की मांग

39-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो विधान सभा क्षेत्र सण्डीला जनपद हरदोई के करीब तेरह ग्रामों में विद्युत तार व खम्भे खराब एवं उखड़ जाने के कारण बाधित विद्युत आपूर्ति को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ का पत्रांक संख्या 2768/सीएमयू (डी) ई-5/बीआईपी/पैकेज, दिनांक अक्टूबर, 2003

महाप्रबन्धक सी0 ए0यू0 (डी) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उक्त ग्रामों की विद्युत आपूर्ति ठीक कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेदिक निदेशक पद पर भारतीय पद्धति के चिकित्सक की तैनाती पर विचार

40-डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेद निदेशक पद पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को तैनात करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-5 (1) के अनुसार निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें के पद पर नियुक्ति मौलिक रूप से नियुक्त, उ0 प्र0 में राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अपर निदेशकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष में प्रथम दिवस को प्राचार्य या अपर निदेशक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

विभाग में चूंकि अपर निदेशक के पद पर कोई भी चिकित्सक कार्यरत नहीं है इसलिये निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें के पद पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी चिकित्सक को तैनात करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, विकास खण्ड कदौरा के ग्राम इटौरा में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय के स्थानान्तरण की मांग

41-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम इटौरा विकास खण्ड कदौरा जनपद-जालौन में दो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, इनमें से एक को इसी विकास खण्ड के ग्राम मदारालालपुर में स्थानान्तरित करने का निर्णय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 11-1-03 को लिया गया था ? यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक चिकित्सालय को उक्त स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव निदेशक, आयुर्वेद के पत्र संख्या-2947/आर0 आर0 सी0 1316/सामान्य, दिनांक 17-12-2003 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव के संबंध में शासन के पत्र संख्या 5789/71-2-2003-52/2004, दिनांक 27 फरवरी, 04 द्वारा निदेशक, आयुर्वेद से कतिपय सूचनायें मांगी गयी हैं। वांछित सूचनायें प्राप्त होने पर प्रश्नगत मामले में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

जनपद शाजहांपुर के समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं शादी, बीमारी योजना में की गयी अनियमितता की जांच

42-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्रांक संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-90475/03, दिनांक 25-11-83 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण उ0 प्र0 शासन को समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं शादी, बीमारी योजना में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर में अनुदान योजना के अन्तर्गत हुई अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये समाज कल्याण सुपरवाइजर को आरोप-पत्र दिया जा चुका है तथा विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज में खराब पड़ी विभिन्न मशीनों की ठीक कराने की मांग

43-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज, मेरठ में टी0एम0टी0 मशीन, इको मशीन, डाइलेसिस मशीन व कलर डाप्लर खराब है ? यदि हां, तो इसे ठीक कराने हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

खराब हुई मशीन को ठीक कराये जाने के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

1-टी0 एम0 टी0 मशीन

इस मशीन को निष्प्रयोज्य करने के सम्बन्ध में, निरीक्षण आदि कराकर, निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में उपकरण मद में रु0 8.00 करोड़ की धनराशि प्रावधानित है। उक्त धनराशि में से मेडिकल कालेज मेरठ के खराब टी0 एम0 टी0 मशीन के क्रय हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2-इको व कलर डाप्लर मशीन

लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज मेरठ में उक्त मशीन की आपूर्ति, आदेश दिनांक 31-3-2000 द्वारा की गयी थी। इस मशीन को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी की अनुबन्ध राशि को जब्त कर, खराब मशीन को पुनः संचालित किये जाने के लिये धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

3-डायलिसिस मशीन

इस मशीन के संचालन हेतु संबंधित फर्म के इंजीनियर द्वारा दिनांक 5-9-2003 को निरीक्षण किया जा चुका है। संबंधित फर्म द्वारा उक्त मशीन को संचालित किये जाने हेतु वांछित व्यय का आगणन उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में प्राप्त दूध के नमूनों की जांच

44-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ द्वारा दिनांक 23-5-99 से फरवरी, 2004 तक दूध के कितने नमूने केवल 70 पी0पी0एम0 यूरिया पाने पर मिलावटी घोषित किये गये ? क्या उक्त प्रमाणीकरण मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या गलत रिपोर्ट देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में दिनांक 23-5-1999 से फरवरी, 2004 तक 70 पी0 पी0 एम0 यूरिया पाये जाने पर कोई भी दूध का नमूना मिलावटी घोषित नहीं किया गया ?

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 परिवार कल्याण के अधीन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु जनपदों को आवंटित धनराशि का आडिट

45-श्री आर0 पी0 एन0 सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक परिवार कल्याण, उ0 प्र0 के अधीन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु जनपदों को आवंटित धनराशि का आडिट करने के लिए मेसर्स अग्रवाल मुकेश एण्ड एसोसियेट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, लखनऊ अनुबंधित हैं ? यदि हां, [illegible] के विरुद्ध गम्भीर आरोप/आपत्तियाँ होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 [illegible] आडिट कार्य आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों की सूची से ही सी0 ए0 फर्मों को आडिट कार्य हेतु अनुबंधित करना होता है।

वर्ष 2001-02 का आडिट कराने हेतु भारत सरकार से सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रश्नगत फर्म भी अधिसूचित थी, इसी आधार पर प्रश्नगत अवधि के आडिट हेतु फर्म को आडिट कार्य आवंटित किया गया। उस समय फर्म पर किसी प्रकार का आरोप नहीं था।

वर्ष 2002-03 का आडिट कराने हेतु भी भारत सरकार से प्राप्त सूची में प्रश्नगत फर्म अधिसूचित थी। वर्ष 2002-03 के आडिट कार्य के आवंटन के समय फर्म द्वारा वर्ष 2001-02 की आडिट रिपोर्ट विलम्ब से देने के अतिरिक्त कोई गम्भीर आरोप/आपत्तियां नहीं थी, जो आडिट कार्य करने से अनुपयुक्त ठहराती। अतः उक्त फर्म को आडिट कार्य आवंटित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में विभिन्न संवर्गों में की गयी अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

46-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ में पत्रांक संख्या-पी0जी0आई0/ आईएचए/21153/2000, दिनांक 27-11-2000 के द्वारा जनवरी, 1997 से विभिन्न संवर्गों में की गई प्रोन्नतियों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस अनियमितताओं के लिए कौन से कर्मचारी अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में दिनांक 03-1-1997 के पूर्व गैर शैक्षिक पद धारकों की पदोन्नति हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं थी, परन्तु दिनांक 03-1-1997 को संस्थान की शासी निकाय द्वारा गैर शैक्षिक पद धारकों हेतु पदोन्नति नीति निर्धारित की गयी। उक्त निर्धारित नीति के अनुसार संस्थान स्तर पर वर्ष 1997-98 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष योग्य एवं अर्ह कर्मियों की पदोन्नतियां की गयी थी। उक्त पदोन्नतियों का संस्थान स्तर पर परीक्षण किया गया था एवं परीक्षण में कतिपय बिन्दु इंगित किये गये थे। उक्त परीक्षण रिपोर्ट जो कि पत्र सं0-पी0जी0आई/आईएचए/21153/2000, दिनांक 27-11-2000 द्वारा संदर्भित किया गया था, को संस्थान की वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था एवं वित्त समिति ने उप वित्त समिति (विसंगति समिति) को संदर्भित किया था। विसंगति समिति की संस्तुतियों के आधार पर संस्थान की शासी निकाय ने दिनांक 27-11-2001 को "रिपोर्ट आन कैडर स्ट्रक्चर, पे-स्केल, सर्विस कन्डीशन एवं प्रोमोशनल एवेन्यूज फार नान फैकल्टी स्टाफ एट एसजीपीजीआईएमएस नामक शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की है एवं उक्त कैडर स्ट्रक्चर में संस्थान में स्वीकृत पदों को कहीं कहीं आवश्यकतानुसार घटाया गया है एवं कहीं-कहीं बढ़ाया गया है उक्त कैडर स्ट्रक्चर दिनांक 27-11-2001 को संस्थान स्तर पर लागू कर दिया गया है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स अग्रवाल मुकेश एण्ड एसोसियेट्स चार्ट्र्स एकाउन्टेन्स द्वारा वर्ष 2001-2002 की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने पर फर्म के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

47-श्री आर0पी0एन0 सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या मेसर्स अग्रवाल मुकेश एण्ड एसोसियेट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को उ0 प्र0 राज्य की आर0सी0एच0 प्रोजेक्ट तथा इम्युनाईजेशन स्टैंथनिंग प्रोजेक्ट की वर्ष 2001-2002 की आडिट रिपोर्ट सितम्बर, 2002 तक उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रस्तुत कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0 प्र0 ने अपने पत्र संख्या-प0क0/4-आर0सी0एच0/ 2002/4242, दिनांक 11-12-2002 द्वारा फर्म को ब्लैक लिस्टेड किये जाने की चेतावनी दी गयी थी ? यदि हां, तो फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 11-12-02 द्वारा फर्म से स्पष्टीकरण मांगा गया। फर्म ने अपने स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 26-12-02 में अवगत कराया कि प्रक्रियात्मक कारणों से विलम्ब हुआ। फर्म का उत्तर संतोषजनक पाया गया। इसी बीच फर्म ने दिनांक 16-12-02 को वर्ष 2001-02 की आडिट रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करा दी थी, जिसे भारत सरकार को दिनांक 21-12-2002 को भेज दिया गया। भारत सरकार द्वारा इस विलम्ब के लिये कोई आपत्ति न किये जाने एवं आडिट रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही वांछित नहीं समझी गयी।

डा0 विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पहला, सीतापुर तथा डा0 मनोहर अरोरा प्रभारी चिकित्साधिकारी, 12वीं बटालियन, पी0 ए0 सी0 फतेहपुर की तैनाती के संबंध में जानकारी

48-श्री आर0 पी0 एन0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा विभाग के पत्र संख्या-4180/ सेक-3/पांच-1998, दिनांक 16-6-1998 द्वारा डा0 विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पहला, सीतापुर तथा डा0 मनोहर अरोरा, प्रभारी चिकित्साधिकारी, 12वीं बटालियन, पी0ए0सी0 फतेहपुर को लाजेस्टिक मैनेजमेन्ट प्रकोष्ठ, नादरगंज,

अमीसी से संबद्ध किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें उनके मूल तैनाती के स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

डा0 विनोद कुमार श्रीवास्तव को विशेषज्ञता के आधार पर बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में स्थानान्तरित किया जा चुका है। डा0 मनोहर अरोरा को चिकित्साधिकारी, श्रेणी-1 में पदोन्नत करते हुये उप मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के पद पर तैनात कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के समाज कल्याण विभाग द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच

49-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम-89778/2003, दिनांक 13-11-03 द्वारा समाज कल्याण विभाग, शाहजहांपुर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/सैनिक कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गयी। शिकायतें सही नहीं पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली, तहसील फरीदपुर के कस्बा फतेहगंज की अनियमित विद्युत आपूर्ति ठीक कराने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

50-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा फतेहगंज पूर्वी, तहसील फरीदपुर जिला बरेली की अनियमित विद्युत आपूर्ति को ठीक करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/8542772/03, दिनांक 23-9-03 अध्यक्ष, पावर कारपोरेशन को दिये गये आदेश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या विद्युत व्यवस्था सही करवा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

कस्बा फतेहगंज पूर्वी में विद्युत आपूर्ति 66/11 के0वी0 उपसंस्थान फरीदपुर से की जाती है तथा उक्त उपकेन्द्र पर दिनांक 30-01-2004 को कैपेसिटर चालू होने से वोल्टेज में सुधार हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर के गांवों का विद्युतीकरण कराने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर के गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/ 85774/03, दिनांक 25-9-03 निदेशक, विद्युत वितरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय में पुष्टाहार क्रय सम्बन्धी पत्रावली एवं टेण्डर पत्रावली गायब होने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी

53-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 हेतु पुष्टाहार क्रय करने हेतु दि0 24 अप्रैल, 1992 व 23 जून, 1992 को श्री दुर्गाशंकर मिश्र, आई0ए0एस0 (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ) की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति क्रय संबंधी समस्त पत्रावली एवं इसकी टेण्डर पत्रावली गायब हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी प्राथमिकी निदेशक, बाल विकास पुष्टाहार के निर्देश पर संबंधित अधिकारी द्वारा थाना गार्जीपुर जनपद लखनऊ में दिनांक 4-4-03 को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-4-5 दिनांक 1-4-2003 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना-गार्जीपुर, लखनऊ में प्रार्थना-पत्र दिया गया जो दिनांक 4-4-2003 को मु0अ0 संख्या-178/3 धारा-379 आई0पी0सी0 बनाम अज्ञात के नाम से मुकदमा पंजीकृत हुआ। मामले की विवेचना श्री आर0के0 सिंह उप निरीक्षक द्वारा की गयी विवेचना अधिकारी द्वारा प्रकरण की अन्तिम रिपोर्ट संख्या-212/3, दिनांक 26-5-03 द्वारा मा0 न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं में बिनावर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

54-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं में बिनावर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच आख्या जो प्रावैधिक परीक्षक

टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास विभाग, बरेली के पत्र संख्या-41 दिनांक 20-5-99 द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली को प्रेषित की गयी थी, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

टी0ए0सी0 रिपोर्ट भवन हस्तान्तरण से पूर्व प्राप्त हुयी थी। टी0ए0सी0 रिपोर्ट में इंगित कर्मियों को भवन हस्तान्तरण के पहले ठीक करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के खोडा मकनपुर (लोकप्रिय विहार) बुद्ध बाजार (नोयडा के पास) में भूमि पर रखे ट्रान्सफार्मर एवं 11 हजार वोल्ट की लाइन को हटाने की मांग

55-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद के खोडा मकनपुर (लोकप्रिय विहार) बुद्ध बाजार (नोयडा के पास) में भूमि पर रखे ट्रांसफार्मर में विस्फोट होने एवं आग लगने से तार टूट जाने से विगत दो वर्षों में तीन मौतें हो चुकी हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त ट्रांसफार्मर एवं उससे जुड़ी 11 हजार वोल्ट की लाइन को अन्यत्र हटाने के लिए यहां के निवासीगण काफी समय से मांग कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि पावर कारपोरेशन द्वारा लिखित रूप से हटाये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं, परन्तु उनको हटाया नहीं गया है ? यदि हां, तो उक्त ट्रांसफार्मर तथा उससे जुड़ी 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सूचना के अनुसार जनपद-गाजियाबाद के खोड़ा मकनपुर (लोक विहार) बुद्ध बाजार (नोयडा के पास) प्लिन्थ पर रखे ट्रान्सफार्मर के लिये जा रही 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार टूटने से दुर्घटना पूर्व हुई थी, जिससे दो मौत हो गयी थी परन्तु ये मौतें ट्रांसफार्मर में विस्फोट होने या आग लगने की वजह से नहीं हुयी थी।

यह सत्य है कि उक्त ट्रांसफार्मर एवं उससे जुड़ी 11 हजार वोल्ट की लाइन को अन्यत्र हटाने के लिये मांग की जा रही है। परन्तु निगम के नियमों के अनुसार कोई भी लाइन ट्रांसफार्मर अन्यत्र तभी हटाया जा सकता है जबकि उक्त को हटाने में निगम के नियमानुसार होने वाले खर्च का भुगतान उपभोक्ता करे परन्तु प्रश्नगत निवासियों द्वारा होने वाला खर्च जमा करने से मना कर दिया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुरसठ में मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति

56-श्रीमती विमला राकेश-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुरसठ जनपद हरदोई में मानक के अनुसार चिकित्सक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मिर्जापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज के उप केन्द्र पतुलकी में चिकित्सालय खोले जाने सम्बन्धी जानकारी

57-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज के अन्तर्गत उप केन्द्र पतुलकी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय/होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं।

आयुर्वेद तथा होम्योपैथी विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उप केन्द्रों में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की कोई योजना विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। अतः पतुलकी उप केन्द्र में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मिर्जापुर में बाल विकास परियोजना लालगंज के कतिपय ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित कराने की मांग

58-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, लालगंज में पतुलकी, अमहामाफी, बरडिहा, बनपारी, घसड़ा, कलपारी में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र कब तक खोल दिये जायेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उक्त ग्रामों की आबादी न होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की योजना

59-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की क्या कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ? क्या जनपद प्रतापगढ़, विकास खण्ड पट्टी मंगरौरा, आसपुर देवसरा में संचालित सभी केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

विश्व बैंक पोषित आई0सी0डी0एस0-III परियोजना से आच्छादित जनपद प्रतापगढ़ सहित 33 जनपदों में 4548 केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना है।

जी नहीं। अभी कोई योजना नहीं है।

आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य विश्व बैंक पोषित आई0सी0डी0एस0-III परियोजना में प्राप्त होने वाली सहायता से किया जाता है। जनपद-प्रतापगढ़ के मात्र 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त होने के कारण सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है। विकास खण्ड पट्टी, मंगरौरा, आसपुर, देवसरा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से क्रमशः 04, 07 एवं 01 केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जाना स्वीकृत है।

60-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दिनांक 27-7-2004 को अता0 प्र0 सं0-89 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित नीति से अधिक विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में जानकारी

61-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति किये जाने की वर्तमान नीति क्या है ? क्या कुछ जनपदों को निर्धारित नीति के विपरीत अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र को निर्धारित नीति से अधिक विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो प्रारूप क्या होगा ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश सं0-एम-87696/03 दिनांक 13-10-03 एवं एम-87881/03 दिनांक 15-10-03 जो अध्यक्ष/मुख्य महाप्रबन्धक ग्रामीण विद्युत निगम को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं तहसील नगरों में प्रतिदिन 14 घण्टे (सायंकाल पीक अवधि को छोड़कर) तथा अन्य नगरों में उनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन 16 घण्टे से 24 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति किये जाने की नीति है।

जी हां।

ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र, जनपद-इटावा, जनपद-मैनपुरी, जनपद-औरैया, जनपद-कन्नौज तथा जनपद-लखनऊ में निर्धारित से अधिक विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है।

वर्तमान में संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां

जी नहीं। वर्तमान में सायंकाल पीक अवधि में विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति कराये जाने हेतु विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं और वांछित सुधार होने के उपरान्त निर्धारित से अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव हो सकेगा।

जनपद कानपुर के इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति के छात्र, छात्राओं को गत वर्ष की छात्रवृत्ति के भुगतान की जानकारी

62-श्री सुन्दर लाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंजीनियरिंग के अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं को वर्ष 2003 की फीस एवं छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। रु0 25,35,690/- के सापेक्ष रु0 20,14,040 का भुगतान कर दिया गया है।

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं को भारत सरकार की सहायता से संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान किया जाता है। गत वर्ष 2003-04 में भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि कर देने के फलस्वरूप प्रदेश के लिए आवश्यक समुचित केन्द्रांश भारत सरकार से समय से प्राप्त नहीं हो सका था। भारत सरकार से गत वर्ष के सापेक्ष अपेक्षित केन्द्रांश प्राप्त होते ही छात्रों को भुगतान कर दिया जायेगा।

लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में दस वर्षों से तैनात फार्मासिस्टों को अन्यत्र स्थानान्तरण करने की मांग

63-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय में कितने फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट गत दस वर्षों से तैनात हैं ? क्या सरकार एक ही स्थान पर दस वर्षों से अधिक से तैनात चीफ फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में गत 10 वर्षों से 9 चीफ फार्मासिस्ट तथा 6 फार्मासिस्ट तैनात हैं।

जी हां, स्थानान्तरण नीति के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति चिकित्साधिकारियों की संख्या

64-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित, बलरामपुर चिकित्सालय में कुल कितने वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद स्वीकृत हैं तथा उन पदों पर कितने वरिष्ठ चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि बलरामपुर चिकित्सालय में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार संख्या से अधिक तैनात वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों के 25 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विद्युत आपूर्ति का दिवसवार विवरण

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्र से 1-3-04 से 30-4-04 तक सायंकाल 6.00 बजे से 14 घण्टे की अवधि तक विद्युत आपूर्ति की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में ? यदि नहीं, तो आपूर्ति की गयी अवधि का दिवसवार विवरण क्या है और उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सिस्टम कन्ट्रोल लखनऊ के आदेशानुसार विद्युत आपूर्ति की अवधि रात्रि 11 बजे से अगले दिन 12.00 बजे तक (13 घण्टे) थी।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत आपूर्ति की अवधि सिस्टम कन्ट्रोल लखनऊ के आदेशानुसार 11 बजे रात्रि से अगले दिन 12.00 बजे तक थी।

दिवसवार विवरण संलग्न है।

कोई दोषी नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति का समय सिस्टम कन्ट्रोल लखनऊ के आदेशानुसार निर्धारित की जाती है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 142-143पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय ब्लाकों की ग्राम पंचायतों एवं मजरों में विद्युतीकरण कराने का प्रकरण

67-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा, बाबा बेलखरनाथ धाम की ग्राम पंचायतों का तथा उनके मजरों का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

ग्रामों का विद्युतीकरण धनाभाव के कारण संभव नहीं हुआ। मजरों के विद्युतीकरण की योजना वर्तमान में नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न विद्युत उपकेन्द्रों के खराब पड़े फीडर, उपकेन्द्रों के भवन एवं बाउन्ड्री मानक के अनुरूप बनाने की कथित जानकारी

68-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र पट्टी, मगरौरा, आसपुर देवसरा, करैला, आमापुर, नरहरपुर, साल्टीपुर, कजास, सदहा, हरीपुरवरदैता, ढिढुयी, दखवा के क्या सभी फीडर कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन फीडर कार्य नहीं कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्र से सम्बन्धित भवन तथा बाउन्ड्री मानकों के अनुरूप बनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित विद्युत उपकेन्द्रों में मंगरौरा के एक फीडर को छोड़कर अन्य सभी उपकेन्द्रों पर सभी फीडर कार्य कर रहे हैं। विद्युत उपकेन्द्र ढकवा ऊर्जीकृत नहीं है। विद्युत उपकेन्द्र मंगरौरा के एक फीडर की ओ0सी0बी0 क्षतिग्रस्त हो गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विभिन्न 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों में मानकों के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

69-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 33/11 विद्युत उपकेन्द्र सदहा, हरीपुर वरदैता, साल्टीपुर, कजास, आमापुर, करैला, नरहरपुर, मगरौरा, पट्टी, खन्डौली, आसपुर देवसरा, ढकवा, ढिढुई, विद्युत उपकेन्द्रों पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उक्त उपकेन्द्रों पर मानकों के अनुरूप कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक तैनात कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर निम्नवत् कर्मचारी कार्यरत हैं :-

विद्युत उपकेन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या
आसपुर देवसरा	3 एस0एस0ओ0 1 लाइन स्टाफ
मंगरौरा खण्डौली	2 एस0एस0ओ0 1 लाइन स्टाफ
खण्डौली	3 एस0एस0ओ0 3 लाइन स्टाफ
ढिढुई (सैफाबाद)	3 एस0एस0ओ0 1 लाइन स्टाफ
पट्टी	4 एस0एस0ओ0 4 लाइन स्टाफ

इसके अतिरिक्त सदहा, हरीपुर, बस्देता, शाल्हीपुर, केंजास, आमापुर, करेला, नरहरपुर उपकेन्द्रों पर कर्मचारी की कमी के कारण परिचालन कार्य वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराया जा रहा है। ढकवा विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य पर नियामक आयोग द्वारा रोक लगायी गयी थी जिसके कारण ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका है।

जी नहीं। कर्मचारियों की कमी के कारण उपरोक्त उपकेन्द्रों पर मानकों के अनुरूप कर्मचारी तैनात किया जाना संभव नहीं है।

प्राचार्य की नियुक्ति विषयक मुख्य मंत्री/सचिव खादी ग्रामोद्योग को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

70-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र माह सितम्बर, 2003 जो प्राचार्य की नियुक्ति विषयक था, मा0 मुख्य मंत्री एवं सचिव, खादी ग्रामोद्योग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)-

जी हां।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु/स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं उससे प्राप्त आय का विवरण

71-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2003-04 में कुल कितने स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र जारी किये गये और उससे प्राप्त कुल कितनी धनराशि राजकीय कोष में जमा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान कुल 123 आयु/स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किये गये जिसके सापेक्ष प्राप्त शुक्ल रु0 3417 राजकीय कोष में जमा किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों को वितरित की गयी छात्रवृत्ति का विवरण

72-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 2001-2002, 2002-2003 व 2003-2004 में छात्रवृत्ति हेतु कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? प्राप्त धनराशि वर्षवार किन-किन छात्रों को तथा कितनी-कितनी वितरित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। जनपद जौनपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 में छात्रवृत्ति हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि प्राप्त हुई :-

वर्ष	जनपद को प्राप्त धनराशि
2001-02	981.330 लाख रुपये
2002-03	1159.350 लाख रुपये
2003-04	1119.957 लाख रुपये
	योग-3260.637 लाख रुपये

जहां तक प्राप्त धनराशि वर्षवार किन-किन छात्रों को तथा कितनी-कितनी वितरित की गई है, के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि प्रश्नगत तीन वर्षों में लाभान्वित छात्रों की संख्या 7,35,000 से भी अधिक है, जिसकी सूची 24,500 से अधिक पृष्ठों में आयेगी, जिस कारण उत्तर में समाहित कर पाना मुश्किल है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आवंटित धनराशि एवं उसका वितरण

73-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में वर्ष 2001-2002, 2002-2003 व 2003-2004 में पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि दी गयी और उसमें कितनी धनराशि वर्षवार वितरित की गयी ? क्या श्रीमती प्रमिला राय पत्नी श्री सुभाष राय, ग्राम गोपालपुर तहसील सदर जौनपुर को पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत धनराशि दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद जौनपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कुल रु0 1,15,67,000 की धनराशि आवंटित की गयी थी, जिसके सापेक्ष रु0 1,13,97,000 व्यय किया गया वर्षवार व्यय विवरण निम्नवत् है :-

1-वर्ष 2001-02	रु0 32,57,000
2-वर्ष 2002-03	रु0 33,30,000
3-वर्ष 2003-04	रु0 48,10,000

जी नहीं।

आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

डा0 हरिओम अग्रवाल सम्प्रति आयुर्वेदिक चिकित्याधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलारी, जनपद मुरादाबाद के अवशेष बकाया वेतन भुगतान की मांग

74-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि डा0 हरिओम अग्रवाल सम्प्रति आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलारी, जनपद-मुरादाबाद को 1 जुलाई, 1999 से 8 सितम्बर, 1999 तक की अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं।

वर्ष 1993-94 में घटित आयुर्वेद घोटाले में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने के आधार पर शासनादेश दिनांक 29-9-95 द्वारा डा0 अग्रवाल को निलम्बित किया गया तथा शासनादेश दिनांक 9-7-1999 द्वारा अनन्तिम रूप से सेवा में बहाल करते हुए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दहलया, पीलीभीत में तैनाती के आदेश जारी किये गये, किन्तु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पीलीभीत द्वारा उक्त चिकित्सालय में पद रिक्त न होने के कारण डा0 अग्रवाल को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। तदोपरान्त उक्त बहाली आदेश को संशोधित करते हुए आदेश दिनांक 31 अगस्त, 1999 द्वारा उन्हें राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्यालय, बिलारी-मुरादाबाद में तैनात किये जाने के आदेश जारी किये गये, जहां उन्होंने दिनांक 9-9-99 को कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार दिनांक 9 जुलाई, 99 से 8 सितम्बर, 99 तक की अवधि के वेतन भुगतान का प्रकरण विचाराधीन है, जिसके बारे में निदेशक, आयुर्वेद से कतिपय सूचनायें मांगी गयी थी, जो उनके पत्र दिनांक 22-7-2004 में उपलब्ध करायी गयी हैं। प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त उक्त अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद गोरखपुर के जिला अस्पताल में फार्मासिस्टों को ग्रामीण अंचलों में स्थानान्तरण करने की मांग

75-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अस्पताल गोरखपुर में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत फार्मासिस्टों को जनपद के ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ देने हेतु क्या स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

विभागीय स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 10-6-2004 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी के ग्राम अहैला में विद्युत चोरी सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-2/997565 दिनांक 20-1-2004 जो ग्राम अहैला तह0 पट्टी जिला प्रतापगढ़ में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने हेतु था, जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश दिनांक 20-1-2004 भी था, प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन के पुलिस प्रवर्तन दल इलाहाबाद जोन द्वारा दिनांक 22-7-2004 को रेड करायी गयी जिसमें मौके पर श्रीमती पुष्पा सिंह के यहां कोई विद्युत चोरी नहीं पायी गयी। श्रीमती पुष्पा सिंह ने दिनांक 26-10-2002 को घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक धनराशि जमा कर दी थी परन्तु पड़ोसियों द्वारा कनेक्शन देने में लगातार अवरोध किए जाने के कारण इनका कनेक्शन अभी तक ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका। श्री लाल प्रताप सिंह पुत्र श्री राजदेव सिंह एवं श्री अनिल सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह के यहां कटिया लगाकर विद्युत चोरी पायी गयी जिनके विरुद्ध कार्यवाही करके प्रत्येक से मौके पर रु0 4000-00 की धनराशि शमन शुल्क के रूप में जमा करायी गयी। उनके परिसरों पर लगी कटिया हटा दी गयी। वर्तमान में उनके परिसरों पर विद्युत का उपभोग नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण एवं निर्माण की मांग

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना वर्ष 2004-05 जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अरैला, नारायणपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढिढुई, मानापुर,

हरीपुर वरदैता, नारायणपुर के शेष कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरीपुर वरदैता की स्थापना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुजाही बाजार एवं आसपुर देवसरा के भवन निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अरैला हेतु रु0 35.00 लाख एवं नारायणपुर के भवन निर्माण हेतु रु0 35.00 लाख अवमुक्त किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढिढुई, हरिपुर बरदैता एवं नारायणपुर के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु वांछित धनराशि 2003-04 में अवमुक्त की जा चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर हेतु वर्ष 2004-05 में रु0 11.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिपुर बरदैता का भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त स्थापना की कार्यवाही की जायगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुजाही बाजार एवं आसपुर देवसरा का भवन निर्माण हेतु जिला अनुश्रवण समिति से परिव्यय अनुमोदित है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों को ऊर्जीकरण करने की नीति

78-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों को ऊर्जीकरण करने की सरकार की क्या नीति है ? जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2003-04 में जो कनेक्शन प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत किये गये क्या उन नलकूपों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

जनपद शाहजहांपुर में 2003-04 में 100 नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष वरीयता सूची के आधार पर नलकूपों का ऊर्जीकरण कराया जा चुका है। जिसमें माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के 6 (छः) मामले सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में चयनित गांवों के विद्युतीकरण की मांग

79-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 में विधान सभा क्षेत्र 50-शाहजहांपुर में चयनित पांच गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2003-04 में विधान सभा क्षेत्र 50 शाहजहांपुर के चयनित 5 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

दो गांव ऊर्जीकृत किए जा चुके हैं। शेष का कार्य प्रगति पर है।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश दिनांक 12-2-04 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन तथा प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगाई गई रोक को पुनः आवश्यक प्रस्ताव भेजकर स्वीकृत कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधन एवं आवश्यक विद्युत सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर होने के कारण प्रश्नगत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु समय सीमा तय किया जाना संभव नहीं है।

जनपद-जौनपुर के तहसील सदर तथा केराकत के विभिन्न ग्रामों में सस्ते गल्ले की दुकानदारों द्वारा मनमाने ढंग से वितरण की जांच

81-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के तहसील सदर में ग्राम कुकुही, बन्जारेपुर, गद्दोपुर, रत्तीपुर तथा तहसील केराकत के भदेवरा, वगधरी, मुरारा, कदहरा, कन्हौली, रामपुर, विजईपुर, पटखौली, नहौरा, धराव, रेहटी ग्रामों में सस्ते दर के दुकानदारों द्वारा कार्डधारकों को मनमाने ढंग से वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, 'राजा भइया'-

तहसील केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम कदहरा एवं तहसील सदर के विकास खण्ड धर्मापुर के ग्राम गद्दोपुर के दुकानदारों द्वारा वितरण में अनियमितताएं की गयी थी, जिसके कारण माह जून, 04 में इन दोनों दुकानदारों का अनुबन्ध पत्र निलम्बित किया जा चुका है। इसके

अतिरिक्त इंगित ग्रामों के दुकानदारों का वितरण संतोषजनक रहा है। इस संबंध में प्रशासनिक समिति द्वारा वितरण प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये गये हैं। इन क्षेत्रों में वितरण संतोषजनक बताया गया है।

जिन दुकानदारों की वितरण में अनियमितता की शिकायत जांच में सही पायी गयी, उनके विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की जा चुकी है, शेष के बारे में अनियमितता की शिकायत गलत पायी गई। अतः कार्यवाही लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बाराबंकी, तहसील राम सनेही घाट की ग्राम सभा लोहटीजई में सरकारी राशन तथा मिट्टी के तेल को ब्लैक किये जाने की जांच

82-श्री धर्मराज निषाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लोहटीजई तहसील-रामनगर, जिला बाराबंकी के ग्राम प्रधान व सहकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा सरकारी राशन व मिट्टी के तेल को जनता में वितरित न करके ब्लैक किये जाने की जांच कराने विषयक श्री शिवमंगल शरण त्रिवेदी, निवासी ग्राम लोहटीजई, तहसील-रामनगर जिला-बाराबंकी के प्रार्थना-पत्र के साथ मा0 खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री के उपरिपत्र संख्या-235/रा0मं0खा0रा0/03, दिनांक 5-11-03 डी0आई0जी0 फूड सेल जवाहर भवन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया-

जी हां।

जी हां। जांच कराई जा रही है। जांच आख्या के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती करुणा जायसवाल के ऊपर लगे आरोपों की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

83-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-/96881/2004, दिनांक 26-2-2004 जो श्रीमती करुणा जायसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ के ऊपर लगे आरोपों की जांच विषयक था, निदेशक, बाल विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

श्रीमती करुणा जायसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ के प्रकरण में पूर्व में ही वरिष्ठ अधिकारी के जांच कराकर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका था और वर्तमान में यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण पुनः जांच का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में ट्रामा मैनेजमेंट सेन्टर स्थापना की योजना एवं सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था की मांग

84-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में ट्रामा मैनेजमेंट सेन्टर स्थापित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि बिना सी0 टी0 स्कैन के ट्रामा मैनेजमेंट सेन्टर प्रभावी तरीके से सफल नहीं हो सकता तो क्या जनहित में मा0 मंत्री जी उक्त ट्रामा सेन्टर में सी0 टी0 स्कैन की भी व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत योजना भारत सरकार की गाइड लाइन्स तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करके संचालित की जानी है। उक्त गाइड लाइन्स में सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था निर्धारित न होने के कारण सी0टी0 स्कैन की स्थापना नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विद्युतीकृत ग्रामों में बन्द आपूर्ति चालू कराने की मांग

85-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों में बन्द आपूर्ति चालू कराने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-/98226/2004, दिनांक 9-3-04 प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो विद्युतीकृत ग्रामों में बन्द आपूर्ति चालू कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के सभी विद्युतीकृत ग्रामों की विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय विकास खण्डों एवं उनके ग्रामों में फर्जी विद्युतीकरण की जांच के सम्बन्ध में पत्र

86-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत ग्राम नदैया रामपुर राजपूत तथा विकास खण्ड सिकली, वि0 ख0 तिलहर में फर्जी विद्युतीकरण की जांच कराने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/98227/2004, दिनांक

9-3-04 प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई तथा जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम नदैया रामपुर विधान सभा तिलहर के फर्जी विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जांच कराई गयी। जांच में नदैया रामपुर का विद्युतीकरण होना नहीं पाया गया तथा दोषी अवर अभियन्ता श्री बदरुदीन को निम्न दण्ड दिया गया :-

1-एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक लिया गया है।

2-2001-2002 के लिए श्री बदरुदीन, अवर अभियन्ता की सत्यनिष्ठा रोक ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के श्री बाबू पुत्र श्री मन्नू निवासी बझेड़ा में चार विद्युत पोल लगाने की मांग

87-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू पुत्र श्री मन्नू निवासी बझेड़ा भगवानपुर ब्लाक जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर की बस्ती में चार विद्युत पोल लगाने विषयक पत्र संख्या सी0 एम0/वि0को0/एम-/98248/2004, दिनांक 10-3-2004 प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शासन/विधायक निधि से प्राकलन धनराशि रु0 64,000 धनराशि प्राप्त होने पर पोल लगाना सम्भव हो पाएगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु योजना

88-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा शाहजहांपुर नगर की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिये वर्ष 2003-04 में 44 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो शाहजहांपुर की विद्युत आपूर्ति कब तक सुधार दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शाहजहांपुर नगर में ए0पी0डी0आर0पी0 के रु0 44.8 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् विद्युत आपूर्ति में पर्याप्त सुधार परिलक्षित होगा।

जनपद शाहजहांपुर में वर्तमान समय में लम्बित वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

89-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन वर्तमान समय में 31-5-04 तक कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? उन आवेदन पत्रों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन के कुल 2504 प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-5-04 तक लम्बित है।

मृतक एवं अपात्र होने वाले लाभार्थियों के स्थान पर नयी पेंशनें स्वीकृत कराकर लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण नियमानुसार करा दिया जायेगा।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र प्रभारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के चयन में अनियमितता की जांच

90-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत जैतीपुर विकास खण्ड में तैनात आंगनबाड़ी केन्द्र प्रभारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा सहायिका के चयन में रिश्वत मांगे जाने के संबंध में आपका आदेश-पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम0-/98446/2004, दिनांक 12-3-2004 प्रमुख सचिव/सचिव, महिला कल्याण/बाल विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अब तक इस पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायत की जांच करायी गयी। जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के गांवों के विद्युतीकरण

91-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा कितने ग्राम शेष हैं ? शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में अब तक 139 ग्रामों को विद्युतीकृत करा दिया गया है तथा 43 ग्राम शेष है।

प्रदेश शासन की नीति एवं योजना के अनुसार सभी अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के उ0 प्र0 चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की समस्याओं का निदान कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

92-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जिला शाखा शाहजहांपुर की समस्याओं का निदान कराये जाने विषयक पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम0-96629/2004, दिनांक 25-2-2004 प्रमुख सचिव, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ जनपद शाहजहांपुर की मांग कि "कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति हेतु टंकण परीक्षा/लिखित परीक्षा/मौखिक परीक्षा से छूट प्रदान की जाय"। इस सम्बन्ध में लिपिकीय सेवा नियमावली, 1994 एवं पदोन्नति द्वारा भर्ती नियमावली, 2001 के नियम-8 के अनुसार उक्त छूट दिया जाना सम्भव नहीं है। यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित वाद सं0-562/एस0एस0/04 विचाराधीन है।

मंहगाई भत्ते का अनुमन्य होने पर समय-समय पर उ0प्र0 राज्य कर्मियों की भांति उक्त कर्मियों को भी भुगतान किया जाता है। जहां तक नगदीकरण का सम्बन्ध है फिलहाल उ0 प्र0 सरकार के समस्त कर्मियों के साथ ही उक्त कर्मियों को उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के कतिपय ग्रामों में 33 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग

93-डॉ0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम बड़ावद एवं जौहरी के 33 के0वी0ए0 की क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उपकेन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

कार्य कराने की अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में मदनापुर देवा, पट्टी विद्युत लाइन के पोल ठीक कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

94-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में मदनापुर देवा, पट्टी विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन के पोल ठीक कराये जाने विषयक पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0-96555/2004, दिनांक 24-2-04 आयुक्त बरेली मंडल, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मदनापुर छेदापट्टी लाइन की विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन के पोल ठीक करा दिये गये हैं एवं विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण के अपूर्ण कार्य कराने विषयक पत्र

95-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-2-2004 जो जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को ग्राम नगरिया खुर्द व ग्राम जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर के अपूर्ण विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने के आदेश जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अधिशासी अभियंता वि0वि0 खं0 प्रथम शाहजहांपुर को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम नगरिया खुर्द व जैतीपुर के अपूर्ण विद्युतीकरण कार्य कराने हेतु उक्त ग्रामो के सर्वे कराकर प्राक्कलन बना लिये गये हैं एवं सम्बन्धित अधिकारी को कार्य पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्रामों का विद्युतीकरण कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

96-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-1-04 जो जिलाधिकारी शाहजहांपुर को सम्बोधित था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा तिलहर क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण करने विषयक आदेश अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहांपुर को दिनांक 4-3-04

को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

तिलहर विधान सभा क्षेत्र के कुल 493 ग्रामों में से अब तक 170 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। वर्ष 2003-2004 के लिए मा0 विधायक जी द्वारा संस्तुत 5 ग्रामों में से 2 को विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है। अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण शासन की नीति एवं योजना अनुसार किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में प्रस्तावित ग्रामों के विद्युतीकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

97-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 2001-2002 के प्रस्तावित 5 ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-2-04 पर जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खं0-1, शाहजहांपुर को कार्यवाही करने के लिये आदेश दिये गये हैं, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उक्त प्रस्तावित 5 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य धन की कमी के कारण नहीं कराया जा सका।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक जैतीपुर के कई ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

98-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक जैतीपुर के अन्तर्गत कई ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-2-04 पर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खं0-1 शाहजहांपुर को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक जैतीपुर के 6 ग्राम मरेना, सुरजपुर, जिगनिया, जरगवां, खमरिया एवं गढ़िया रंगीन में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है

एवं 7 ग्राम अमरेडी नगरिया खुर्द, कलुआ बोझ, पलिया, भैगवां नरोत्तम, खिरिया रतन एवं कोठा में आंधी से एच0टी0 के पोल टूट गये हैं एवं तार चोरी हो गये हैं। इन ग्रामों में ग्रामवासियों द्वारा विद्युत का कोई कनेक्शन नहीं लिया गया है। ग्रामवासियों द्वारा संयोजन हेतु प्राकलन की धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार विद्युत आपूर्ति चालू सम्भव हो पायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सांसद निधि द्वारा स्थापित हैण्ड पम्पों का वितरण एवं गुणवत्ता की जांच

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा सांसद निधि से पोषित वर्ष 2000-2001 में 100 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये थे ? यदि हां तो उसमें से वर्तमान में कितने कार्यरत हैं और कितने असफल हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सामग्री क्रय करने में निर्धारित मानकों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार तकनीकी समिति द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सांसद निधि के अन्तर्गत उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 में मा0 सांसद श्री सी0 एन0 सिंह के मद से 98 हैण्डपम्प (इण्डिया मार्क-2) एवं मा0 सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह के मद से 50 नग हैण्डपम्प की स्थापना की गयी। वर्तमान में स्थापित हैण्डपम्प के सापेक्ष खराब अथवा असफल होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के रौजा में थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग

100-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में थर्मल पावर स्टेशन रौजा में बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त थर्मल पावर की कितनी क्षमता होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

विकासकर्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 2004 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भावित है।

अनुबन्ध के अनुसार 567 मेगावाट की क्षमता होगी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त प्राथमिक एवं सामुदायिक केन्द्रों में चिकित्सकों तथा कर्मचारी के तैनाती की मांग

101-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार सभी श्रेणी के चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं तो मानकों के अनुसार तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में चिकित्साधिकारियों के श्रेणी "ख" के पद रिक्त होने के कारण निर्धारित मानक के अनुरूप चिकित्सक तैनात नहीं हैं। रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है।

अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पट्टी तथा उपचारिका के रिक्त 3 पदों को भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार उपकरण की व्यवस्था

102-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्या सरकार एम0आर0आई0 एवं फीजीयोथैरेपी की व्यवस्था किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरणों के मानक में एम0आर0आई0 एवं फिजीयोथैरेपी उपकरणों की व्यवस्था नहीं की गयी है।

जनपद मुरादाबाद के कपूर कम्पनी रोड से दिल्ली रोड के मध्य में गुजर रही 33/11 के0वी0 विद्युत लाइन को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

103-श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर मुरादाबाद में कपूर कम्पनी रोड से दिल्ली रोड के मध्य में गुजर रही 33 के0वी0 विद्युत लाइन को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कारपोरेशन ने अपने पत्र संख्या 404 सी0एम0यू0 (डि) ई-ई-3/प्रा0सु0/पैकेज दिनांक 13-2-2003 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त लाइन का स्थानान्तरण

निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त लाइन का स्थान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

सामग्री की अनुपलब्धता एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले की खुदाई व निर्माण होने के कारण कार्य समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं हो सका।

सामग्री की उपलब्धता होने पर उक्त कार्य शीघ्र पूरा होना लक्षित है।

जनपद मुरादाबाद में राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में श्री इफ्तिखार हुसैन की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवा समाप्ति का प्रकरण

104-श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में श्री इफ्तिखार हुसैन की चतुर्थ श्रेणी के पद पर माह अक्टूबर, 2002 में नियुक्ति की गई थी ? क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 2003 में श्री इफ्तिखार हुसैन की सेवायें समाप्त कर दी गईं ? क्या यह भी सही है कि माह फरवरी 2004 में माननीय उच्च न्यायालय ने सेवा समाप्ति के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है। शीघ्र यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद अम्बेडकर नगर में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

105-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 में सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् के प्रस्ताव पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में पांच-पांच ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो क्या पूर्व जनपद अम्बेडकर नगर में उक्त वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के कर्बी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की मांग

106-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-2004 में जनपद चित्रकूट के कर्बी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों को विधायक कोटे के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है ? प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2003-04 में जनपद चित्रकूट के कर्बी विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोटे के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

ग्राम रंगोली ब्लाक चित्रकूट, ग्राम वगेहा ब्लाक चित्रकूट, ग्राम चिल्लीमल ब्लाक पहाड़ी, ग्राम चांदी ब्लाक पहाड़ी, ग्राम लोढिया खुर्द ब्लाक चित्रकूट।

प्रस्तावित ग्रामों में से ग्राम रंगोली का विद्युतीकरण दिनांक 31-5-2004 को पूर्ण हो चुका है। शेष ग्रामों में सामग्री पहुंचायी जा चुकी है। विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण कराने की योजना

107-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 55 ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 9-6-2001 को की गई थी ? यदि हां, तो दिनांक 9-6-2001 से जून, 2004 तक विगत चार वर्षों में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया है और कितने शेष हैं ? शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधन एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

भारत सरकार द्वारा संचालित शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इन्हें विद्युतीकृत करने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के जलालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने का विचाराधीन प्रकरण

108-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उर्च्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने का मामला शासन के विचारार्धीन है ? क्या यह सही है कि भवन निर्माण हेतु भूमि भी उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने का विचाराधीन प्रकरण

109-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने का मामला शासन के विचारार्धीन है ? क्या यह सही है कि इसके लिये भूमि भी उपलब्ध करा दी गई है ? उक्त उर्च्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उर्च्चीकृत करने का निर्णय लेते हुये भवन निर्माण हेतु रु0 10.00 लाख की धनराशि दिनांक 31-3-04 को अवमुक्त कर दी गयी है।

जी हां।

निर्माण एजेन्सी द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करके शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी के 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र ढकवा का निर्माण कार्य

110-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0वी0 ढखवा तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य कब तक पूरा होना था ? उक्त उपकेन्द्र के अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र ढकवा का निर्माण कार्य वर्ष 2002-03 में पूर्ण करने का लक्ष्य था।

उपकेन्द्र के अधूरे कार्य को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर आधारित होने के कारण इसे पूर्ण होने की समय सीमा तय किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अन्तर्गत पंजीरी वितरण में घोर अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर जांच

111-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या बाल विकास पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विभाग की संचालित (प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में पोषाहार वितरण योजना) के अन्तर्गत पंजीरी दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 में उक्त योजना के तहत जो टेण्डर स्वीकृत किये गये उसमें घोर अनियमिततायें किये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा मार्च, 2004 में मा0 मुख्य मंत्री को की गई थी ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ? क्या उस पर जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 07 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को वीनिंग फूड की आपूर्ति की जा रही है।

जी हां।

मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नवत् हैं :-

1-आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा व्यापार कर की धनराशि की चोरी करना।

2-मांग के अनुरूप पोषाहार की आपूर्ति न करना।

3-आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सामान की कालाबाजारी करना आदि।

जांचोपरान्त निम्न कार्यवाही की गयी है :-

1-माह सितम्बर, 2003 से पोषाहार की आपूर्ति लेना बन्द कर दिया गया है।

2-एक्साइज ड्यूटी के रूप में इन फर्मों ने जो अधिक धनराशि इस विभाग से प्राप्त कर ली थी, उसे इन फर्मों के लम्बित बिलों से वसूल कर लिया गया है।

3-इन फर्मों से आपूर्ति लिये जाने हेतु शासन एवं फर्म के मध्य निष्पादित अनुबन्ध को समाप्त कर दिया गया है।

4-सम्बन्धित विभागों द्वारा इन फर्मों के विरुद्ध निर्धारित कर अपवंचन की धनराशि को फर्मों को भुगतान हेतु लम्बित बिलों से रोक ली गई है।

5-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वर्तमान में मे0 बीकानेरवाला फूड्स प्रा0 लि0, मे0 इण्डोपोल फ्लोर मिल्स एवं क्रिस्टीफ्राइड ग्राम इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं में वीनिंग फूड की आपूर्ति की जा रही है। आपूर्ति वीनिंग फूड में विद्यमान पोषक तत्वों की जांच नियमित रूप से विभिन्न विश्लेषण इकाइयों से विभाग द्वारा करायी जाती है ताकि आपूर्ति पुष्टाहार में गुणवत्ता/निर्धारित पोषक तत्व के अनुरूप सुनिश्चित होती रहे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत वर्ष राज्य पोषित योजना अन्तर्गत पंजीरी के टेण्डर स्वीकृति में घोर अनियमितता की शिकायतें

112-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है प्रदेश में विभाग की संचालित (राज्य पोषित योजना) के अन्तर्गत पंजीरी दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 में उक्त योजना के तहत जो टेण्डर स्वीकृत किये गये उसमें घोर अनियमिततायें किये जाने की अनेक शिकायतें प्रश्नकर्ता द्वारा मार्च, 2004 में मा0 मुख्य मंत्री को की गई थीं ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या है ? क्या उस पर जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वर्तमान में राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत एमाइलेज रिच इनर्जी फूड की आपूर्ति की जा रही है।

जी हां। मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नवत् हैं :-

1-राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत जानबूझ कर पूर्व से ज्यादा मूल्य के पोषाहार की आपूर्ति लेना।

2-फर्म विशेष को लाभान्वित करने के लिये टेण्डर की शर्तें उसके अनुरूप रखना।

3-टेण्डर में कम पार्टियों को भाग लेने का अवसर देना।

4-पोषाहार को वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक न पाया जाना।

5-फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये निविदा की कार्यवाही शीघ्रता से करना।

निविदा आमंत्रित किये जाने एवं स्वीकार करने में निर्धारित प्रक्रिया एवं पारदर्शिता को अंगीकृत किया गया है। पोषाहार को सी0 एफ0 टी0 आर0 आई0 मैसूर द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पौष्टिक बताया गया है।

प्रश्नगत निविदा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं को भी तथ्यहीन पाते हुये मा0 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जनपद सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर में कार्यरत चिकित्सकों के स्थानान्तरण की मांग

113-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर में ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो विगत पांच वर्षों या उससे अधिक समय से जनपद सुल्तानपुर में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी चिकित्सकों का स्थानान्तरण जनपद के बाहर अन्य जनपदों में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर सुल्तानपुर में 05 चिकित्सा अधिकारी पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक ही जनपद में 10 वर्ष से अधिक समय से तैनात चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति है। नीति के अन्तर्गत आने वाले चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0 एच0 सी0) भीटी में मानक के अनुसार पदों के सृजन की मांग

114-श्री धर्मराज निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) भीटी जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सी0एच0सी0 का हस्तान्तरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त सी0एच0सी0 के हस्तांतरण के उपरान्त चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

चिकित्सा अधिकारी आवास को छोड़कर सभी भवन पूर्ण हैं।

जी हां।

चिकित्सा अधिकारी आवास को छोड़कर सभी भवन हस्तगत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटी के लिये मानकानुसार पदों के सृजन का प्रकरण विचाराधीन है।

पद सृजन के उपरान्त यथाशीघ्र तैनाती की जायगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

115-श्री धर्मराज निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भीटी जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद में विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब पूर्ण कराकर चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र ही पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की तहसील गाजीपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन की जांच का कथित प्रकरण

116-श्री उमाशंकर कुशवाहा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर की तहसील गाजीपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की अधिकांश दुकानें ग्राम प्रधानों के निकट सम्बन्धियों के नाम से आवंटित की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया-

शासन के संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं लाया गया है जिसमें संबंधित ग्राम प्रधान या उप प्रधान के परिवारों के सदस्यों/संबंधियों के पक्ष में प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी हो।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की तैनाती की मांग

117-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खडसरा, पूर तथा गढमलपुर में डाक्टर की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पर तथा गढमलपुर में डाक्टरों की तैनाती की गयी है, परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खडसरा में तैनाती की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना

118-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या-70/01 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में है, के अनुसार क्या समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

संसाधनों की कमी के कारण ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया जा सका।

भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इन ग्रामों को विद्युतीकरण करने की योजना है।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंहड़ौर के नाम परिवर्तन की घोषणा

119-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंहड़ौर ब्लाक मंगरौरा की स्वीकृति की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दि0 15-9-2001 को की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सर्वजीतपुर व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंहड़ौर पहले से ही स्थापित है। दिनांक 15-9-2001 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंहड़ौर का नाम परिवर्तन किये जाने की घोषणा की गयी थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन की तहसील कालपी में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

120-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालपी जनपद जालौन हेतु 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत करने का प्रस्ताव निदेशक योजना शक्ति भवन, लखनऊ स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

नियोजन स्कन्ध द्वारा उक्त प्रस्ताव के औचित्य का परीक्षण किया जा रहा है और व्यय का आंकलन किया जा रहा है। तदोपरान्त उक्त प्रस्ताव पारेषण कार्यानुमोदन समिति को विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा। संस्तुति प्राप्त होने की दशा में स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव होगा। उक्त कार्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में नगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं नर्स की तैनाती की मांग

121-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे बलिया जनपद में नगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर और नर्स तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरा, बलिया में पद सृजित नहीं है, परन्तु स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत 02 चिकित्साधिकारी तथा 01 स्टाफ नर्स तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कौशल प्रशिक्षण हेतु आई0 टी0 आई0 खोलने का निर्णय

122-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य में मिनी आई0 टी0 आई0 खोलने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और उसे कब तक खोल दिया जायेगा ?

हाजी याकूब-

जी हां, प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्यात्मिक शिक्षा के साथ-साथ मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0 टी0 आई0 की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर प्रदेश के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे बालक/बालिकाओं जो मदरसों में अध्ययनरत हैं, को रोजगार/स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा सके।

इस योजनान्तर्गत चयनित मदरसों को तीन ट्रेडों पर आधारित मिनी आई0 टी0 आई0 की स्थापना के लिये तीन इन्स्ट्रक्टर, एक लैब असिस्टेन्ट तथा एक अनुचर के लिये राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जायेगा। यदि कोई मदरसा तीन ट्रेडों के अतिरिक्त कोई अन्य ट्रेड भी चलाना चाहता हो तो इसके लिये वह अपने निजी वित्तीय स्रोतों से व्यय करने के लिये स्वतंत्र होगा। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित ट्रेडों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गई है, जिसको पूरा करने पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक/बालिकओं की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जायेंगे। इस योजना की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये अनुदेशकों आदि के चयन के लिये जिलाधिकारी स्तर पर चयन समिति बनाई गई, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों को भी रखा गया है इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे बेरोजगार/तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियों को भी रोजगार मिलेगा, जो अनुदेशक लैब असिस्टेंट के लिये चयनित होंगे। योजना का कार्यान्वयन अक्टूबर, 2004 से प्रस्तावित है।

जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डौरा के निर्माण की मांग

123-श्री राम कृपाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डौरा जनपद-आजमगढ़ का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

रु0 12.36 लाख की धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में दिनांक 19 जून, 2004 को अवमुक्त की गयी है ?

मार्च, 2005 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

इलाहाबाद महानगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने का कथित प्रकरण

124-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत चार महीने फरवरी से मई, 2004 में इलाहाबाद महानगर में कितने घंटे विद्युत कटौती की गयी ? क्या यह सही है कि विद्युत कटौती से नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इलाहाबाद महानगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

माह फरवरी, 2004 से मई, 04 तक इलाहाबाद महानगर में औसतन प्रतिदिन करायी गयी विद्युत कटौती का विवरण निम्नवत् है जिसमें स्थानीय दोषों से हुए व्यवधान सम्मिलित नहीं है :—

माह	विद्युत कटौती (घंटे-मि0)
फरवरी, 04	4.19
मार्च, 04	4.45
अप्रैल, 04	1.19
मई, 04	1.50

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण इलाहाबाद महानगर को विद्युत की कटौती से मुक्त करना सम्भव नहीं होगा।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में गेहूं क्रय केन्द्र खोलने की मांग

125—श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में इस वर्ष 2004 में किसानों का कितना गेहूं क्रय किया गया ? क्या गेहूं के मूल्य का भुगतान सभी किसानों को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया-

रबी विपणन वर्ष 2004-2005 में जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में किसानों से कुल 1775.50 कुन्तल गेहूं क्रय किया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौड़ जाति (धुरिया जाति) को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने की मांग

126-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गौड़ (धुरिया जाति) जो जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर में निवास करती है क्या उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अधिकार भारत सरकार में निहित है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित दावे

127-श्री शिव चरण प्रजापति-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-72 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1188 लम्बित दावे में कितने दावों का 30-6-04 तक निस्तारण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, माह अक्टूबर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक प्राप्त दावों में से कुल 1188 दावें लम्बित थे, जिसमें से 937 दावे निस्तारित कर दिये गये हैं तथा 251 दावे लम्बित हैं।

शेष लम्बित दावों का निस्तारण शीघ्र कर दिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पाँच अतिरिक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

128-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये पाँच अतिरिक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वी0को0/एम0/92325/03 एवं 92345 दिनांक 24-12-03 जो प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन को भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण विद्युतीकरण कार्य नहीं कराया जा सका।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति की माँग

129-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ में फरवरी, 2004 से जिला कार्यक्रम अधिकारी (बा0वि0 सेवा एवं पु0 विभाग) का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उपरोक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां। लेकिन प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी तैनात हैं।

पूर्णकालिक जिला कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद, विद्युत उपखण्ड के भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

130-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 स-3/101846 दिनांक 18-5-2004 जो पिलखुआ विद्युत उपखण्ड जनपद-गाजियाबाद के भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध है प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत विभाग मेरठ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, मा0 विधायक से प्राप्त उक्त पत्र से सम्बन्धित पुलिस स्टेशन को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं उस पर जांच करने के उद्देश्य से प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 मेरठ द्वारा भेजा गया। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

विद्युत वितरण उपखण्ड पिलखुआ क्षेत्र से सम्बन्धित फर्जी बिलों के प्रकरण में विभागीय स्तर पर विशेष जांच करायी गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये :—

1-श्री एस0 पी0 पाल, कार्यालय सहायक, विद्युत वितरण उपखण्ड पिलखुआ

2-श्री वी0 के0 शर्मा, उपखण्ड अधिकारी

3-श्री एस0 सी0 तलवार, अवर अभियन्ता

4-श्री के0 के0 खंडूजा, अवर अभियन्ता

5-श्री भोपाल सरीन, कार्यालय सहायक

6-श्री संजय त्यागी, कार्यालय सहायक

ऊपर क्रम सं0-1 पर उल्लिखित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा क्रम सं0-2 से 6 तक पर उल्लिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। श्री वी0 के0 शर्मा उपखण्ड अधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पिलखुआ से मोदीनगर स्थानान्तरित कर दिया गया है। उपरोक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् गुणदोष के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में हाईस्कूल तथा इण्टर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण

131-श्री उमाशंकर कुशवाहा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में हाईस्कूल तथा इण्टर कक्षाओं में अध्ययनरत अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2003-04 में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति कितने छात्रों को चेक द्वारा तथा कितने छात्रों को नगद भुगतान की गयी है ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद गाजीपुर में हाई स्कूल (कक्षा-9 व 10) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 38223 छात्र/छात्राओं को रुपये 378.475 लाख तथा इण्टर कक्षाओं (कक्षा 11 व 12) में अध्ययनरत अनु0 जाति के 12962 छात्र/छात्राओं हेतु रु0 140.00 लाख की धनराशि वर्ष 2003-04 में विद्यालयों के छात्रवृत्ति संयुक्त खातों में अंतरित की गई। उक्त कक्षाओं में नगद भुगतान का प्राविधान नहीं है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अवर अभियन्ताओं की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के विद्युत निर्माण उपखण्ड द्वितीय दही चौकी के स्थानान्तरण की मांग

132-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ताओं की कोई स्थानान्तरण नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या उसके अन्तर्गत 400 के0 वी0 ए0 उपकेन्द्र विद्युत निर्माण उपखण्ड द्वितीय दही चौकी, उन्नाव में वर्ष 1979 से तैनात अवर अभियन्ता श्री आर0 बी0 सिंह का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

श्री आर0 बी0 सिंह, अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण आदेश विद्युत जनपद पारेषण उपखण्ड, उरई के लिये दिनांक 20-7-2004 को जारी कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामों में विद्युत पोल एवं विद्युत आपूर्ति की जानकारी

133-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 1996 से 25 जून, 2004 तक ऐसे कौन-कौन ग्राम हैं जहां विद्युत पोल की आपूर्ति कर दी गयी है परन्तु शेष कार्य अभी तक नहीं कराया गया है ? उन सभी ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पट्टी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1996 से 25 जून, 2004 तक 79 गांवों में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन की प्रत्याशा में विद्युत पोल की आंशिक आपूर्ति की गयी थी, परन्तु इन गांवों के विद्युतीकरण हेतु आवश्यक अनुमोदन/वित्तीय लिंकेज एवं धन उपलब्ध न होने के कारण अग्रेतर कोई भी कार्य नहीं किया जा सका।

भारत सरकार द्वारा संचालित शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो कि वर्ष 2004 से 2009 के मध्य पूर्ण की जानी है कि अन्तर्गत विद्युतीकृत कराने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के मऊरानीपुर में प्रस्तावित विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाने की मांग

134-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मऊरानीपुर जनपद-झांसी में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से करने हेतु पांच एम0 बी0 ए0 का ट्रान्सफारमर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त ट्रान्सफार्मर कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

66/11 के0 वी0 उपकेन्द्र मऊरानीपुर पर 5 एम0वी0ए0 का परिवर्तक दि0 8-7-2004 को लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-130 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आजकी इस कार्य-सूची में अता0 प्रश्न सं0-130 में मैंने पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 में सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् के प्रस्ताव पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में पांच-पांच ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो क्या पूर्व जनपद अम्बेडकरनगर में उक्त वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ? मान्यवर, इसका उत्तर आया है कि जी नहीं। मान्यवर, जबकि इस विधान सभा में घोषणा हुयी थी कि सभी प्रस्तावित गांवों में खम्भे, तार पहुंच चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब सदन के संज्ञान में यह विषय आ चुका है तो उत्तर आया है कि जी नहीं। तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी आप इसको लिखकर दे दें हम इसको कराने का प्रयास करेंगे।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में जो व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कल की कार्य-सूची में दो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न थे, 8 तारांकित प्रश्न थे और 104 अतारांकित प्रश्न थे जबकि आज की कार्य-सूची में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2, तारांकित प्रश्न 13 तथा अतारांकित प्रश्न 134 हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो 20 की संख्या है वह तारांकित प्रश्न होने चाहिए। मान्यवर, माननीय सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लगाते हैं जिससे वह अनुपूरक उत्तर पूछ सकें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौर साहब प्रश्नों के सम्बन्ध में एक नियम है। प्रश्न जब नियमों के अन्तर्गत पूछे जाएंगे तभी तो वह तारांकित प्रश्नों की सूची में आएंगे। मैं इधर देख रहा हूं कि प्रश्नों की संख्या निरन्तर कम हो रही है। आप कह रहे हैं तो मैं भविष्य में दिखवा लूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जितने तारांकित प्रश्न होते हैं वह नियमों के अन्तर्गत होते हैं अगर उसको अतारांकित कर दिया जाता है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब, जब प्रश्न देते हैं तो उनका परीक्षण होता है कि वह स्वीकार होंगे कि नहीं। उसका परीक्षण करने के बाद उनका वर्गीकरण होता है। फिर उसके आधार पर सरकार को भेजा जाता है और उसका उत्तर आता है। अगर आपकी कोई शिकायत है तो लिखकर दे दें, मैं उसको दिखवा लूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 ले रहा हूं।

आज दिनांक 28 जुलाई, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गयी।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं, किन्तु *श्री राम करन ने अपनी सूचना पढ़ी)

जनपद झांसी की तहसील गरौठा एवं मोंठ के अन्तर्गत एरच एवं सलेनापुर क्षेत्र में हो रहे अवैध बालू खनन को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में तथ्य लाते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

झांसी जनपद की गरौठा तहसील अन्तर्गत एरच में तथा तहसील मोठ अन्तर्गत सलेनापुर में मशीनों द्वारा बालू का अवैध खनन निरन्तर हो रहा है जिससे लाखों रुपये सरकार की राजस्व की हानि हो रही है पात्र व्यक्तियों को बालू खनन की अनुमति न देकर कतिपय माफिया दबंगों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर निरन्तर खनन करके शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही है। उक्त प्रसंग में सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं। इस प्रकरण को लेकर क्षेत्र की जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है कभी भी विस्फोटक स्थिति बन सकती है।

अतः मैं सरकार से, सदन के माध्यम से, तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने एवं अवैध बालू खनन पर रोक की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदर चिकित्सालय, आजमगढ़ में कुत्ते काटने की सुई (एन्टी रैबीज टीका) उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

[महोदय, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान जिला चिकित्सालय, सदर, आजमगढ़ में कुत्ते के काटने की सुई उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न भयावह स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । इस टीके के उपलब्ध न होने के कारण वहां के चिकित्सालय में पहुंच रहे व्यक्तियों का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इस टीके के महंगा होने के कारण हर व्यक्ति इसको खरीद सकने की स्थिति में नहीं है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की माँग करता हूँ।]

बस्ती के नगर पूर्व क्षेत्रान्तर्गत कुआनों नदी के गौराघाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[महोदय, मेरे विधान सभा के कुआनों नदी पर गौरा घाट पर पुल बनवाने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा इटवा बाजार की जन सभा में की थी, यह घोषणा हुए 4 माह हो गया मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उक्त पुल बनवाने के लिए 4 माह पहले घोषणा की थी। आपसे अनुरोध है कि उक्त नदी कुआनों नदी पर पुल निर्माण कराया जाय जिससे क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल सके।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

जनपद खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पलिया खुर्द में श्री हरिओम मौर्य की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत की जांच कराकर मृतक परिवार को मुआवजा दिये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद-खीरी के ग्राम पलिया खुर्द थाना-पलिया के श्री हरीओम मौर्य को आबकारी निरीक्षक पलिया, जी0पी0 मिश्रा अपने दो सिपाहियों के साथ दिनांक 07-07-2004 को सबेरे 10.30 बजे उनके घर से पकड़ कर जीप में डाल लिया तथा लात घूसों से मारना शुरू कर दिया। हरिओम मौर्य को काफी मारने पीटने के बाद 2.00 बजे दिन में पलिया थाना में हवलात में डाल दिया उसी दिन रात को ही हवालात के अन्दर ही श्री हरिओम मौर्य की मृत्यु हो गयी। मरने के बाद पलिया थाना के लोगों ने मौर्य की लाश को महिला अस्पताल के बाहर फेंक कर चले गये तथा मृतक की पत्नी को सूचना दी कि आपका पति पलिया अस्पताल में भर्ती है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हरिओम मौर्य रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। घटना का 302 का मुकदमा कायम हो चुका है, लेकिन दोषी व्यक्ति खुलेआम घूम रहे हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन की कार्यवाही रोककार चर्चा करायी जाय तथा मृतक के परिवार को भरण-पोषण हेतु दो लाख के मुआवजे की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्रान्तर्गत नेफेड एजेन्सी द्वारा किसानों से चना खरीदने में की गयी धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मऊरानीपुर गल्ला मण्डी में जो नेफेड द्वारा खरीद की गयी है, उसमें किसानों से चना न खरीद कर थोक व्यापारियों से खरीद कर नेफेड अधिकारी श्रीवास्तव व आर0 के0 प्रजापति, भण्डार प्रभारी, उ0प्र0 राज्य भण्डारगार निगम मऊरानी झांसी के दोनों अधिकारियों की सांठ-गांठ से चना की खरीद किसानों से न करके व्यापारियों से की गयी, जो कि बाजार मे चना का मूल्य 1240/. रु0 के लगभग था। किसानों से 2 नवम्बर में खरीद कर 1400/. रु0 में नेफेड संस्था को बेंच दिया। नेफेड में 1400/. प्रति कुन्तल के हिसाब से खरीद दिखाई गयी। इस प्रकार 150 प्रति कुन्तल नेफेड को क्षति पहुंचाई गयी। नेफेड संस्था के अधिकारी व व्यापारी मिलकर आपस में बन्दरबांट कर लिया, जिससे संस्था व किसानों का कई लाखों का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार पिछले वर्ष उर्द खरीद में धांधली की गयी थी, जबकि पिछले वर्ष किसानों के पास उर्द पैदा नहीं हुई थी फसल सड़ गयी थी लेकिन किसानों के नाम से खरीद दिखाई गयी थी, उर्द भी दूसरे प्रदेश से आयी थी।

अतः किसानों का हित देखते हुए इसकी उच्च स्तरीय खुली जांच करवाकर इस भ्रष्टाचार में लिप्त आर0 के0 प्रजापति व श्रीवास्तव नेफेड अधिकारी के प्रति कानूनी कार्यवाही की जाये।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत बेसों नदी पर पुल बनवाए जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[महोदय, जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा कम्मरपुर पसिका, इसहाकपुर, लम्मरपुर को जोड़ने के लिए बेसो नदी में पुल का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। पुल न होने से जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। लोग बांस की चह बनाकर पुल पार करते हैं। जिससे अनेकों बार दुर्घटनायें होती रहती हैं।

अतः आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुए सदन में चर्चा कराने तथा ग्राम्य सभा तम्मरपुर, पसिका, इसहाकपुर तम्मरपुर को जोड़ने के लिए बेसो नदी में पुल निर्माण तत्काल कराने का आदेश पारित किया जाय।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ महानगर में पेयजल संकट समाधान के लिये बन्द पड़े तीन ट्यूबवेल्स को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[महोदय, वर्षा के न होने, बाधित विद्युत आपूर्ति के कारण मेरठ महानगर में पेयजल का संकट जनता के समक्ष उत्पन्न हो गया है।

वर्षा न होने से पेयजल की आवश्यकता बढ़ी है, जनता पेयजल संकट से जूझ रही है।

शासन के निर्देश के बावजूद भी मेरठ में बन्द पड़े तीन ट्यूबवेल गांधी पार्क, सूरजकुंड, सरदार पटेलस्कूल ब्रह्मपुरी, मंगल पाण्डेय नगर, तथा अपेक्षा से कम पानी दे रहे 2 ट्यूबवेल नौ चन्डी बलिसार्डीगेट को ठीक करने हेतु 50 लाख रुपया की आवश्यकता है।

सूखे की स्थिति हो गई है, अतएव सूखा राहत में से तत्काल सहायता देकर उपरोक्त 5 ट्यूबवेल को पूरी क्षमता के साथ चालू करना चाहिये।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रतीक्षा सूची में से नियम-301 की सूचना को लिए जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

प्रतीक्षा सूची में से जिन दो माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं वह अस्वीकार की जाती हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बहुत ही महत्व की सूचना है इसलिए इसे ले लें। आज बहुत दिनों बाद यह सूचनाएं आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रतीक्षा सूची से सूचनाएं तब ली जाती है जब कोई सदस्य अनुपस्थित हो। उसकी जगह पर ली जाती है। आज कोई अनुपस्थित नहीं है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसमें चूंकि समस्या श्री गौर जी द्वारा ही पैदा की गयी है इसलिए यह महत्व की इनके लिए है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

इसके अलावा जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:-श्री लल्लू सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री सुखदेव राजभर, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री अवधेश

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुमार वर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री नवाब सिंह नागर, डा0 विनोद तिवारी, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री लालजी वर्मा, श्री शिव तपस्या पासवान, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम किशुन, श्री धर्मराज निषाद, श्री कालीचरन राजभर, श्री रामहेत भारती, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री दद्दू प्रसाद, श्री विश्राम सिंह यादव व श्री मिथलेश कुमार।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपने निर्देश दिया था कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद आप मुझे सुन लेंगे। मैंने एक सूचना छात्रों के प्रवेश के संबंध में दी थी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 300 ले रहा हूं। आज दिनांक 28-07-2004 का नियम-300 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई।

संविधान के 97वें संशोधन के अन्तर्गत मंत्रिमंडल से हटाये गये मंत्रियों को विभिन्न निगमों/बोर्डों में समायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न

पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की संविधान के 97वें संशोधन के अन्तर्गत मंत्रिमंडल से हटाये गये मंत्रियों को विभिन्न निगमों/बोर्डों में समायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली एन0 डी0 ए0 सरकार ने ...

श्री अध्यक्ष-

देखिये इसी से संबंधित सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना, और माननीय श्री हुकुम सिंह जी की भी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर केवल एक ही माननीय सदस्य बोलें और वह भी केवल ग्राह्यता पर ही बोले।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, वर्तमान सरकार में मंत्रियों की इतनी ज्यादा संख्या थी जिससे प्रदेश की जनता के लाखों रुपये बरबाद हो रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो पहले भी था।

(व्यवधान)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अभी सभी लोगों ने सदन के शान्ति पूर्वक संचालन के लिये आश्वासन दिया था। मान्यवर, पिछली एन0 डी0 ए0 सरकार ने संविधान के 97वें संशोधन के तहत निर्णय लिया था कि

15 प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अन्दर निर्धारित 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री थे, इसलिये माननीय मुख्यमंत्री ने 28 मंत्रियों को हटाने का निर्णय लिया, उन्हें एक तरफ तो हटाते हैं लेकिन दूसरी तरफ लाल बत्ती देते हुये विभिन्न निगमों/बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं, तो इस तरह से जो संविधान की भावना थी उसके विपरीत इस सरकार ने काम किया है। मान्यवर, वित्त निगम का अध्यक्ष वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ही हो सकता है, लेकिन आपने उसमें भी अपना अध्यक्ष बना दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री हो सकता है लेकिन छः महीने के भीतर उसे विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य बनना होगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़कर एम0 पी0 बन गये हैं, विधायक पद से त्यागपत्र भी दे दिया है, लेकिन अभी भी मंत्री बने हैं, वह दोनों हाथों से लड्डू लेना चाहते हैं, सरकार अगर उन्हें हटा दे तो सालाना एक करोड़ रुपये की बचत होगी, और उससे एक महाविद्यालय खुल जाएगा, मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं की क्या सरकार उन्हें हटाने पर विचार करेगी ? मैं अपने इस औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं केवल ग्राह्यता पर बोलूंगा, संवैधानिक बात इतनी है कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है, और प्रदेश सरकार अगर कोई ऐसा काम करती है जो संविधान के प्रतिकूल हो तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही इस सभा के प्रति है। संविधान के इस संशोधन के अनुरूप यह सभा उन निगमों के अध्यक्षों को पद से हटाने के लिये निर्देशित करे। यह सही है कि हमारी कुछ सीमायें हैं, लेकिन हमें इस पर कुछ न कुछ विचार तो करना ही होगा ? मान्यवर, इसलिये मैंने कहा कि ग्राह्य इसलिये है कि संविधान की मंशा क्या थी ? यह जो मान्यवर 97वें संशोधन हुआ है, उसमें हमें यह निश्चित कर देना था कि कितनी संख्या प्रदेश में मंत्रियों की होगी। वह संख्या निश्चित कर दी गयी है। मान्यवर, जो संविधान की आत्मा है, उस मंशा का पालन करना सरकार का दायित्व है। अगर वह उसका पालन नहीं करती है तो संविधान की अवहेलना कर रही है। तो मान्यवर, विधान मण्डल को तय करने का अधिकार है कि जो सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है उसको सत्ता में रहने का अधिकार है या नहीं है। अगर मान्यवर, संविधान की मंशा यह रही होती कि आप एक तरफ तो हटायेंगे और दूसरी तरह से उन्हें पदों पर आसीन करेंगे तो फिर तो इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। सवाल लाल बत्ती का नहीं है, पीली बत्ती का नहीं है। एक तरफ तो उस संशोधन की मंशा के अनुरूप आपने उनको मंत्री के पदों से हटा दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

लेकिन दूसरी तरह से आप उनकी नियुक्ति करके उनको आप राज्य मंत्री का स्तर दे रहे हैं तो फिर इसमें अन्तर क्या रह गया ? इस तरह से तो संविधान की मंशा का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है। मुझे कोई शिकायत इस बात की नहीं है कि आप निगमों में अध्यक्ष न रखें। लेकिन अगर निगमों में अध्यक्षों को बनाने की आवश्यता थी और वह आवश्यकता आप वास्तव में महसूस करते थे तो निगमों के अध्यक्षों को पहले बना दिया जाना चाहिये था। छः महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद जब आप एक तरह का प्रतिबन्ध लग गया कि आपको इन्हें हटाना ही हटाना है तो आपने उसकी एक प्रक्रिया अपनायी। मान्यवर, यह जो कार्यवाही की गयी है कि दूसरी तरह से उनको पदों पर आसीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया है तो यह बात करके संविधान के इस अनुच्छेद की भावनाओं का प्रदेश सरकार ने उल्लंघन किया है। मान्यवर, हम यह जानते हैं कि आप सदन के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुये हैं, आपकी भी सीमायें हैं। लेकिन, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रेरणा के साथ, जिस निष्ठा के साथ संविधान निर्माताओं ने इस संविधान का निर्माण किया था और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने उसके साथ खिलवाड़ किया है उसमें आप इन्हें निर्देश दें कि अगर थोड़ी बहुत भी इनमें शर्म हया बाकी हो तो जो संविधान बना हुआ है उसका यह पालन करें। मान्यवर, यह इसलिये ग्राह्य है कि संविधान की धाराओं का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है, आप इसमें अपना निर्देश देने का कष्ट करें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो यह प्रकरण हम औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपके संज्ञान में लाये हैं यह कांस्टीट्यूशनल एमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। यह संशोधन दो चीजों के लिये लाया गया था एक तो डिफेक्शन को रोकने के लिये तथा दूसरे, मंत्रियों की संख्या सीमित करके खर्चों में कटौती करने हेतु। मान्यवर, जो संविधान में संशोधन की मंशा थी उसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने समाप्त कर दिया। तकनीकी दृष्टि से तो उन्होंने मंत्रियों की संख्या तो कम कर दी लेकिन दूसरी तरह से उन्हें उपकृत करके, संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचायी है।

मान्यवर, इन बोर्डों में राज्यमंत्री स्तर के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पहले भी दिये जाते रहे हैं लेकिन पहले उन पर इतना खर्चा नहीं होता था। जो इस संशोधन की मूल भावना थी खर्चों में कटौती की जाय और डिफेक्शन को बढ़ावा न दिया जाय तो यह कार्य तो उस मंशा के विपरीत हो रहा है। 29 में से 28 मंत्रियों को आपने बोर्डों में स्थान दे दिया है। जो खर्चों में कटौती की मुख्य बात उस संशोधन से जुड़ी थी वह इससे पूरी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपने कह दिया, बहुत है, जवाब भी तो सुनिये।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने से व्यवधान)

अब आप बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 3 करोड़ का बोझ इस सरकार पर इससे पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये और इसका जवाब सुनिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान के प्रति वचनबद्धता एक बार फिर जाहिर की गयी है, इसके लिये इनको धन्यवाद। लेकिन जहां तक इस प्रकरण का सवाल है इसमें शायद स्मरण होगा हमारे साथियों को जो विपक्ष में बैठे हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, जब वह इधर बैठा करते थे तो मंत्रियों की तादाद क्या थी और अब क्या है ? एक सच्चाई तो अब आपने मानी है कि मंत्रियों की संख्या बहुत घट गयी है। दूसरे पर आपका एतराज है कि उन्हें लाल बत्ती क्यों दे दी गयी है ? हुकुम सिंह ने तो उसका रंग बदलने की राय दे दी है, लाल, पीला, नीला करने की बात कही है रंग से उनको कोई आपत्ति नहीं है लाल हो या पीला हो लेकिन रंग मिलना चाहिये। इस बात पर आपकी समस्या है जो निगमों के अध्यक्ष हैं, तो जो निगमों के अध्यक्ष हों वह कोई शख्स हो, नातजुर्बेकार व्यक्ति हो या तजुर्बेकार व्यक्ति हो ? एक ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार

चलायी हो वह निगम चलाये तो जाहिर है कि उसका तजुर्बा कहीं ज्यादा होगा लेकिन कुछ गुजरे जमाने में भारतीय जनता पार्टी नये और ना-अहल लोगों से भी काम लेती रही है यह उनकी लियाकतमंदी थी लेकिन हम उसको नहीं अपनाना चाहते हैं। लेकिन अच्छे तजुर्वेकार लोग इसका काम करे, चुनांचे अच्छे तजुर्वेकार लोगों को काम दिया गया है, आप इसका स्वागत करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नरेन्द्र कुमार गौड़, माननीय हुकुम सिंह, माननीय सुरेश कुमार खन्ना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को मैंने सुना। इसमें किसी भी प्रकार से नियम 300 औचित्य का प्रश्न नहीं बनता इसलिये इसे मैं निरस्त करता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं का उत्तर निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त न होने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

चौथी सूचना श्री सुखदेव राजभर जी की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

उसे अभी लेते हैं।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह सदन संविधान के बाद जो हमारी संविधान की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनाई गयी है उसके तहत सदन का संचालन आप करते हैं। इस सदन में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों अपनी सूचनाओं के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, कुछ जानकारी और समस्याओं के निदान के लिये सूचना देते हैं। नियमावली की पूर्णतया पालन होता है और उस नियमावली में जो भी होता है उसमें परम्परा के अनुसार आप निर्देश भी देते रहते हैं। नियम 301 के अन्तर्गत हम लोग सूचना देते हैं और आप उस पर ध्यानाकर्षित करते हैं । नियमावली में 30 दिन का समय रहता है कि इतने दिन में संबंधित मंत्री या शासन सूचना बनाकर सदस्य को सूचित कर देंगे। मान्यवर, अभी पिछले सत्र में जो सूचना हम लोगों ने दूसरे महीने में 1-2-2004 में 301 की सूचना दी नियमावली में 30 दिन का समय निर्धारित है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रश्नों की ग्रेविटी गिर रही है। प्रश्नों के उत्तर बड़े हल्के ढंग से आ रहे हैं, अधिकारी नियम-301 की सूचनाओं को गौण समझ रहे हैं, पूरी तरह से ग्रेविटी घट रही है और यह हम सभी के लिये चिन्ता का विषय है। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री सहमत होंगे कि इस सदन में प्रश्नों, सूचनाओं के उत्तर आने के लिये एक तिथि एक समय निर्धारित है तो प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तर देने का काम समय पर करने की आदत पड़नी चाहिये। मान्यवर, आज सूचनाओं की सूची पिजनहोल में मिली, उसमें ज्यादातर में विलम्ब का कारण अपरिहार्य लिखा हुआ है, लगभग सबका जवाब ऐसा ही मिला है और बाकी जो सूचनायें हैं, उसके उत्तर में अप्राप्त, अप्राप्त, अप्राप्त लिखा हुआ है, यह अत्यन्त दुख का विषय है। इस सदन में हम लोग बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ शासन, सरकार से प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जवाब देने वाले अधिकारी जो चाहते हैं, उत्तर दे देते हैं और प्रश्नों को बड़े हल्के ढंग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से लेते हैं और वह यह सोचते हैं कि ऐसे प्रश्न और सूचनायें जो लगते रहते हैं। इस बात का दुःख सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को है, अधिकारी, जो जवाब चाहे लिखकर दे रहे हैं। इसी को लेकर मैंने सदन में आज औचित्य का सवाल उठाया है। हम चाहते हैं कि जो निर्धारित समय है, निर्धारित तिथि है, उसके अनुसार अधिकारी पूरे तथ्यों के अनुसार जवाब दें। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि प्रश्नों और सूचनाओं की ग्रेविटी को समझा जाय। मान्यवर, आपसे भी चाहूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दें, दोनों पक्ष के सदस्य मेरी बात से सहमत हैं, आप इस पर कड़ी व्यवस्था दें ताकि जो विलम्ब होता है, वह न हो, यह अत्यन्त दुख का विषय है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

उसूली तौर पर, जब हम उधर बैठा करते थे और जब सरकार में हैं, मैं इससे सहमत हूं। मान्यवर, आप तो इस पर कितना बोले हैं। राजभर जी आपकी बात से मुझे पूरा इत्तिफाक है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, बार-बार चेतावनी भी जाती है, लिखकर भी जाता है, बैठकें भी होती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जवाब आने में किन्हीं कारणों से विलम्ब होता है। एक लम्बा प्रासेस है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं। कि उत्तर समय पर आना चाहिये, इसमें केवल आपका ही फायदा नहीं है, बल्कि हमारा भी है। जवाब में देरी न हो, इस बात का और कड़ाई से पालन कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी यह सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में उत्तर आने में विलम्ब न हो, इसी के साथ यह सूचना अस्वीकार की जाती है।

प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशन होने के उपबन्धों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल और श्री राम नरेश यदव जी की है।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज अपने इस औचित्य प्रश्न के ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं, जिससे पूरा सदन प्रभावित है और सदन ही नहीं, बल्कि पूर्ण उत्तर प्रदेश प्रभावित है। मान्यवर, कृपापूर्वक आप देखें। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 14 के अन्तर्गत अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि विधान सभा की सिटिंग कम से कम 90 दिन की होनी चाहिये और उसमें अन्तराल भी 2 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिये। अर्थात् हर दो महीने पर सदन बुलाया जायेगा और कम से कम 10 दिन के लिये यथासंभव बुलाया जायेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। वर्ष 1950 में 138 दिन, वर्ष 1954 में 110 दिन, 1956 में 112 दिन, 1958 में 96 दिन, 1962 में 103 दिन, 1965 में 82 दिन विधान सभा की बैठकें हुयी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा और मान्यवर, आपको यह जानकार दुख होगा, आश्चर्य होगा कि गत वर्ष 2003 में कुल 4 दिन विधान सभा की बैठक हुयी। इसमें आप एक दिन वर्षाकालीन, एक दिन बजट का और एक दिन शीतकालीन मान लें और एक दिन को जो चाहें, मान लें। कहां 138 दिन और कहां मात्र 4 दिन। नब्बे दिन को तो आप छोड़ दें, 50 दिन, 60 दिन, 40 दिन भी हो जाय तो ठीक है, परन्तु इस वर्ष भी अभी 10 दिन का उपवेशन बुलाया गया और पूरा दिन निकल जाता है, एक क्षण भी कार्यवाही संचालित नहीं हो पाती है। सदन का कार्यकाल घटाकर, सत्रों का कार्यकाल घटाकर उपवेशन का कार्यकाल घटाकर हम उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ज्यादा दिन सदन चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा, गम्भीर विषयों को उठाने का मौका मिलेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था दी जाए और मैं चाहता हूं, कि केवल किताब देख करके व्यवस्था न दी जाए, केवल एक रस्मी जवाब न आ जाये कि किन्हीं कारणों से नहीं चला पाते हैं बल्कि यह व्यवस्था दें कि प्रत्येक 2 माह में 10 दिन के लिये सदन जरूर बुलाया जाए तो अव्यवस्था भी नहीं होगी। कोई घटना घटित हो जाती है और उस घटना के घटित होने के काफी दिनों बाद सत्र बुलाया जाता है, उसी के कारण व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब आप भी कुछ कहेंगे ?

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टीका-टिप्पणी करने पर)

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जब यह लोग हंसते हैं तो कदाचित् इन्हें खुद की शर्मिन्दगी का एहसास भी नहीं होता है। एक औचित्य के प्रश्न पर यह तीन लोग बोल चुके हैं। और हम लोगों ने सुना है। इसलिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा कि सदन की गम्भीरता को बनाये रखें। यह एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध प्रदेश की 18 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ है। कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया है कि जब सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी तब निश्चित रूप से प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने में सहायता मिलेगी। मान्यवर, सदन की कार्यवाही चलने से पूरे प्रदेश की जनता की समस्याओं के ऊपर, जो नौकरशाही है, जो कर्मचारियों की जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना है उसके प्रति उनकी जवाबदेही और संवेदनशीलता बढ़ेगी। सदन के सदस्यों को चाहे वह सत्तापक्ष के सदस्य हों, चाहे विपक्ष के सदस्य हों, उन सदस्यों को ज्वलन्त समस्याओं को उठाने और बोलने का अवसर मिलेगा। आखिर हम लोग निर्वाचित सदस्य हैं, अपने मतदाताओं और जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। प्रदेश में ज्वलन्त समस्यायें उठती है और सदन का आधा उपवेशन खत्म हो चुका है लेकिन अभी तक पिछले 5 दिनों के सत्र में एक दिन भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सका, कोई कार्य-स्थगन नहीं हो सका। आज जिस प्रकार से सदन बाधित हो रहा है.....। मान्यवर, पहले आप बात कर लीजिए, तब मैं अपनी बात कहूं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें, हम उसे सुन रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हम अपेक्षा करेंगे कि पीठ हमारी बात का संज्ञान लेगी। अगर पीठ और हमारे बीच में प्रमुख सचिव आ जायेंगे तो हमें काफी निराशा होगी। मान्यवर, मैं कह रहा था कि जब आजादी के बाद सदन व्यवस्थित चलता था.....

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, पाल साहब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारी मंशा हरगिज़ यह नहीं है कि आपको सिखाया जाए। अध्यक्ष और सचिव के बीच वार्ता न नियमों के विरुद्ध है और न ही परिपाटी के खिलाफ है। हो सकता है कि कोई बात ऐसी बताई जा रही हो जो आपकी वार्ता से सम्बन्धित हो। इसलिए इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। आपने ले लिया मेरे ख्याल से भविष्य में नहीं लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

आपने उसका स्वयं संज्ञान ले लिया है इसलिए मैं उस बात को नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब कितना बोलेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

ग्राह्यता पर तो आप बोलने का अवसर देंगे। अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप बोलिये।

(शोर)

कृपया शांत रहें। माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, उनको आप सुनिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद जब सदन चलता था तो उसके कार्य दिवसों की संख्या-100 से ऊपर होती थी। आज सदन किन्हीं कारणों से अव्यवस्थित हो जाता है या सदन की कार्यवाही बाधित हो जाती है तो पूरा-पूरा दिन सदन की कार्यवाही व्यवधान के कारण नहीं चल पाती और दूसरे दिन तक सदन को स्थगित कर दिया जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि प्रदेश में निरन्तर समस्याएं बढ़ रही हैं। कानून-व्यवस्था, किसानों के, नौजवानों की, छात्रों की समस्यायें हैं। आज बहुआयामी समस्याओं को उठाने के लिये सदन एक फोरम है तो 90 दिन का उपवेशन बुलाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें न तो सत्ता पक्ष और न प्रतिपक्ष को कोई एतराज होगा। आप इस बात का निर्णय दें कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद भविष्य में 90 दिन का सदन का उपवेशन हो। नियमावली में कम से कम 90 दिन का उल्लेख है आप कोशिश करें कि कम से कम 90 दिन सत्र चले जिससे प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके और नौकरशाही को चुस्त-दुरुस्त किया जा सके तथा हम लोग जन समस्यायें तथा अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रख सकें।

*श्री राम नरेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सम्बन्ध में सारे तथ्य आपके सामने आ गये हैं परन्तु इस औचित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं इसलिये कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता अपेक्षा करती है कि सदन में हमारी समस्याओं के सम्बन्ध में बात होगी और सरकार जवाबदेह होगी और सदन भी उत्तरदायी होगा। 90 दिन सदन चलना चाहिए इससे आप भी सहमत होंगे। आप पीठ पर बैठे हैं, इस सम्बन्ध में आप बराबर सवाल उठाते रहे हैं। 1977 में मुझे इस सदन में आने का मौका मिला था उस समय आप देखें तो 67 दिन तक सदन चला है। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि अधिक से अधिक दिनों तक सदन का उपवेशन चले। कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जिससे सदन नहीं चल पाता है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर 90 दिन तक नहीं चल सकता है तो इसमें आपकी व्यवस्था होनी चाहिए कि अधिक से अधिक दिनों तक यह सदन चले और जो समस्यायें बराबर बढ़ती जाती हैं वह सदन के सामने आ सकें और उनका निदान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बल देता हूं। इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इससे सहमत हूं और आपको स्मरण होगा पिछला सत्र जब चला था तब भी चाहता था कि सत्र और चले लेकिन पार्लियामेण्ट का चुनाव आ गया था और सभी नेताओं की सहमति थी और सहमति से भी कुछ ज्यादा सहमति थी कि यह सत्र ज्यादा न चले। इस सत्र के बारे में जबसे शुरू हुआ है मैं क्या बोलूं पूरा सदन जानता है, यह जानते हुए कि बहुत ज्यादा सरकारी कार्य नहीं है इसके बावजूद सत्र को अच्छे-खासे दिन तक चलाने की मंशा है। सत्र ज्यादा से ज्यादा चले मैं इस बात का समर्थक हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपको आश्वस्त कर दिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रयास करेंगे कि सदन 90 दिन चले।

सदन में उत्पन्न अव्यवस्था पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना माननीय ददूदू प्रसाद की, सदन में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होने तथा माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में है।

श्री ददूदू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर सभी नेताओं की बात आ चुकी है, आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

जनपद वाराणसी में हो रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत माननीय श्यामदेव राय चौधरी की जनपद वाराणसी में विद्युत कटौती के सम्बन्ध में सूचना है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, कृपा होगी कि आप औचित्य के रूप में मेरी सूचना को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, नियम-300 औचित्य के रूप में मुझे यह कहना है कि मैं काशी से चुनकर आता हूं और उस क्षेत्र से आता हूं जो काशी का हृदय है। आप जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, कि काशी एक धार्मिक नगरी है और पौराणिक नगरी है तथा सांस्कृतिक राजधानी है, इसके अलावा पर्यटन नगरी भी है। काशी के इन सारे महत्वों को देखते हुए मैं हमेशा मांग करता रहता हूं कि काशी को महत्व दिया जाय और काशी को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाय। मेरे प्रयास और मेरी बात के औचित्य को देखते हुए पिछली सरकारों में काशी को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया था। लेकिन कालान्तर में इसमें व्यवधान आया है। मैंने विधान सभा में प्रश्न भी उठाया, जिसके उत्तर में मुझे बताया गया कि काशी के लिये जो रोस्टरिंग व्यवस्था तैयार की गयी है वह 9 से 1 बजे तक है इसके अलावा कटौती नहीं होगी। मान्यवर, इधर काशी में जबरदस्त विद्युत कटौती शुरू हो गयी है। सुबह कटौती का कोई समय नहीं है साढ़े 6-7 बजे कटौती प्रारम्भ होती है और 4-5 बजे तक चलती है। रात 12-1 बजे कटौती प्रारम्भ होती है जो सुबह 5 बजे तक चलती है इस तरह से वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। जगह-जगह हिंसक आन्दोलन हो रहे हैं। सब-स्टेशन पर जो एस0 एस0 ओ0 है जो कटौती समाप्त नहीं कर सकते, लोग उनसे मारपीट करते हैं। मेरा हिंसक आन्दोलनों में विश्वास नहीं है, मैं गांधी वादी तरीके में विश्वास करता हूं। 24 मई को मैंने पूर्वांचल के प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय के सामने अनिश्चित कालीन अनशन प्रारम्भ किया जिसका संज्ञान माननीय नेता विरोधी दल श्री लालजी टण्डन जी ने लिया, और माननीय नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री जी से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे एक विधायक इस तरह से अनशन कर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि चौधरी जी को अनशन करने की आवश्यकता नहीं थी, मुझसे मिल लिये होते, तो मैंने समस्या का समाधान कर दिया होता। टण्डन जी ने यह बात हमें फोन पर बतायी, मुझे प्रसन्नता हुई, उनका मैं आभारी हूं लेकिन उनसे किसी सदस्य को मिलने का अवसर नहीं मिलता है। मैंने भी प्रयास किया लेकिन कोई दिन निश्चित नहीं। माननीय टण्डन जी से उन्होंने कहा कि आप चौधरी जी से बता दीजिए कि आज से कटौती नहीं होगी। टण्डन जी ने जब फोन पर मुझे यह बताया तो मैंने कहा कि आप बनारस आयें और कार्यकर्ताओं के सामने जो मुख्य मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है बतायें, मैं अनशन तोड़ देता हूं। अपने शरीर को कष्ट देना कौन चाहेगा ? टण्डन जी 27 तारीख को बनारस पहुंचते हैं, जनता और मीडिया के सामने मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसको दोहराते हैं, मुझे जूस पिलाते हैं और मेरा अनशन समाप्त करा देते हैं। वह कटौती समाप्त नहीं की गई। मुझे अफसोस इस

बात का है कि मुख्य मंत्री जी नेता सदन हैं मुख्य मंत्री का कहा हुआ नेता प्रतिपक्ष को दिये हुए आश्वासन की पूर्ति पावर कारपोरेशन के अधिकारियों ने नहीं किया। आज स्थिति उससे भी बदतर है। लोग जगह-जगह हिंसक आनदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि [***] सत्ता में हैं या विरोध में हैं। आपके संज्ञान में है कि मैंने यहां भी हल्ला गुल्ला नहीं किया, न ही आपके आसन या मुख्य मंत्री के असम्मान में कोई बात नहीं कही केवल यहां अनशन या धरना दिया कह सकते हैं। मैं यहां पांच बजे तक बैठा रहा इस मांग को लेकर। उस समय कार्यकारी अध्यक्ष आये और नेता प्रतिपक्ष आये उन्होंने कहा कि दूसरे दिन अध्यक्ष का निर्वाचन होना है उसके बाद वह यह प्रयास करेंगे कि मुख्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य दे दें। इस पर मैंने अपना अनशन या धरना कहिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस के लोग बनारस में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं और नंगे बदन घूमकर प्रदर्शन कर रहे हैं फोटो खिचवा रहे हैं। बिजली की कटौती जहां बनारस के लोगों को झेलनी पड़ रही है वही इससे उनको पानी भी नहीं मिल रहा है बिजली नहीं रहेगी तो पानी भी नहीं मिलेगा और पानी का विकल्प नहीं है। जब मैंने औचित्य में इस बात का उल्लेख किया तो संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि बिजली के बिना भी बनारस के लोगों को पानी मिल रहा है। यह कैसे मिल सकता है ? मुझे नहीं पता वह कौन सी तकनीक है ? अध्यक्ष जी बनारस के लोगों को कष्ट हो रहा है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे भी इस पर दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप बैठ जायें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मैं बड़ा सम्मान करता हूं वह किसी भी दल के हों उनके साथ 1989 से साथ रहने और कार्य करने का मौका मिला है मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरा अनशन समाप्त करवा दिया लेकिन उन्होंने जो वचन दिया उसका पावर कारपोरेशन के अधिकारियों ने पालन नहीं किया। मेरा कहना है कि मुख्य मंत्री जी ने जो वचन दिया है उसका पालन होना चाहिए क्योंकि इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है कि मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि बनारस को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाये ताकि जनता को जो कष्ट हो रहा है वह न उठाना पड़े।

(श्री सतीश महाना के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा लगी है उसमें पूरी बात आएगी। महाना जी, कृपया बैठ जायें। संसदीय कार्यमंत्री जी को इस पर कुछ कहना है।

नोट :-[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जैसी कि आपकी इस पर स्वयं रूलिंग आ गई है कि इस पर चर्चा होनी है मैं चौधरी साहब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप वरिष्ठ सदस्य हैं बिजली न होने की वजह से विद्युत व्यवस्था में अव्यवस्था होने से पानी नहीं मिलेगा ऐसा सम्भव नहीं है इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है, जनरेटर होते हैं उससे पानी दिया जाता है तो पानी में कोई परेशानी नहीं आई है और जहां तक आपने हमारे नेता जी के बारे में कहा कि ऐसी धारणा बन रही है। मेरे ख्याल से मुलायम सिंह यादव जी के बारे में पूरे प्रदेश में और देश में यह कहा जाता है कि 'जिसने कभी न हटना सीखा उसका नाम मुलायम है'।

श्री अध्यक्ष-

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

(श्री सतीश महाना के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। औचित्य वह है जैसा कि आपकी नियमावली में है कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई ब्रात हो।

श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा कांग्रेसजनों के प्रति असंसदीय शब्दों का प्रयोग किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, दो मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, इनसे कहें यह वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। मैं मानता हूं कि आपकी कठिनाइयां होगी। कानपुर में आपको जनता घेरती होगी लेकिन बैठ जायं। आज नहीं। हुकुम सिंह जी आप इन्हें समझाइये तो।

श्री सतीश महाना-

तिवारी जी, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसके बाद आप कह लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से अव्यवस्था न फैलाएं। प्रमोद जी को बोलने दें। आप बैठ जायं आपकी बात का निदान करायेंगे। आप जिद्द न करें। वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं। मेयर भी रहे हैं, लोग बताते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी इस पार्टी का नाम लेकर आदरणीय श्याम देव राय चौधरी जी जो वरिष्ठ सदस्य हैं और जिनसे मैं अपेक्षा नहीं करता कि वे इस तरह की बात कहेंगे। किसी भावावेश में कह गये हैं। आप उसको दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं समझ गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप सुन लें। उन्होंने कुछ जानकारियां चाही हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं। जब इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता का राज था तो इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता से बचाने के लिए हमने श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को समर्थन दिया है और समर्थन मौखिक नहीं है। हमारा समर्थन लिखित समर्थन है और हम इस सरकार को सहयोग कर रहे हैं। यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा समर्थन गुण और दोष पर है। जो जनता की आवाज है उसको हम यहां पर प्रतिध्वनित करेंगे। मान्यवर, जब मुख्य विरोधी दल [***] हो जायेगा। अंग्रेजी में जिसे [× × ×] कहते हैं तो उनकी आवाज को उठाने के लिये .....

श्री अध्यक्ष-

यह शब्द संसदीय नहीं है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

(बी0जे0पी0 के कई सदस्य इस पर आपत्ति करने लगे)

श्री जगदम्बिका पाल-

यह तो बी0जे0पी0 के सदस्यों के लिये नहीं कह रहे हैं, यह तो पार्टी के लिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आप तो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं किसी सदस्य के लिये नहीं कह रहा हूं मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिये कह रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं शारीरिक रूप से नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहा हूं। भरत सिंह के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

जितने टेस्ट कराने की बात हो टेस्ट करा लें साबित कर देंगे।

(व्यवधान)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमांगत)

श्री अध्यक्ष-

जो सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी वह है आठवीं सूचना डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी जी की, प्रक्रिया नियमावली के नियम-311 के उपयोग के आधार एवं सीमाओं के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना

नोट :-[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम इकबाल सिंह जी की है इन्होंने जनपद बलिया में 11 वें वित्त आयोग की धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों को रोके जाने के सम्बन्ध में दी है। दसवीं सूचना श्री श्याम सिंह ने बहेलिया जाति उपजाति अहेरिया को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने की उ0 प्र0 सरकार की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार वर्मा की 11वीं सूचना है, इन्होंने ग्राम्य विकास अधिकारी तथा पंचायत विकास अधिकारी के प्रोन्नत वेतनमान में विसंगति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

सदन में की गई घोषणा के अनुरूप प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर 100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

बारहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है इसमें सदन में की गयी घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर 100 हैण्डपम्प लगाये जाने में जनपदों में व्याप्त ऊहापोह की स्थिति के सम्बन्ध में है, इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि चैम्बर बुलाकर इसमें वार्ता कर ली जाएगी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

13वीं सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की है यह प्रदेश की कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में सदन में उठाये गये प्रश्नों पर पुलिस महानिदेशक द्वारा टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में है। इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। आपको लिखना है तो नियम-63 में सूचना दें।

(व्यवधान)

सदन में की गई घोषणा के अनुरूप प्रत्येक सदस्य के प्रस्ताव पर 100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

14वीं सूचना श्री लालजी वर्मा और श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह) की है, इन्होंने सदन में की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक सदस्य के प्रस्ताव पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों में से 50 प्रतिशत समग्र ग्राम विकास योजना में लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसमें भी वार्ता कर निराकरण कराया जाएगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

15वीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की है इन्होंने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पदों पर प्रशिक्षित पत्राचार/बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। 16वीं सूचना श्री सतीश महाना ने भीषण विद्युत कटौती के कारण कानपुर के उद्योगों के प्रभावित होने तथा शहर में जलापूर्ति की विकराल समस्या के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

यही मामला है सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह औचित्य में नहीं आता है।

उत्तर प्रदेश द्वितीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) का प्रतिवेदन 2001-2006 प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड परिशिष्ट तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय राज्य विद्युत आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) वर्ष 2002-2006 की संस्तुतियों पर राज्य संस्करण का कार्यवाही ज्ञापन†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश द्वितीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) का प्रतिवेदन 2001-2006 प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड (परिशिष्ट) तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) (वर्ष 2001-2006) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार का कार्यवाही-ज्ञापन को संविधान की धारा 243 आई (4) एवं 243 वाई (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, 5, 6, 7 में कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा में दि0 28 फरवरी, 2003 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 28 फरवरी, 2003 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 28 फरवरी, 2003 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लिने की अनुमति दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोट † छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, आप सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। जब हम विभाजन की मांग कर रहे हैं तो आप सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम सरकार को बचाने के लिए नहीं हैं। आप गिन लीजिए।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-13 लेते है।

आज दिनांक 28 जुलाई, 2004 को नियम-311 में प्राप्त आठ सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर और श्री राजेश कुमार की, प्रदेश में कक्षा 11 एवं स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश को लेकर गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(व्यवधान के मध्य)

नोट :- † दिनांक 24-8-2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले आप सदन को व्यवस्थित तो करिए, पहले आप व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

दिनांक 28 फरवरी, 2003 को विधान सभा में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने के प्रस्ताव पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सदन में अगर कोई प्रस्ताव शासन या विपक्ष के प्रति आता है और उसके लिए विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली है उसके अनुसार हर प्रस्ताव पर मत जाना जाता है, अगर कोई सदस्य उस पर अपना विचार रखना चाहता है तो उसको सुना जाता है, उसको केवल आपके द्वारा नहीं टाला जा सकता है। हम मद संख्या-8 के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहते थे। अगर कोई सदस्य किसी विधेयक या किसी प्रस्ताव पर बोलना चाहता है, तो उसे अवसर मिलना चाहिए। आप मर्मज्ञ हैं, आपने भी संशोधन और विधेयक पर बोलने का काम किया है। ऐसी स्थिति में हमारा जो दायित्व है, हम सदन में आते हैं किसी नियम को बनाने के लिए चर्चा करने के लिए और जो विधायी कार्य है यदि उसमें भी आपके आसन की तरफ से हमें यह अधिकार नहीं मिलेगा तो हम सबका यहां बैठना निरर्थक हो जायेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ..... व्यवधान

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब यह मदें ले ली गयी हैं तो उसमें वापस होना संभव नहीं है। जब मद संख्या-8 ली जा रही थी तब यह सो रहे थे अब जब मद संख्या-11-12 आ गयी तो यह कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप विधेयकों के जानकार हैं। जब आप कुछ नहीं बोले तो सदन ने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया तो अब क्या मामला है ? आपकी बात आ गयी है। वर्मा जी अब आप बैठ जाइये। नियम-56 में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी बोलें।

(श्री लालजी वर्मा के अपने स्थान पर न बैठने पर।)

वर्मा जी आपको लिखकर देना चाहिए था। अब आप बैठ जाइए।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चर्चाभित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विरोध के साथ आपके आदेश को स्वीकार कर रहा हूं। आप अपने कक्ष में जब सूचनाएं लेते हैं तो आपने अपने कक्ष में निर्णय लिया था कि यह सूचना जो छात्रों के प्रवेश के संबंध में है इसको प्रश्नकाल के बाद में सुन लिया जाएगा। मुझे खेद है कि उस निर्णय को बदलने के लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई यह जानने का हक समेत सदन को है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

देखिए चैम्बर में क्या निर्णय लिया गया यहां पर यह प्रश्न नहीं आना चाहिए। अब आप विषय पर बोल रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[* * *] अब मैं मूल विषय पर आ रहा हूं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने पूर्व में जो बात कही है यह सदन के विद्वान विधायकों में है। पीठ के निर्णय के उपरान्त उस पर टिप्पणी करना संसदीय नियमों व परम्पराओं के विपरीत है और कदाचित उनका आशय पीठ पर आक्षेप करना नहीं रहा होगा लेकिन उनके शब्दों से यही निकलता है कि यह आक्षेप है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे शब्द को कार्रवाई से निकाल दिया जाये। लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी भ्रमित है इन्हें क्षमा कर दें, मान्यवर।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं क्षमा नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश में कक्षा 11 एवं स्नातक व स्नाकोत्तर कक्षा में प्रवेश को लेकर गभीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, बाजपेयी जी आप बोले।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आज प्रदेश में कक्षा 11 एवं स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश को लेकर गंभीर स्थिति है। इससे छात्रों के भविष्य को लेकर समस्या सामने आ रही है।

आज परिस्थिति उनके परिवार के सामने यह है कि उनका बच्चा उत्तीर्ण होने के बाद भी उसको अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है यह उनके लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी उनकी संख्या, संस्थागत और व्यक्तिगत मिलाकर 24,79,980 थी। जितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या सत्रह लाख इक्यावन हजार एक सौ है। सन् 2000 में छः लाख इक्सठ हजार तीन सौ नौ छात्र उत्तीर्ण हुए, 2001 में छः लाख निन्यानबे हजार तीन सौ निन्यानबे छात्र उत्तीर्ण हुए, 2002 में आठ लाख अठहत्तर हजार पांच सौ उनसठ हजार उत्तीर्ण हुए, 2003 में नौ लाख बाइस हजार पांच सौ अठावन, 2004 में 17 लाख इक्यावन हजार एक सौ एक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या का अन्तर आया है। इन छात्रों को चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्रों के हों अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से इन्टर का भी हाल है। 2000 में पांच लाख अठहत्तर हजार सत्तर बच्चे उत्तीर्ण हुए, 2001 में पांच लाख अट्ठासी हजार एक सौ चौहत्तर, 2002 में पांच लाख उन्नीस हजार चार सौ तिरपन, 2003 में पांच लाख अस्सी हजार तीन सौ तेरह तथा 2004 में इस वर्ष नौ लाख एक हजार छः सौ उन्नीस छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे पास हुए हैं उसका कारण स्वकेन्द्र है। इसी कारण से जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय की स्थिति पैदा हो गयी है। इसी के साथ-साथ सी0बी0एस0सी0 और आई0सी0एस0सी0 के छात्र भी बड़ी संख्या में पास

नोट :-[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हुए हैं। किसी लोकप्रिय सरकार का यह दायित्व होता है कि वह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराये। आज अगर देखा जाय तो स्नातक स्तर पर एक सीट पर दस छात्र प्रवेश की लाइन पर है और कक्षा ग्यारह में एक सीट पर 38 छात्र पड़ रहे हैं। आज इतनी बड़ी छात्रों की संख्या जो है उसका निदान कैसे होगा ? इस प्रश्न पर यह संवेदनहीन सरकार चुप बैठी है। एक बड़ा प्रश्नचिन्ह जनमानस के दिमाग पर लग रहा है कि कैसे प्रवेश लेकर उनके बच्चे अगली कक्षा पायेंगे न तो कालेजों में सीट बढ़ाने की व्यवस्था है और न ही दूसरी पाली करने की चेष्टा यह सरकार कर रही है। आज यह सरकार उन छात्र-छात्राओं को स्ववित्त पोषित संस्थाओं के हाथों में लूटने को छोड़ रही है। इनकी फीस कितना गुना बढ़ गयी है इससे तो आप परिचित ही होगें। इसलिए मैं यह विषय आपके सम्मुख लाया हूं। आज मान्यवर, हो यह रहा है कि छात्र-छात्राएं जगह-जगह आन्दोलन कर रहे हैं, सड़कों पर जाम लगा हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी निर्देश दिया था लेकिन उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा हैं इसके अलावा अध्यापकों की भी कमी है। उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। मानदेय अध्यापकों का विनियमितीकरण भी नहीं हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि निजी संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब छात्र उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ज से पैसा लेकर पढ़ेगा। फिर उनके सामने भविष्य अंधकारमय दिखेगा, रोजगार के अवसर उनके सामने नहीं है, मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सरकार को निर्देश दें कि इस सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर विस्तृत चर्चा कराये और इस पर सम्पूर्ण सदन की भावना को आने दें और प्रदेश की जनता के सामने इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह चित्र जाना चाहिए कि प्रदेश की जनता के विश्वास के अनुसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के विधायक इस सदन में बैठकर इस विषय पर चिन्तित हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह इस समस्या के निदान के लिए प्रयास करें इसके लिए चाहे द्वितीय पाली की कक्षाएं चलाने की व्यवस्था करे, चाहे इग्नू व मुक्त विश्वविद्यालय की व्यवस्था को अधिक प्रभावी करें। मैं सारे सदन की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं, परम्परा की दृष्टि से स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने की कृपा मान्यवर न करें। अन्यथा आप प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे और इस विषय पर सरकार को निर्देशित करें कि उन छात्र-छात्राओं के अन्धकारमय भविष्य को रोशनी प्रदान करने की कृपा करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, आपने हमें इस विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद, मान्यवर, हमारे कन्नौज में इसी समस्या को लेकर पांच छात्र आमरण अनशन पर बैठे थे, यहां के सांसद माननीय मुख्य मंत्री जी के पुत्र है उनसे और यहां के क्षेत्रीय विधायक से यह भी मिले और मैं भी मिला, इन छात्रों को अनशन करते हुए पांचवा दिन हो गया था और इनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी फिर इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, माननीय क्षेत्रीय विधायक ने सांसद महोदय से इस सम्बन्ध में बात भी की और उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान हो जायेगा, इन बच्चों को हम लोगों ने जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक भी थे, जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन खत्म

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करवाया, लेकिन आज तक उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ, यह सरकार आखिर कब तक इस समस्या का निदान करेगी. मान्यवर, एक दिन मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान पढ़ा कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं वरदाश्त करेंगे, मान्यवर, एक दिन हमने शेक्सपियर का भी लेख पढ़ा-''सीजर डज नॉट रांग बट सीजर डज रांग'' इसलिए मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या के प्रश्न पर मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो जैसा अभी बाजपेयी जी ने कहा है कि सरकार दूसरी पाली प्रारम्भ करे या कोई अन्य व्यवस्था इन बच्चों के लिए करे, यह स्ववित्त पोषित संस्थाएं जो पूरी तरह से लोगों को लूट रही है, उनमें भी बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, कन्नौज के छात्र जिनका अनशन तोड़वाया गया था उनका प्रवेश आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर तो कोई ऐसा स्ववित्त पोषित डिग्री कालेज नहीं है, जहां वह प्रवेश पा सकें, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे कार्य-स्थगन के रूप में आप स्वीकार करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना कल थी आज नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, कार्य-स्थगन के माध्यम से शासन का ध्यान प्रदेश की समस्या पर आकर्षित करने के लिए यहां पर विचार किया जा रहा है, मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी भी शिक्षक है और मैं भी शिक्षक रहा हूं, शिक्षा एक ऐसा विषय होता है, जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है वह शिक्षा के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्दर जो परीक्षा की व्यवस्था थी उसे परिवर्तित करके स्वकेन्द्र परीक्षा पद्धति लागू की गई और इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल इस वर्ष 89.50 प्रतिशत रहा। मान्यवर, 90 प्रतिशत रिजल्ट गया है। क्या कालेज के अन्दर छात्र ज्यादा पढ़ने लगे है या शिक्षक ज्यादा पढ़ाने लगे हैं या क्या वहां की व्यवस्था ठीक हो गयी ? मैं समझता हूं कि शायद उसमें कमी ही आयी होगी। इस स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली ने आज प्रदेश में नकल का रोग पैदा कर दिया है। जो अभिभावक बच्चों को पास देखकर जहां पहले खुश थे आज उनके प्रवेश की समस्या को लेकर अत्यन्त दुखी हैं।

मान्यवर, मेरी अनेक प्रधानाचार्यों से बात हुई है जिनके यहां नकल नहीं हुई है वहां का परीक्षाफल 40 प्रतिशत गया है और जहां नकल हुई है वहां का परीक्षाफल 90 प्रतिशत तक गया है ? यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार इण्टर का परीक्षाफल 40 प्रतिशत अधिक गया है। मैंने एक दिन पढ़ा था कि मुख्य मंत्री जी ने इसकी समीक्षा की है और 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन जैसे अनेक घोषणायें होती है वह घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। किसी भी विश्वविद्यालय में एक भी सीट नहीं बढ़ायी गयी है। शायद इसको लेकर एक बड़ा संकट प्रदेश के सामने आने वाला है। इलाहाबाद के अन्दर यूनिवर्सिटी में डिग्री कालेजों में हजारों की संख्या में छात्र प्रवेश की समस्या को लेकर परेशान घूम रहे हैं। वहां इसको लेकर आन्दोलन हो रहे हैं, चक्का जाम की घटनायें हो रही हैं। इसके लिए दोषी है वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति और यह स्वकेन्द्र परीक्षा

प्रणाली। जो आपके स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम है उनमें मनमाने ढंग से शुल्क लिया जा रहा है। वहां शिक्षक ढंग के पढ़ाने को मिलते नहीं है। यह जो निजी क्षेत्र में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बने हैं इनकी समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। यह देखने की आवश्यकता है कि वहां पर कितने शिक्षक स्थायी प्रकृत्ति के हैं। अगर वहां की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो किस तरह से छात्र वहां पर पढ़ सकेंगे ? यह पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न हैं मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि बिना राजनीतिक भेदभाव के सदन की एक समिति का गठन करा दें जो सम्पूर्ण प्रदेश में इस प्रवेश की समस्या पर विचार कर उसके समाधान की बाबत कोई निर्णय ले लें।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में महाविद्यालयों में छात्रों के सामने प्रवेश की विशाल समस्या बनी हुई है। क्योंकि कक्षा 12 के उत्तीर्ण छात्र मारे-मारे घूम रहे हैं। पूरे प्रदेश में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन कर रहे हैं। जिसका कारण है कि छात्रों का प्रवेश महाविद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लखीमपुर जनपद की शिक्षा व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां युवराज दत्त महाविद्यालय है वहां तमाम छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। मान्यवर, जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनके प्रवेश के लिये सरकार उत्तरदायी है। उनके प्रवेश के लिये चाहे तो सायंकालीन कक्षायें चलायी जानी चाहिए या सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्रों को प्रवेश मिल सके। मान्यवर, इसको लेकर कोई घटना हो सकती है इसलिए इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मान्यवर, गोला में डिग्री कालेज है जो महाविद्यालय है वहां छात्रों के सामने प्रवेश की समस्या बनी हुई है। हमारे जनपद में मान्यवर महाविद्यालयों की कमी है। हमारे पैला विधान सभा क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है, डिग्री कालेज नहीं है। वहां के छात्रों के सामने प्रवेश की समस्या है। हमारे यहां विकास खण्ड बाकेगंज में महाविद्यालय की स्थापना करायी जानी चाहिए ताकि वहां के छात्र पढ़ सकें। मैंने मान्यवर, समाचार पत्र में पढ़ा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि दस प्रतिशत सीटें बढ़ायी जायेंगी लेकिन उस बढ़ी हुई दस प्रतिशत सीटों के निर्णय को लागू न करा पाने के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।

इसी तरीके से जनपद लखीमपुर खीरी में महाविद्यालयों की कमी है या तो सायंकालीन कक्षाएं द्वितीय पाली की चलायी जायें या उसमें सीटों की बढ़ोत्तरी की जाय, कोई न कोई व्यवस्था यह सरकार निकाले। मैं मांग करता हूं कि जितने भी छात्र हमारे जनपद लखीमपुर-खीरी के हैं और कक्षा-11 में या बी0ए0 में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनका प्रवेश कराया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि छात्रों की जो समस्याएं हैं कक्षा-11 और बी0ए0 में प्रवेश की, उसमें उनका प्रवेश सुनिश्चित कराया जाय। मैं आपसे मांग करता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का है, अतः सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि विगत सत्र में कक्षा-12 में बड़ी संख्या में छात्र अच्छे परिणाम से पास हुए हैं और यही स्थिति हाई स्कूल में भी है। बात यह भी सही है कि जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छे लड़के पास होते हैं और अच्छे परिणाम से पास होते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

पहले मेरी बात आ जाने दें. मेरी बात सुन लें।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि अच्छी संख्या में और अच्छे परिणाम से और प्रदेश के अच्छे छात्र इन कक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं और बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र विश्वविद्यालयों में कालेजों में आये हैं।

(डा0 नरेन्द्र कुमार गौर के अपने स्थान से उठकर जाने पर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

उत्तर तो सुनते जाइये। इससे जाहिर हो रहा है कि छात्रों के कितने हमदर्द है ? सवाल रख दिया और जवाब सुनना नहीं चाहते ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश के लिए आवेदन किये हैं सरकार बनने के तत्काल बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने कक्षा-12 तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जिसके कारण वह छात्र जो गांव के गरीब का बेटा था जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाता था, बड़ी संख्या में उसमें आशा जगी और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। मान्यवर, जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है उच्च शिक्षा में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पिछली सरकार ने इनकी सरकार ने फीस बढ़ा दिया था जिसके कारण गांव के गरीब का बेटा, किसान का बेटा, बाबू का बेटा, चपरासी का बेटा जो उच्च शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाता था वह भी बड़ी संख्या में आवेदन किये हैं।

(टोका-टाकी से व्यवधान)

माननीय बाजपेयी जी, मैं पूरा जवाब दे लूं अगर मेरे जवाब से संतुष्ट न हों तो पूछ लीजिएगा। कृपया मेरी बात धैर्यपूर्वक सुन लीजिए।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो छात्र बड़ी संख्या में डिग्री कालेजों में, महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं और उत्साहित है, उनके मन में आशा जगी है कि इस सरकार में मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में वह उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, जो पिछली सरकार में निराश हो गये थे। इसलिए सरकार पूरी तरह से छात्रों के हित को देखते हुए सजग है और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया। 22 जुलाई को सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि पूर्व की भांति सभी विश्वविद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालयों में और सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 25 प्रतिशत बढ़ी हुई सीटों को बराबर बनाये रखा जायेगा। आगे भी बढ़ी हुई सीट कायम रखते हुए छात्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रवेश लिया जायेगा।

मान्यवर, इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर कुछ छात्र बच भी जाते हैं तो प्रवेश के सभी विश्वविद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालयों में, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में दूसरी पाली की सांध्यकालीन कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जैसी कि आपको आशंका है कि बड़ी संख्या में छात्र रह जायेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि अब कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित नहीं होगा। यह सरकार सबको प्रवेश दिलाकर उच्च शिक्षा दिलाने का काम करेगी। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्राइवेट डिग्री कालेज

खोलने के लिये सरकार ने मुक्त हस्त से एन0ओ0सी0 और सम्बद्धता जारी करने का काम किया है। पूरे प्रदेश में 800 डिग्री कालेज की सम्बद्धता जारी कर दी गयी है ताकि गांवों में सुदूर में डिग्री कालेज खोलकर बड़ी संख्या में गांव के छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाई जा सकें।

पिछली सरकार में यह बात थी कि चाहे एन0ओ0सी0 देनी हो, चाहे सम्बद्धता देनी हो, बिना पैसे के लेन-देन के काम नहीं होता था और इसी के चलते पिछली सरकार में एक भी एन0ओ0सी0 नहीं दी गयी। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और यह इस ओर लगातार नजर रखे हुये हैं और उनके द्वारा 800 डिग्री कालेज को सम्बद्धता देने का काम किया गया है और उसमें भी इतनी पारदर्शिता है कि कहीं भी एक भी पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है, इस बात को मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं। इसके अलावा अगर कोई छात्र प्रवेश से वंचित रह जाता है तो सरकार के द्वारा संचालित राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली, जिसके उत्तर प्रदेश में और भी केन्द्र हैं, उनको निर्देश दे दिया गया है कि जो भी छात्र उच्च शिक्षा बी0ए0, एम0ए0 में पढ़ना चाहें, तो निश्चित रूप से वह इनमें अपना रजिस्ट्रेशन करायें और जो भी छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन करायेगा, सबको सरकार उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करेगी इसके अलावा सरकार ने 22 जुलाई को एक आदेश और जारी किया है जिसमें सभी मण्डलायुक्तों को, सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि स्नातक कक्षाओं के प्रवेश में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो चाहे विश्वविद्यालय हो, राजकीय महाविद्यालयों हो, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हों, छात्रों को उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार अपनी यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाने का काम करें। मान्यवर, शिक्षकों की कमी की बात कही गयी, मैं बताना चाहता हूं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लगातार शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है, पिछली तिथियों में जो विज्ञापन जारी हुये थे, उनकी भर्ती की जा रही है और भी जो रिक्तियां हैं, उसके लिये उसको निर्देश दे दिये गये हैं। रिक्वीजीशन आ गये हैं और आयोग उसको भी विज्ञापित करके शीघ्रातिशीघ्र प्रदेश के सभी महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में जो भी रिक्तियां हैं, की भर्ती कर शिक्षकों द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था देने का काम किया जायेगा। इसी तरह का अनुरोध लोक सेवा आयोग से भी कर लिया गया है कि राजकीय महाविद्यालयों के जितने भी पद रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भरने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से सरकार शिक्षा के प्रति, छात्रों को प्रवेश दिलाने के प्रति और उच्च शिक्षा के प्रति सजग है, संवेदनशील है और हम समझते है कि कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रह पायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपके माध्यम से मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सरकार की ओर से स्नातक स्तर और उच्च स्तर की शिक्षा के लिए उत्तर आया। कक्षा-11 के प्रवेश के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं आया। इन्होंने कहा कि जितने पंजीकृत छात्र होंगे उनको प्रवेश दिलाया जा रहा है तो जो छात्र 50 प्रतिशत से नीचे है, उनका दाखिला कहां से होगा ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि फीस कम कर दी है, जब दाखिला ही नहीं होगा तब फीस की बात कहां आयेगी। 22 जुलाई के शासनादेश द्वारा पिछली सरकार द्वारा जो 25 प्रतिशत सीटें थीं उनको कन्फर्म किया गया है कि वह यथावत् बनी रहेंगी, इसका मतलब कि सरकार ने नयी कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि दूसरी पाली के छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। इन्होंने कहा कि इग्नू और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन विश्वविद्यालय को निर्देश दिये गये हैं तो मान्यवर यह केन्द्र के विश्वविद्यालय हैं इनको निर्देश देने का

इनको अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार को निर्देश दें कि द्वितीय पाली की शिक्षा की व्यवस्था [illegible] अतिरिक्त शुल्क के की जाए और जो 50 प्रतिशत से नीचे वाले छात्र हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनके प्रवेश के बारे में सरकार व्यवस्था करे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विश्वविद्यालय को निर्देश दे दिये गये हैं। मान्यवर, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है इसलिए कदाचित यह राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। इसलिए मान्यवर, गलत उत्तर न दिया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी स्नातक के महाविद्यालय हैं उनको खोलने की दरख्वास्तें आई थीं और मैंने लगभग 800 को एन0ओ0सी0 दे दी है तो मान्यवर, बस्ती जनपद में एक सूर्य बक्श पाल स्मारक महाविद्यालय, बनकटी बाजार में खोला गया था एक साल के लिए अनुमति भी मिल गई थी, वह दूसरे साल के लिए आज भी विचारार्धीन है और उसको मान्यता नहीं मिल रही है और न ही एन0ओ0सी0 मिल रही है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि एक भी वंचित नहीं है तो मान्यवर, सूर्य बक्श पाल स्मारक महाविद्यालय, बनकटी बाजार, बस्ती जो कि पहले से खुल चुका है उस पर व्यवस्था दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, गौर साहब और अन्य माननीय सदस्यों की बातों को सुना। माननीय मंत्री जी, जो समस्याएं है, वह गम्भीर है, आपने सारी व्यवस्था की है, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप यह सुनिश्चित करायें कि यह सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से काम करे और विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सके।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, द्वितीय पाली में जो छात्र-छात्राएं हैं उनसे अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए और 50 प्रतिशत से नीचे के जो विद्यार्थी है जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उनको प्रवेश दिलाया जाए।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो आशंका है जो जिज्ञासा है अतिरिक्त शुल्क लेने की तो हमारी सरकार तो पहले से ही सजग है, हम फीस को पहले के आधार पर ही करने की कोशिश करेंगे। यह बात आप अपनी सरकार में कहते तो ज्यादा अच्छा था, उस समय फीस बढ़ा दी गयी थी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मंत्री जी, केवल इतना स्पष्ट कर दें कि दूसरी पाली में छात्र-छात्राओं की भर्ती होगी उनसे वही शुल्क लिया जायेगा जो पहली वाली पाली के छात्र-छात्राओं से लिया जायेगा।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

आपकी भावना का ध्यान रखेंगे। मैंने यह कहा था कि जितने भी डिग्री कालेजेज के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं, 800 को एन0 ओ0 सी0 और सम्बद्धता दे दी गयी है। जितने भी डिग्री कालेज होंगे उन सबको सम्बद्धता दी जायेगी।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, इतनी बड़ी समस्या के लिये बजट में कोई प्राविधान होना चाहिये। अतिरिक्त शिक्षक चाहिये, फर्नीचर चाहिये, इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है, कितनी धनराशि का बजट के अन्दर प्राविधान किया गया है ? निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनके ऊपर कैसे लागू करेंगे ? कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर गम्भीरता से जबाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष अब इस पर व्यवस्था दे चुके हैं। इसको किसी दूसरे नियमों में फिर लायें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मंत्री जी दो बातें स्पष्ट कर दें एक तो 50 प्रतिशत से कम अंक वाले छात्र-छात्रायें हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। उनका भी प्रवेश करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि पंजीकरण करके दाखिला करा देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका भविष्य क्या होगा , दूसरे जो शुल्क प्रथम पाली के छात्र-छात्राओं से लिया जायेगा, वही शुल्क दूसरी पाली के छात्र-छात्राओं से लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पीठ पर बैठकर आप माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण देंगे यह अपेक्षा है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां बैठकर जनता की समस्याओं का निराकरण करायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी से अपेक्षा कर दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, दो स्पष्टीकरण पर उत्तर आ जाए। एक तो शुल्क के बारे में दूसरी पाली के छात्र-छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जो प्रथम पाली के छात्र-छात्राओं से लिया जायेगा। दूसरे जिनके 50 प्रतिशत से कम अंक हैं ऐसे छात्र-छात्राओं के पंजीकरण करके प्रवेश की व्यवस्था सरकार करेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, बाजपेयी जी ने जो कहा है उसको दिखवा लेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा और हम पूर्ण तरह से सजग भी हैं कि अतिरिक्त शुल्क न लिया जाये, इस बात को सुनिश्चित करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सारी बातें आ गयीं और निर्देश भी दे दिया गया। माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनके दाखिले का निर्देश दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

क्या 31 जुलाई के बाद भी जो छात्र-छात्रायें बच जायेंगी उनको प्रवेश दिलायेंगे।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

ठीक है, मान्यवर।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरा निजी मामला है इसको सुनने की कृपा करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय सदस्य राम इकबाल सिंह जी के साथ एक घटना घटी है। व्यक्तिगत मामला है इसलिये उसको सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्यों के साथ व्यक्तिगत घटनायें हो रही हैं, ऐसे सदस्यों को अपनी पूरी बात कहने का अधिकार मिलेगा। आप क्यों चिन्तित हैं ? एक सूचना माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है। यह एक स्पेसिफिक घटना के बारे में है इसके बारे में आप कुछ कहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने एक सूचना गन्ने के बारे में दिया है।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बंशीधर राज पाटीसीन हुए)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, लगातार तीन दिन से नियम-311 के अन्तर्गत मैंने सूचना दिया है आज अपने नियम-56 के अन्तर्गत सुनने के लिये अवसर दिया उसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष भावना से प्रेरित होकर के बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश कर रही है और उनका उत्पीड़न कर रही है। पूरे प्रदेश में आज इस तरह के दमनात्मक कार्यों की बाढ़ आ गयी है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शिकार बनाया जा रहा है। मान्यवर, इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं प्रदेश महासचिव श्री बाबू सिंह कुशवाहा जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मान्यवर, कानपुर के कुख्यात अपराधी अफजाल को मोहरा बनाकर एक साजिश के तहत उनको अपराधिक मुकदमें, पोटा, एन0 एस0 ए0, रासुका, की धाराओं में गिरफ्तार करके बहुजन समाज पार्टी की छवि को सरकार धूमिल करना चाहती है।

बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुये जनाधार को देखकर बौखलाहट में सरकार इस जनाधार की धारा को रोकने के लिये और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिये बहुजन समाज पार्टी को पस्त करने के लिए इस प्रकार का घिनौना खेल खेला जा रहा है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 24 तारीख को कानपुर के एस0 एस0 पी0 ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसकी कापी मेरे पास मौजूद है आप चाहेंगे तो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। उसमें यह लिखा है, कानपुर में एक अफजाल नाम का अपराधी पकड़ा गया है, उसको सिविल लाइन में पकड़ना दिखाया गया है। हकीकत यह है कि यह बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है इसके सात भाई हैं और सातों कुख्यात अपराधी हैं। मैंने अपने कानपुर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता करवाया है कि यह कुख्यात अपराधी है और कई महीने नैनी जेल में बन्द था। [x x x] कि तुमको अपराधिक मुकदमों से बरी कर दिया जायेगा। इसी साजिश के तहत उसको जेल से निकाला गया और जेसे ही वह नैनी जेल के गेट से बाहर आता है ..

वैसे ही अफजाल अपराधी पकड़ा जाता है। पकड़ा कैसे जाता है। इलाहाबाद में फूलपुर के एक [× × ×] हैं उन्होंने उसके लिये गाड़ी भेजने के लिये कहा था। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को भेजकर गाड़ी दिया जैसे ही वह गाड़ी में बैठा वैसे ही एस0 ओ0 जी0 की फोर्स पकड़ लेती है और इलाहाबाद में सिविल लाइन में स्थित बांदा के [× × ×] जो समाजवादी पार्टी के [× × ×] हैं वह इलाहाबाद के रहने वाले हैं बड़े व्यापारी हैं उनके होटल पर फूलपुर के [× × ×] जो समाजवादी पार्टी के [× × ×] वह होटल बांदा के समाजवादी पार्टी के [× × ×] का होटल है उसको बिठाकर साजिस की जाती है कि किसी तरह से इसमें बहुजन समाज पार्टी के ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में सक्रियता से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको उसमें फंसाया जाय। उसी साजिश के तहत श्री नसीमुद्दीन जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के और श्री बाबू सिंह कुशवाहा जो प्रदेश के महासचिव हैं साथ ही साथ इस विधान मण्डल के सदस्य भी हैं वर्तमान में वह विधान परिषद् के सदस्य हैं उनको इस साजिश के तहत फंसाया जा रहा है जिससे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ा जा सके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी जो तमाम मनुवादी पार्टियों के सामने डटकर खड़ी है उसको पिछाड़ने का काम किया जा सके। अफजाल जो पेशेवर अपराधी है उससे यह कहलाया गया कि विपक्ष के दो नेताओं ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो बड़े नेताओं को जान से मारने के लिये मुझे पांच लाख की सुपारी, पेशगी दी है। यह मामला गम्भीर है वर्तमान विधान मण्डल के सदस्य का मामला है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह कौन से दो नेता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के जिनको मारने के लिये सुपारी दी गई है तो वह नाम नहीं बता पाया और उसने कहा कि मेरा भाई अतीक नाम जानता है। यह बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है। उनके मान मर्दन के लिये अपराधियों का सहारा लिया जा रहा है। अपराधियों को मोहरा बनाकर उनका मान मर्दन किया जा रहा है। हमारे प्रदेश महासचिव श्री बाबू सिंह कुशवाहा पर यह आरोप लगाया गया कि 100 कि0ग्रा0 आर0 डी0 एक्स0 विस्फोटक पदार्थ उन्होंने मुहैया कराया था। इस प्रकरण की जांच हुई थी और वहां की पुलिस ने इस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के दोनों नेताओं को फंसाने के लिये फिर से उनका नाम जोड़ा जा रहा है।

नोट :- [x x x] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह बहुत ही गम्भीर मामला है श्री नसीमुद्दीन और श्री बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच होनी चाहिये या मा0 उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके और यह साफ हो जाए कि कौन अपराधी है, कौन नहीं ? एक ओर समाजवादी पार्टी के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या पार्टी के अन्य पदों पर आसीन लोगों के आपराधिक मुकदमों को राजनीतिक मुकदमा बताकर हटाया जा रहा है और उनको अपराध मुक्त करने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के निर्दोष लोगों जिनके खिलाफ एक भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है जिनका कोई अपराध नहीं है उनको साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और अपराधियों को अभयदान दिया जा रहा है।

मान्यवर, मै आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह परम्परा पड़ जायेगी तो यह नहीं भूलना चाहिये सत्ता पक्ष के लोगों को कि यह जो सत्ता पक्ष की लाबी है, यह परमानेन्ट नहीं होती। हम कल वहां थे आप यहां थे। अगर यह परम्परा पड़ जायेगी तो यह प्रजातंत्र पर घातक होगा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर भी घातक होगा। (***) और दूसरी और ऐसे लोग जो निर्दोष हैं, उन पर फर्जी मुकदमें लगाकर उन पर पोटा लगाना चाहती है। इसीलिये मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है और अविलम्बनीय भी है इसलिये मैं चाहता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सही-सही जांच होनी चाहिये और इसीलिये हम चाहते हैं कि आपकी पीठ से कोई निर्देश दिये जायें कि इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाय या मा0 उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाय। जो सरकार इस साजिश में शामिल है, उससे हम न्याय की अपेक्षा नहीं करते और न उससे कोई न्याय मिलेगा। मैं पुनः आपसे निवेदन के साथ आग्रह करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

* श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपने नियम-56 के अन्तर्गत दो माननीय जन प्रतिनिधियों के दुःख दर्द को सुनने के लिये मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और इसकी ग्राह्यता आप इससे मान लें कि दो जन प्रतिनिधि जो पिछली सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, दो नहीं तीन बार विधान सभा के सदस्य चुन कर आये हैं। ऐसे माननीय सदस्यों के प्रति जो जनसेवक हैं, उनके बारे में मान्यवर, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे दो लाइन कह दे रहा हूं। बरामदगी की फर्द है। आपको उसमें से बता रहा हूं। इसमें लिखा है कि इनको बुलाया गया कि अफजाल नाम का एक व्यक्ति जो कि अपराधी है, इलाहाबाद में है, उसको पकड़ लिया जाय। इसमें साफ लिखा है कि मेरे पास ड्राइवर नहीं था मैं खुद गाड़ी चलाकर गया। ट्रक के पीछे छिपा हुआ

नोट :-(***) यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। यह 8.30 बजे वहां पहुंचते हैं और 8.40 पर उसको पकड़ लेते हैं। एक आदमी अखबार में कुछ लपेट कर लाता है। बताया जाता है कि उसमें कट्टा था। मान्यवर, यह उस अफजाल को पकड़ लेते हैं जो कि अबू सलेम के ग्रुप का आदमी है जो कि दाउद इब्राहिम के ग्रुप का आदमी है। मान्यवर, यह फर्द है, इसमें लिखा हुआ है, हम आपको दे देंगे। इसमें लिखा है कि इन लोगों ने अपना परिचय देकर तलाशी ली। मान्यवर, 8.30 पर यह पहुंचते हैं और 8.40 पर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। बताते है कि कट्टे में एक कारतूस फंसा हुआ था। इस आदमी को पकड़ने के लिये एस0आई0 को बहुत बहादुर बनाकर भेजा गया है। इसके बाद खबर आती है कि कानपुर जल्दी से आइये वहां पर एक फैक्ट्री में बहुत सारा विस्फोटक सामान पहुंच गया है। देर हो रही है अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो कानपुर में घटना हो सकती है। वहां कानपुर में कौन है अतीक, अफजाल का भाई फर्द में है कि अबु सलेम और दाउद इब्राहिम को पकड़ते हैं एफ0आई0आर0 होती है तो पता चलता है कि विस्फोटक सामान कैसे मिला है पूर्व खनिज मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के लिए बताया गया कि पहाड़ उड़ाने वाला विस्फोटक पदार्थ बचा लिया था। बाबू सिंह कुशवाहा हमारी पार्टी के महासचिव हैं और इस प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं। माननीय सदस्य उनके पास जाते होंगे बाबू सिंह कुशवाहा जी के बारे में जानते होंगे उनके ऊपर कभी धारा-151, 107 का मुकदमा तक नहीं रहा है और इनके लिए प्रेस नोट में कहा गया है कि बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा विस्फोटक सामान दिया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के लिए कहा गया है कि 'अतीक व रफीक ने सत्ता पक्ष व विपक्ष के राजनेताओं की हत्या का ठेका 35-35 लाख रुपया में लिया है जिसमें पांच-पांच लाख रुपया पेशगी की, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पूर्व मंत्री ने मेरे भाई अतीक को दिया है जिन व्यक्तियों की हत्या होनी है इसकी जानकारी अतीक को है।'' मान्यवर, इस सब षडयन्त्र के बाद प्रेस नोट पुलिस ने जारी किया है पुलिस के लोग नेता हो गये पुलिस वाले प्रेस कान्फ्रेन्स कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं पुलिस पुलिस होती है नेताओं को ठीक करना जानती है इसमें फर्द में लिखा है कि ''इस षडयन्त्र में नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा की अहम भूमिका है जो इस प्रकार के अपराधिक षडयंत्र करके अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और गिरोह के माध्यम से सत्ता एवं विपक्ष के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाना चाहते हैं तथा प्रदेश व समाज में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं।'' बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी राष्ट्रीय सचिव है और इस विधान परिषद् के सदस्य हैं। विभिन्न समितियों की कार्यवाही देख लें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के आचरण के लिए उनको हम बधाई देते हैं आज पुलिस उनके खिलाफ प्रेस नोट जारी कर रही है संसदीय कार्य मंत्री जी की जगह बलराम यादव जी बैठे हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के लिए इस तरह से फर्द तैयार होगा तो तलवार की धार दोनों तरफ निकलेगी। फर्जी बयानों पर फर्द बनेगा, तो पुलिस के मुंह खून लग जाएगा वह हमारे बलराम यादव जी के खिलाफ फर्द तैयार कर देगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 35 लाख रुपया दिया है, तो उजागर करें वह कौन लोग हैं जो सत्ता व विपक्ष के दो नेताओं की हत्या कराना चाहते हैं इससे ज्यादा और क्या होगा ? दिल टूट गया है। इस तरह से मान्यवर, फर्द तैयार किया जाएगा, तो लोकतंत्र टूट जाएगा, हम लोगों का दिल टूट जाएगा, इन्सानियत टूट जाएगी। प्रदेश में पुलिस प्रशासन फर्द तैयार करेगा, तो कोई नहीं बच पाएगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

राजभर जी, सारी बातें मौर्या जी ने कह दी है।

श्री सुखदेव राजभर-

यदि परम्परा बने तो फांसी दे देना। मैं पीठ से अनुरोध करूंगा कि यदि परम्परा है तो बाबू सिंह और नसीमुद्दीन को फांसी लगा दी जाए। आज पुलिस ने जो यह फर्द तैयार की है, यह उसका प्रेस नोट है, यह सब पुलिस की साजिश है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समय हो गया है, अभी और सदस्यों को बोलना है।

श्री सुखदेव राजभर-

आप आसन पर हैं, मुझे विश्वास है, बलराम यादव जी भी यहां पर बैठे हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन एक निवेदन मैं कर रहा हूं, पुलिस ने जिस तरह से साजिश की है, 168 के आधार पर क्या दोनों व्यक्तियों को फांसी दे देंगे। मैंने आपको अपनी पीड़ा बता दी है। मैं पीठ पर भरोसा रखता हूं, आप किसी माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा अथवा आप इस प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच करा लें। पुलिस का जो यह पूरा फर्द है जो उसका प्रेस नोट है, आप इसे पढ़ लें। मुख्य मंत्री जी भी ऐसे प्रेस नोट नहीं करते होंगे। इंसानियत के आधार पर मानवता के आधार पर और न्याय के आधार पर पुलिस की इस लम्बी साजिश और इसमें किन-किन का हाथ है, इसकी जांच के लिए आप निर्देश दें। चाहे आप इसकी सी0बी0आई0 से जांच करा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरा निवेदन है कि इसकी ग्राह्यता के आधार पर आप जांच करवा दें। जो प्रेस नोट और फर्द पुलिस द्वारा तैयार की गई है उसको पढ़कर निश्चित रूप से पता चलेगा कि इसमें षड़यन्त्र और साजिश रची जा रही है और निश्चित रूप से यह नसीमुद्दीन और पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहता हूं, माननीय उच्च न्यायालय के किसी जज से आप जांच करवा दें या इसकी सी0बी0आई0 से जांच करवाई जाए और इस मामले पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा करायी जाए।

* श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, जिस कार्य-स्थगन की सूचना पर माननीय सुखदेव राजभर जी बल दे रहे थे और इस सदन में जितनी बात उन्होंने कही है और जितनी बात उन्होंने देखी है, इन दोनों में बड़ा विरोधाभास है लेकिन मैं इसके अर्निहित बिन्दुओं पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक रिवाज चल पड़ी है, जांच करा लें, कार्यवाही का अंश देख लें।

मान्यवर, मैं आश्वस्त करता हूं कि आज के दिन की जो वीडियो रिकार्डिंग हुयी है अगर सुखदेव राजभर जी को सर्टिफिकेट के रूप में दिखाने की आवश्यकता हो तो हम वह उन्हें भिजवा देंगे। मैं 2-3 बातें और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन में जिस बात की अनिवार्यता होती है उसकी सुनिश्चितता होनी चाहिए। एक शब्द भी आपने इन 3 बिन्दुओं पर बल देने वाला नहीं कहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं एक तथ्यात्मक तौर पर बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गठन के पहले दिन से ही कहा था कि यह सरकार राजनीतिक विद्वेष की भावना से किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जिस सी0बी0आई0 की आपने बात की है। एक नेता के मामले में सी0बी0आई0 जांच कर रही है और रोज सी0बी0आई0 पर उंगली उठाई जा रही है और आज उस सी0बी0आई0 पर उंगली उठाने वाले लोग आज सी0बी0आई0 जांच की मांग कर रहे हैं, यह तो बड़ी ही हास्यास्पद बात है।

(श्री सुखदेव राजभर के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

कहें तो मैं उस नेता का नाम ले लूं। मान्यवर, आज पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जिसने खुद अपराध स्वीकार किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जब तक सारे तथ्यों को सुनिश्चित नहीं कर लेगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाये, अपराधियों को पालने का काम किया जाये, सुपारी के लिए एडवांस दिया जाये।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने स्थान पर बोलने के लिए खड़े हो गये।)

श्री अधिष्ठाता-

मौर्या जी आपको सबने सुन लिया है तो कम से कम माननीय मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अगर यह उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश से किया जा रहा है तो मेरा निवेदन है कि इसमें मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सी0बी0आई0 से जांच के निर्देश दिये जा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

जिस घटना के बारे में आपने सूचना दी है और उसकी पृष्ठभूमि में जितनी बातें कहीं हैं इसलिए मुझे यहां कहना पड़ा। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि 29 अगस्त को इस सरकार का गठन हुआ था। 11 महीने हो गये हैं। आज 28 जुलाई को सदन में बैठे हैं। इन 11 महीनों के कार्यकाल में, जितनी पीड़ा हमारी थी, चाहे वह पहले राजा भईया पर ढाये गये जुल्मों के बारे में रही हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याओं की पीड़ा रही हो, यह जो भी काम आप लोगों ने किया था, इसमें भी हमने अपने दिल पर काबू रखा, अपनी पीड़ा को दबाये रखने का काम हमने किया है। बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह [x x x]

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, यह तरीका नहीं है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्टाता-

माननीय मौर्य जी कृपया धैर्य से सुनें। जब आप बोल रहे थे तो सब लोग धैर्यपूर्वक आपको सुन रहे थे। अब आप इनका उत्तर भी सुन लें। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहती है कि कोई भी कार्यवाही ऐसी नहीं होगी जो फर्जी हो।

श्री अधिष्टाता-

माननीय मौर्य जी, कृपया बैठ जायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यहां उपस्थित बी0एस0पी0 के बहुत बड़े नेता के परिवार के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आयी थी लेकिन बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। हम किसी राजनैतिक विद्वेष के कारण कार्यवाही नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन वही कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी की दाढ़ी में अगर तिनका आ जाय तो हम क्या करें ? मेरा इशारा मौर्य जी की तरफ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इससे आपको इतना आशंकित होने की जरूरत नहीं है। यह सरकार इस बात की चिन्ता करती है कि जब-जब माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी या अन्य किसी सदस्य ने किसी माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न उठाया है तो बड़े ही संवेदनशील तरीके से इस सरकार ने उसकी सुरक्षा को बन्दोबस्त किया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक कोरी कल्पना के आधार पर यह सूचना दी गयी है। इसमें कोई बल नहीं है। मान्यवर, 23-7-2004 को बिल्लू सक्रिय गिरोह के अफजाल नाम अपराधी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गयी तो जो तथ्य सामने आये हैं उससे आपको चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति आश्वस्त हैं। जब तक सुस्पष्ट और पुष्ट सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिलेंगे तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर आप अपराधियों को पालने का काम कर रहे हैं तो वह काम तत्काल बन्द कर दें। इस सूचना पर कोई बल नहीं है और यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि उस अपराधी को नैनी जेल से मंगाने के लिए इलाहाबाद फूलपुर के सपा के [x x x] ने गाड़ी भेजी थी और वह पकड़ा गया था बांदा के [x x x] के होटल में। [x x x] की सुनियोजित साजिश के तहत यह हो रहा है इसलिए मैंने यह निवेदन किया है।

श्री अधिष्टाता-

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी के साथ-साथ कानपुर के एस0एस0पी0 खुद सारे काम कर रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जांच स्पष्ट होनी चाहिए और यह जांच सी0बी0आई0 या हाई कोर्ट के

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्टाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जज के माध्यम से करायी जानी चाहिए। मान्यवर, हमारा यह अधिकार है, हमें यह मालूम हो कि कौन से ऐसा नेता है, उनका नाम खुलासा हो।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्य जी बैठ जायें। यह सूचना ग्राह्यता में नहीं आती है इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं। अब मैं अगली सूचना जो कि श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री विवेक बंसल, श्रीमती अमिता सिंह, श्री राम नरेश यादव, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री चन्द्रदेव राम यादव तथा श्री धर्मराज निषाद की है, को ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x]

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्या जी जो बोल रहे हैं अब वह कतई नहीं लिखा जाएगा।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[× × ×]

(तत्पश्चात् बसपा के सदस्यगण सदन त्याग कर चले गए।)

श्री सदस्य-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इस विषय पर हमें भी दो मिनट बोलने का मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

आपका प्रस्ताव तो प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया मूल्य का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, नियम-56 में जो आपने प्रदेश के गन्ना किसानों की बकाया मूल्य से सम्बन्धित सूचना को स्वीकार किया है तो उसी में इस सूचना को भी स्वीकार कर लें।

(बसपा के सदस्यगण सदन में वापस आ गए।)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं जो माननीय विधायक श्री घूरा राम को जान से मारने की सुपारी देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी माननीय विधायक की जान को खतरा है एक अपराधी ने पुलिस के सामने डी0एम0 और एस0पी0 के सामने ....

नोट :-- [* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर मैंने निर्णय ले लिया है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, अगर किसी सदस्य की जान को खतरा है तो मान्यवर आप माननीय सदस्य को अपनी बात कहने के लिए एक-दो मिनट दे दें। आप कह दें कि माननीय सदस्य की जरूर सुनेंगे, लेकिन वह अपनी बारी की प्रतीक्षा तो करें।

(व्यवधान)

(कई सदस्यगण एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा माननीय मौर्य जी ने उठाया था, उससे सम्बद्ध सूचना हमने भी दी है, अभी आप कृपा कर सुन लें या श्री घूरा राम जी की बात पहले सुन लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

घूराराम जी की बात को पहले सुन लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जब सदस्य का व्यक्तिगत मामला होता है तो उनकी बात पहले सुनी जाती है। पक्ष और विपक्ष के परे उनकी बात पहले सुनी जाती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय राम इकबाल सिंह जी का भी अपना मामला है। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि उनको सुन लेंगे।

श्री घूरा राम-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस गरिमामय सदन में बड़े ही दुख के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं। क्योंकि हम लोग जब विधायक चुनकर आते हैं, (इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) तो विधायी कार्यक्रमों को करने के लिये यहां आते हैं लेकिन जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र की जनता की बात सुनते हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं समरसता कायम करने वाले लोग हैं उनकी मदद भी हम लोग करते हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसमे अपराधी प्रवृत्ति के लोग नाराज भी हो जाते हैं। मान्यवर, कुछ दिन पहले 17 तारीख को पुनः जिला प्रशासन ने बड़ी ही बहादुरी के साथ बिहार की राजधानी पटना से एक कुख्यात अपराधी पुनीत सिंह को पकड़ लिया था। वह जब पकड़कर लाया गया तो उसने बड़े ही निर्भयतापूर्वक अपने बयानात दिये कि उसने सैकड़ों कत्ल, अपराध और अपहरण की घटनायें की हैं। तमाम पेपरों में दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान आदि में इसकी बाबत समाचार भी छपे हैं जो मैंने आपको दिखाये हैं आपको उसकी प्रतियां दे भी दूंगा। मान्यवर, उससे सम्बन्धित समाचार सहारा के इलेट्रानिक मीडिया पर बराबर 18 तारीख को आता भी रहा।

मान्यवर, वह पुनीत सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस प्रशासन के सामने कहा, जब एस0 पी0 ने उससे सवालात किये, तो उसने कहा कि वह अनेक बार बलिया आया है और रसड़ा उसका मुख्य स्थान ठहरने का रहा है। उसने यह भी बताया है कि उसने अनेक हत्याएं की हैं गाजीपुर में

मैनेजर सिह की हत्या की, सोनभद्र, मिर्जापुर, मुम्बई और लखनऊ में अनेक अपराध किये हैं और अनेक स्थानों पर पकड़ा भी गया है। पुर्नात सिंह ने यह भी बताया कि वे मेरी (घूराराम की) हत्या करने के लिये जा रहा था, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई तो मैं बसन्तपुर में उसने चार व्यक्तियों का नरसंहार किया, आपराधिक घटनाएं की हैं नरसंहार किया है। मुझे सुपारी दी गयी है घूरा राम को जान से मारने के लिये। जब एस0 पी0 ने पूछा कि किसने सुपारी दी है तो उसने बताया कि बबलू सिंह नामक खूंखार अपराधी ने बताया कि किसी नेता के इशारे पर वह यह सब करने जा रहा है। तो उससे पूछा गया कि माननीय विधायक जी की हत्या तुम क्यों करना चाहते हो तो उसने बताया कि इससे पूरे बलिया में उसका बर्चस्व हो जायेगा। अजय अग्रवाल के अपहरण की घटना मान्यवर, वहां की गयी है। 50 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। मिल जायेगा। मान्यवर, जो बातें सामने आई हैं साक्ष्य से और अजय अग्रवाल के अपहरण काण्ड से उसमें यह बात आ गयी है कि इन अपराधियों के पास एल0 एम0 जी0, एस0 एल0 आर0, कार्बाइन और तमाम हथियारों का जखीरा मौजूद है।

मान्यवर, उनका गिरोह बलिया में, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया पूरे पूर्वान्चल में तथा लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई सब जगह उसने बताया कि बहुत बड़ा पूरा गिरोह है। उसने धमकी दी पुलिस अधिकारियों को मारने के लिए, उसने मुझे भी टेलीफोन से धमकी व सूचना दी है, मुझे निश्चित उसके साथियों ने धमकी दी है कि जान से मार डालूंगा। एक दिन मेरे भाई को दौड़ाया और मेरे भाई ने गाड़ी के साथ सेवरा चौकी में भागकर अपनी जान बचाई। इसी तरह से चिलकहर सैन्ट्रल बैंक में डकैती पड़ी थी डकैतों ने उस बैंक में चौकीदार एवं कैशियर को गोली मार दी थी लेकिन मेरे भाई ने जान को हथेली पर रखकर अपने गार्ड के साथ दौड़ाकर अपराधी को पकड़ लिया था आज वह अपराधी जेल से बाहर है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन को खतरा है और इतने बड़े-बड़े अपराधियों ने जान से मारने के लिए धमकी भी दी है, पूरे परिवार को मेरे भाई को जान से मारना चाहते हैं, पूरे परिवार को नष्ट कर देना चाहते हैं। मान्यवर, मैं किसी का विरोध करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरी तरह किसी भी विधायक को मारने के लिये किसी तरह की सुपारी दी जाय तो उसको भी सुरक्षा दी जाय लेकिन मेरा अनुरोध है कि मेरी सुरक्षा के लिये भारी व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सही है कि 17-6-2004 को एक अपराधी ने इस बात को कुबूल किया, आपको खतरा है इसकी सूचना दे दी है, यह गम्भीर मामला है, इसको गम्भीरता से लिया जायेगा और जो भी सख्त से सख्त न्यायोचित कार्रवाई होगी, की जायेगी। सुरक्षा के सम्बन्ध में इस सिलसिले में बात करूंगा और इसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य की जान पर, माल पर, इज्जत पर कोई खतरा हो और सरकार उसको बढ़ावा देगी, यह बात बिल्कुल जेहन में न लायें। यह बात निकाल दें कि यह सरकार उसको गम्भीरता से नहीं लेगी। आज हम इधर हैं आप उधर है आने वाले समय में कौन कहां होगा लेकिन हम सभी लोग इस हद तक अपने को नीचा न कर लें कि माननीय सदस्य की जिन्दगी आज खतरे में पड़ी हो और सरकार खामोश तमाशाई बनी रहे, ऐसा कतई नहीं होगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम अभी विशेष उल्लेख में आता है।

श्री इरशाद अहमद-

मान्यवर, मुझे सुन लें।

(कुछ सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

व्यक्तिगत मामला होता तो अलग बात थी उसमें माननीय सदस्य को विशेष अवसर दिया जाता है।

यह चौथी सूचना है--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री हुकुम सिंह जी, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री धर्मराज निषाद जी और डा0 विनोद तिवारी जी की यह 311 में थी यह परिवर्तित होकर 56 में आई हैं। ग्राह्यता पर 2 ही होते हैं लेकिन इस पर ध्यानाकर्षण करना था। यह महत्वपूर्ण विषय है आप कुछ कहना चाहें तो कह लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मुझे पहले अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब को कहीं जाना है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मुझे भी जाना है। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मुझे पहले दो मिनट दे दें, मुझे कहीं जाना है।

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने प्रदेश के गांवों में रहने वाले 80 प्रतिशत किसानों के पिछले पेराई सत्र के भुगतान न होने सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी। आप स्वयं एक किसान परिवार से सम्बन्धित हैं। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के पास कैश क्राप यानि नकदी फसल के नाम पर गन्ने की खेती ही है। अभी पिछले साल की बुवाई सत्र का इस सरकार पर 580 करोड़ 25 लाख रुपया बाकी है। इसके साथ ही इससे पिछले 2 बुवाई सत्रों का भी पैसा देना बाकी है। कल राज्य सरकार ने एक बयान दिया है कि हम 31 जुलाई तक पेमेन्ट करा देंगे। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं कि गन्ने की पर्चियां जिन किसानों के पास हैं, अगर उनके खिलाफ आर0 सी0 जारी हो रही है तो उसमें उनके धन का समायोजित किया जाय और उनको तहसील के लाकअप मे बंद न किया जाय, सरकार की तरफ से यह आश्वासन आ जाय। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को है, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि निजी चीनी मिल मालिकों ने पिछली बार का 232 करोड़ रुपया नहीं दिया है, पिछली बार जब 95 रुपये क्विंटल दाम घोषित हुआ था, उसका 232 करोड़ रुपया बाकी है, वह एरियर किसानों को दिला दिया जाय, क्योंकि

मिल मालिकों ने 82-84 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया थां अन्त में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरा प्रश्न है, जिसमें मैं राजनीति को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता। यह ऐसा प्रश्न है जो सारे प्रदेश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ है, यह प्रश्न केवल किसानों से ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। मैं केवल कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो चूंकि मैं बिन्दुवार अपनी बात रख रहा हं, अतः उसी प्रकार उत्तर भी आये। वर्ष 2001-2002 में प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 95 रुपये और 100 रुपये की दो दरें रखी थीं। सामान्य जाति की 95 रुपये और अरली वैराइटी की 100 रुपये, उस समय केन्द्र सरकार द्वारा 64 रुपये की दर निर्धारित हुई थी और चीनी का भाव साढ़े 1100 रुपये प्रति क्विंटल था। उसके बाद सरकार ने 2002-2003 में भी कीमत नहीं बढ़ाई और 95-100 रुपये प्रति क्विंटल की दर दिलवाई गयी। इस पर मिल मालिक हाईकोर्ट में चले गये और उन्होंने स्थगन आदेश ले लिया प्रदेश सरकार का निर्णय होने के बावजूद भी आमतौर से 91-92 रुपये तक पेमेन्ट किया गया, तब हमने उस समय दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद कार्यवाही चलती रही, इसमें एक बिन्दु यह है कि भले ही उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद पेमेन्ट न हुआ हो, लेकिन हमने तत्कालीन केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी से आग्रह करके यह कहा था कि न्यायालय में प्रकरण चलता रहेगा, लेकिन किसानों को गन्ने का भुगतान हो जाय और उन्होंने इसके लिये विशेष पैकेज स्वीकृत किया था। लगभग पौने छः करोड़ रुपये का पैकेज था। हमने एक-एक किसान का हिसाब लगाकर सरकार को भिजवा दिया और उन्होंने पैसा भिजवा दिया। एक बात आ रही है शर्तों के साथ तो मान्यवर, एक निश्चित समय दिया गया था, निश्चित ब्याज दर थी कि उनके अनुकूल पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह आपका कहना है, पैकेज दिया, पूरे देश के किसानों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब तो सच बोलिये, पिछले सत्र में भी आपने इस सच को छिपाया और अब भी छिपा रहे हैं, आप जैसा वरिष्ट सदस्य छिपाये, अब तो वह प्रधान मंत्री भी नहीं हैं, अब तो कह दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मैं कह रहा हूं सत्यवादी महोदय, अगर पैकेज वाली बात से कोई एलर्जी हो तो मैं उसे छोड़ दूं। अगर उसमें इतनी शर्तें थीं तो उत्तरांचल, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने उसे कैसे स्वीकार कर लिया, यह शर्तें केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं थीं। मान्यवर, केवल उत्तर प्रदेश ने इसे स्वीकार नहीं किया और उसका परिणाम यह रहा कि उत्तर प्रदेश का किसान भुगतान से वंचित रह गया। मान्यवर, यह स्थिति मैंने बताई 2002-2003 की। अब 2003-2004 का, जिस समय यह वर्तमान सरकार पहली बार आई, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकार को गन्ना मूल्य तय करने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार है, उस निर्णय को आये काफी समय हो गया, निर्णय के बाद आगे बढ़ना था और भुगतान की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। बजट हमारे सामने आया, उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कहते हैं कि 31 जुलाई तक भुगतान कर दिया जायेगा, हम कैसे विश्वास करें, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि कुछ मिल वालों ने हठधर्मी के कारण जो बेसिक कोटा है उसको कम करके यह तय किया कि किसान चाहे जहां जाये उसका दण्ड हम नहीं ले पायेंगे, सारा का सारा बेसिक कोटा ज्यों का त्यों रहेगा। किसी जनपद का कोई प्रतिनिधि यह कह दे कि वहां पर किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मेरे यहां नहीं हुआ।

श्री हुकुम सिंह-

समस्या यह थी कि 31 मार्च के बाद पूरा अप्रैल और मई के महीने में जब तक कि सुगर फैक्ट्रियां चली, जिन मिल मालिकों ने बेसिक कोटा कम कर दिया था ठेकेदारों के माध्यम से गन्ना खरीदवाया और जो पैसा किसानों की जेब में जाता वह किसानों को नहीं मिला लेकिन जो व्यवस्था है वह पहचानना चाहिए। इसमें मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। मिल-मालिक कोई सज्जन आदमी नहीं होता, पैसा कमाना उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। ब्यूरोक्रेसी अनियंत्रित हो जाती है तो उसे नियंत्रित किया जाता है। मैंने किसी को दोष नहीं दिया लेकिन मैंने कहा था कि उस वक्त के गन्ना आयुक्त सीधे-सीधे आदेश करने से हिचक रहे हैं और उसी का परिणाम यह हुआ कि न जाने कितने जनपदों में किसानों को पैसे से वंचित रहना पड़ा। दो चीजें हैं थोड़ी संवेदनशीलता के साथ तुलना कर लें। वर्ष 2001-2002 में चीनी का भाव 1150 रुपये प्रति क्विंटल, एस0एम0पी0 64 रुपये, 2003-2004 में चीनी भाव 1600 रुपये प्रति क्विंटल, एस0एम0पी0 73 रुपये। सरकार द्वारा घोषित मूल्य से तुलना होती है। हमने 1150 का चीनी का रेट और एस0एम0पी0 64 रुपये होते हुए भी 95 से 100 रुपये दिया है। 1600 रुपये चीनी का रेट और 73 रुपये एस0एम0पी0 हो गया तो क्या गन्ने का दाम 105 से 110 रुपये प्रति क्विंटल का नहीं मिलना चाहिए ?

श्री योगेश प्रताप सिंह-

1600 रुपये चीनी का मूल्य कब हुआ है क्या एस0एम0पी0 तय करने के समय हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह-

बहुत सटीक सवाल किया है, आप विद्वान हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं लेकिन मुझे बोलने दीजिए। 1600 का रेट फरवरी, 2004 से धीरे-धीरे बढ़कर हुआ है। पहले 1400 हुआ, फिर 1500 हुआ और अब 1600 का रेट हो गया है। क्या आज किसानों को यह अधिकार नहीं है कि मिल-मालिक जो अरबों रुपये का फायदा उठा रहे हैं उसमें किसानों को भी कुछ मिले। माननीय नेता सदन वर्ष 1995 में ताल ठोंककर कहा करते थे कि गन्ने का भाव कम दिया है और 100 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक मिलना चाहिए हमने 1100 रुपये चीनी मूल्य और 64 रुपये एस0एम0पी0 पर 95 से 100 रुपये का रेट दिलवाया। आज जब चीनी का मूल्य 1600 रुपये और एस0एम0पी0 73 रुपये है तब फिर क्या 110 रुपये का मूल्य नहीं दिलाना चाहिए। मिल-मालिक कानून में उलझाने में माहिर

हैं। किसानों का दो-दो साल तक पैसा मिल मालिकों के पास पड़ा रहा उसका ब्याज मिलना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्य तय करने का अधिकार है। मिल मालिक से क्या ब्याज लेने का अधिकार नहीं होगा। एस0एल0पी0 के भुगतान के लिए पाबन्द हैं यह अधिकार बहाल हुआ है तो हमें किसानों के बकाये पैसे पर ब्याज के साथ भुगतान कराने का अधिकार भी प्राप्त हुआ है। दो आश्वासन मुझे चाहिए। पहला यह कि 31 मार्च तक भुगतान होगा या नहीं होगा। भुगतान होगा तो किस रेट पर होगा ? क्या एस0एम0पी0 के बढ़े हुए रेट को मानकर 110 रुपये का रेट होगा ? तीसरा आश्वासन यह चाहिए और सारे प्रदेश के किसानों को चाहिए कि जो बढ़े हुए रेट के हिसाब से जो पैसा बकाया है उसके आधार पर किसानों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, गन्ना मूल्य के भुगतान का प्रश्न पूरे प्रदेश के किसानों से संबंधित है। 30 लाख गन्ना किसान है। पांच साल भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही है। पांच सालों में प्रतिवर्ष हमने 5 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में वृद्धि की। वर्ष 2001-2002 में जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि 95 से 100 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य का निर्धारण किया है और उसके तहत 5093 करोड़ 77 लाख रुपये का भुगतान कराया गया।

मान्यवर, इसमें वर्ष 2001-2002 में निजी क्षेत्र की मिलों ने रु0 3836.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके बाद वर्ष 2002-2003 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनीं। उस समय सरकारी चीनी मिलों के गन्ने का दाम प्रति क्विंटल 95 रुपये निर्धारित हुआ। वर्ष 2002-2003 में शुरुआत गलत हो गयी। वर्ष 2002-2003 में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने 73.50 रुपये से लेकर 93 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भुगतान किया। वर्ष 2002-2003 में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने 3696.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया। मान्यवर, कहने को तो कहा गया है कि 95 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों द्वारा कराया गया लेकिन यदि औसत देखा जाय तो निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा बहुत कम भुगतान किया गया है। वर्ष 2002-2003 में निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा औसत न 80 रुपये से कम भुगतान किया गया है। इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा वर्ष 2002-2003 में 95 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 4994.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी तरह से वर्ष 2003-2004 में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 78.72 से लेकर 96.55 रुपये का भुगतान किया गया है। यदि इसका औसत निकाला जाय तो यह 90 रुपये से कम आता है। भा0ज0पा0 सरकार में गन्ना मूल्य 100 रुपया प्रति क्विंटल दिया गया था जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में औसतन 90 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ वर्ष 2003-2004 में सरकारी चीनी मिलों द्वारा कुल 4079.97 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा केवल 3130.83 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया। वर्ष 2003-2004 में यदि कम्पेयर किया जाय तो निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 1 हजार करोड़ रुपयों का कम भुगतान किया गया है।

इससे सिद्ध होता है कि गन्ना किसानों का शोषण किया गया। अभी तक 189.66 करोड़ रुपया गन्ने का बाकी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहले सरकार ने यह कहा था कि मामला

उच्चतम न्यायालय में पेंन्डिग हैं लेकिन न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि यह राज्य सरकार के अधिकार में है कि गन्ना मूल्य क्या तय हो ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उसी बात को इन्डोर्स्ड कर दिया तो फिर निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा निगम और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के समान भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। कहने के लिए तो उत्तर प्रदेश में 101 चीनी मिलें हैं जिसमें से 22 मिलें चीनी निगम की हैं, 27 मिलें सहकारी संघ की हैं और 52 मिलें निजी क्षेत्र की हैं। लगभग बराबर-बराबर मिलें निजी और सरकारी क्षेत्र में हैं लेकिन 75 प्रतिशत गन्ना निजी क्षेत्र की मिलों में पेरा जाता है और 25 प्रतिशत गन्ना निगम एवं संघ की मिलों में पेरा जाता है। उत्तर प्रदेश में 30 लाख गन्ना किसान हैं जिसमें से 23 लाख गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश में कम मूल्य प्राप्त हो रहा है जिससे उनको आर्थिक क्षति हो रही है। मान्यवर, गन्ना विकास राज्य मंत्री जी का कुछ दिन पहले वक्तव्य आया कि 31 जुलाई, 2003-2004 तक 190 करोड़ रुपयों का भुगतान हो जायेगा।

मान्यवर, वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 2002-2003 और वर्ष 2003-2004 में भारत सरकार द्वारा घोषित सांविधिक गन्ना मूल्य एस0 एम0 पी0 तथा एस0 ए0 पी0 का जो अन्तर है वह मैं बताना चाहता हूं। वर्ष 1996-97 में यह अन्तर 54.51 करोड़ था। वर्ष 2002-2003 में यह अन्तर 542.77 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2003-2004 में यह अन्तर 239.90 करोड़ था। यदि इसका टोटल निकाला जाय तो यह 837.18 करोड़ रुपये होता है। अगर देखा जाय तो सरकार द्वारा लगभग 1 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जाना है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या लोकदल जब यह विपक्ष में हो तो गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात कहते थे। परन्तु आज जब यह पार्टियां सत्ता में हैं तो पिछले दो पेराई सीजन में क्या वृद्धि की गयी है यह मैं जानना चाहता हूं। पिछले दो पेराई सीजन में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा कम भुगतान किया गया है इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में जो निर्देश दिया उसके अनुसार सरकार भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है जिसको दलों के बन्धन से बांधकर नहीं देख सकते हैं। देश की एक महत्वपूर्ण कैश क्राप गन्ना है। जिस पर करोड़ों लोगों का जीवन यापन होता है। कितने घरों की शादियां, बच्चों की शिक्षा सब कुछ गन्ने की फसल और उसकी अदायगी पर निर्भर करता है। समय से अदायगी न हो तो शादियां रुक जाती हैं। कितने बच्चों की फीस नहीं जमा हो पाती है। इसको दलीय बन्धन से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। वर्ष 2003-2004 का 458 करोड़ 75 लाख रुपया बकाया है।

श्री अध्यक्ष-

आपके और श्री गौड़ साहब के आंकड़ों में भिन्नता क्यों है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मुझे पता नहीं कि गौर साहब ने क्या कहा लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह भ्रम की स्थिति पैदा क्यों हुई ? संसदीय कार्य-मंत्री जी ध्यान से सुन लें। दो सबसे

बड़े घोटाले भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए। उसमें एक आबकारी नीति में और एक गन्ना नीति में हुआ। मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। गौड़ साहब मंत्री थे मुझे यह पता नहीं कि उनके पास तक गया या नहीं यह नहीं जानता। गन्ना नीति में हाई कोर्ट का जो स्टे था वह यह खारिज नहीं करा सके। उसी का फायदा उठाकर उन मिल मालिकों ने करोड़ों किसानों के हितों का सौदा किया। आज आपकी सरकार चली गई भगवान की बड़ी कृपा रही। वरना यह कभी भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ निर्णय दिया कि प्रदेश सरकार फैसला कर सकती है। पूर्व में प्रदेश के सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के एक मंत्री केन्द्र में कृषि मंत्री थे वह घोषणा तो बहुत कर देते थे इसलिए उनका नाम घोषणा नाथ सिंह पड़ गया था। उन्होंने घोषणा की कि किसानों को इतना पैसा दिया गया लेकिन जब बारीकी से देखा गया तो पता चला कि एक पैसा भी केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। सब कर्जा दिया था और इतनी शर्तें लगाई थीं कि सब घुमा फिराकर प्रदेश सरकार को करना था। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि प्रदेश सरकार खुद दाम निर्धारित कर सकती है तो मैं प्रदेश सरकार से आग्रह और अपील करूंगा कि किसानों की लागत और लाभ को देखकर यह साबित करें कि वह किसानों की हितैषी है। किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए। इसके अलावा तारीख आप बढ़ा दें लेकिन एक बात दृढ़ता से लागू करें कि इस तारीख के बाद एक भी पैसा किसानों का रहा तो मिल मालिकों की उनके घरों के बजाय हवालात में जगह होगी। इस तरह का निर्णय जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं अगर किसान का पन्द्रह दिन से ज्यादा बकाया रहेगा तो उस पर ब्याज मिलेगा। यहां पर तो सालों साल से बकाया है। किसान पर यदि थोड़ा सा भी बकाया रहता है तो वह 14 दिन के लिये राजस्व की हवालात के अन्दर कर दिया जाता है। इन मिल मालिकों पर तो सालों का बकाया है, उनके लिये यह क्या कर रही है ? उस हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करना चाहिए जिन का 15 दिन से ज्यादा का बकाया हो उसका ब्याज मिलना चाहिए। मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। इनसे तो हमको कोई उम्मीद नहीं थी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तान को गाली भी देती थी और तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ से इन्होंने वही चीनी खरीदी जो भारत से वहां निर्यात हुई थी। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं कि आपने वही चीनी पाकिस्तान से खरीदी और फारेन करेंन्सी में उसका भुगतान किया बढ़े दाम पर।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

यह तो केन्द्र सरकार ने एग्रीमेंट किये थे। हमने तो सरकार में आने के बाद एक भी दाना चीनी लेना बन्द कर दिया। यह तो इन्हीं का एग्रीमेंट था। इन्होंने ही ऐसे काम किये हैं। बोफोर्स से लेकर चीनी तक। कहीं कमीशन नहीं छोड़ा है इन्होंने।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब सच बोलते हैं तो पता नहीं इनको ऐसा लगता है जैसे नीचे से किसी ने काट लिया हो। आपकी सरकार ने वही चीनी जो हमारे यहां से गई थी वह बढ़े हुए दाम पर पाकिस्तान से खरीदी और उस पैसे से ही उन्होंने हथियार खरीदे और कारगिल युद्ध में वही हथियार.....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि यह चर्चा गन्ना किसान की समस्याओं पर हो रही है या कारगिल के विषय पर या प्रमोद कुमार जी के लाइसेंस पर। यह कुछ भी अनर्गल बात करते रहेंगे। आप इसको कार्यवाही से बाहर निकलवायें। यह नहीं लिखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

जन भावनाओं को देखते हुए सी0 बी0 आई0 से जांच के लिये लिखा था तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय। यह सारे पाप इन्हीं के किये हुए हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पुलिस जांच के ऊपर सी0 बी0 आई0 की जांच और सी0 बी0 आई0 जांच के ऊपर भारत की जनता की जांच। भारत की जनता ने जांच किया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चीनी में पैसा कमाने वालों को सत्ता से बाहर निकाल दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसकी ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं सिर्फ यह कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि वह मूल्य निर्धारण करे। यह गन्ना किसानों के हित को देखते हुये अधिक से अधिक गन्ना मूल्य दिलवाये और जो पाप इन्होंने किया है उसको धोए।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विभिन्न सदस्यों ने गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 1100 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है। कई बार सरकार ने घोषणा की। लोक दल भी इस सरकार में शामिल है और कई बार मैंने देखा कि अजीत सिंह जी ने कहा कि गन्ना किसानों का उनका गन्ना मूल्य का भुगतान दिलवायेंगे लेकिन आज तक उनको भुगतान नहीं मिला। 1100 करोड़ रुपये प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया है और मैं समझता हूं कि गन्ना किसानों की सारी अर्थव्यवस्था इसी पर डिपेन्ड करती है। दो महीने बाद फैक्ट्रीज फिर से चलने वाली हैं और अभी तक किसानों को पुराने गन्ना मूल्य की ही भुगतान नहीं मिल पाया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर सहकारी चीनी मिल के बारे में कहना चाहता हूं कि 6 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपये गन्ना किसानों का बकाया है। उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है यही हाल जनपद की अन्य चीनी मिलों का है पीलीभीत, मझौला, बीसलपुर की चीनी मिलों में काफी पैसा गन्ना किसानों का बकाया है। 73 रु0 कुन्तल गन्ना प्राइवेट मिलों द्वारा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया है लेकिन जो प्राइवेट चीनी मिलें और सरकारी चीनी मिलें हैं इनके मिल मालिक अन्तर बनाये हैं। मेरा निवेदन है कि ब्याज सहित गन्ना किसानों का भुगतान कराया जाए, यह गन्ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सत्तापक्ष के लोग प्राइवेट चीनी मिल-मालिकों से मिले हैं इसलिये गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि लोकमहत्व के इस प्रश्न पर कार्यस्थगन के प्रश्न के जरिये इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें इससे गन्ना किसानों को न्याय मिल सकेगा इसमें प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का स्वार्थ निहित है इसलिये मान्यवर इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो नाम हैं वह मैं बता दे रहा हूं माननीय डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, हुकुम सिंह जी, डा0 विनोद तिवारी जी, प्रमोद कुमार जी, जगदम्बिका पाल जी और श्री धर्मराज निषाद जी।

(व्यवधान)

एक मा0 सदस्य-

मेरा एक प्रस्ताव है, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, धर्मराज जी का नाम है।

श्री धर्मराज निषाद-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर बोलें।

श्री धर्मराज निषाद-

किसान परेशान हैं उसके बच्चों की पढ़ाई के लिये पैसा नहीं है अगली उपज के लिये गन्ना बोया गया है इसके लिये धन की आवश्यकता है आज एक हजार करोड़ रुपये निजी चीनी मिलों पर बकाया है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है मैं निदेवन करूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वह सरकार पालन कराये। निश्चित तौर पर निजी चीनी मिलें गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रही है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। बहुत से किसानों को आर0 सी0 काटकर जेल भेजा जा रहा है। आर0 सी0 काटी जा रही है और किसानों का भुगतान नहीं हुआ है किसानों का ब्याज सहित भुगतान कराया जाए मैं उम्मीद करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व और तात्कालिक विषय पर इस सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने इसे कार्यस्थगन में लिया है। इस सम्बन्ध में विपक्ष के सदस्यों की जो बातें थीं, उन्होंने स्थिति आपके सामने रखी है, अब सरकार की तरफ से उत्तर आना है। यदि मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य स्थगन के बारे में जो सूचना दी गई है, मंत्री जी यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कहां आपत्ति है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं समझता हूं, मंत्री जी मुझसे बेहतर उत्तर देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री योगेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, गन्ना के सन्दर्भ में चर्चा हुई और जिस तरह से हमारे सम्मानित सदस्य हुकुम सिंह जी ने कुछ बातें सदन के संज्ञान में रखीं उसके बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो

माननीय सदस्य के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था, उस समय किस पार्टी की सरकार थी और कौन मंत्री तथा तत्कालीन सरकार इसके लिये जिम्मेदार है ? मैं भी किसान का बेटा हूं, क्या कभी उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों में स्टे लेने की हिम्मत थी ? यह पहली बार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में गन्ना किसानों के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का स्टे गन्ना मिल मालिकों के पक्ष में किया गया। जैसा प्रमोद कुमार जी ने कहा कि शासन द्वारा कोई भी प्रयास स्टे को खारिज करने के लिये नहीं किया गया, यह शर्म की बात है। जिस तरह से गन्ना मिल मालिकों ने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ ज्यादती की है, उनका वाजिब गन्ना मूल्य नहीं दिया। उसके लिये आप सवाल कर रहे हैं ? मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा, सदन में पैकेज की बात उठी थी, जहां तक हमें स्मरण आता है, मुख्यमंत्री जी ने उस पैकेज की घोषणा की थी, किसी भी सम्मानित सदस्य ने यह नहीं कहा था कि यह पैकेज मांगा जाय। उसमें यह भी था कि हम 3 वर्ष तक गन्ना मूल्य नहीं बढ़ायेंगे और पूरा गन्ना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित होगा तथा उस पर ब्याज देने की भी बात थी। उस दिन मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की थी, आज हम यहां बैठे हैं, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की जो चर्चा हो रही, उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा 1150 करोड़ रुपये का जो भुगतान किया गया है, वह पुराना पैसा था। हमने यह गन्ना मूल्य का भुगतान किया है और इस बार प्रथम बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने 110-120 रुपये में गन्ना बेचा है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सरकारी मिलों के गन्ना किसानों के बकाये का 97 प्रतिशत भुगतान हो गया है। बाकी का भुगतान 31 जुलाई तक कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आधारहीन बातें करके गन्ना किसानो के बकाये पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से हमें गन्ना मूल्य निर्धारण करने का अधिकार मिला है। मान्यवर, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है अतः निरस्त करने योग्य है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं यह बात माननीय सदन के रिकार्ड के लिये रखना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सम्पूर्ण सदन में माननीय हुकुम सिंह जी का नाम लेकर कहा था कि माननीय हुकुम सिंह जी क्या हम यह शर्त स्वीकार कर लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमें उम्मीद थी कि जो बातें यहां उठायी गयी हैं उसका उत्तर आएगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने 31 जुलाई तक शेष गन्ना बकाये के भुगतान की बात कही है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बात और कि माननीय मंत्री जी ने जिस समय के हाई कोर्ट के स्टे का जिक्र किया है उस समय जिस पार्टी की सरकार थी उस समय यह उस पार्टी में थे। हमने यह सवाल किया था कि गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान 31 जुलाई तक होगा कि नहीं, हमने यह सवाल किया था

कि एस0 एल0 पी0 को 72 रुपये का आधार मानकर उचित दर पर गन्ने का दाम दिया जायेगा कि नहीं, और गन्ने का अवशेष भुगतान पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं ? जो समस्या थी उस समस्या के बारे में यहां पर नहीं कहा गया।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, इतने स्पष्ट रूप से गन्ना किसानों की समस्याएं रखी गयी हैं। अपेक्षा यह थी कि सरकार की तरफ से संतोषजनक उत्तर आएगा लेकिन यहां पर तो भाषण हो गया। आरोप-प्रत्यारोप होने लगे। गन्ना किसानों के लिये एक शब्द भी उनके पक्ष में नहीं कहा गया कि कब भुगतान होगा, कैसे होगा ? अगर ऐसा है तो हमारा इस सदन में बैठने से कोई लाभ नहीं है, हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इस गम्भीर मामले पर जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत भारतीय जनता पार्टी ने दिया है यह निन्दनीय है। एक तो बहस गन्ना किसानों के मामले को लेकर की जा रही है और यह हिम्मत की बात है कि जो सारे पाप इनके किये हुए थे इनके सारे पापों को धोया गया। गन्ना किसानों के बकाये का रुपया इनके जमाने का था वह साढ़े 11 सौ करोड़ रुपये था लेकिन कुछ साहेबान वापस लौट आये हैं। जो सबसे बड़े जिम्मेदार थे वह लौट आये हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि गन्ना मिल मालिक स्टे लेकर आये है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सरकार ने षडयंत्र रचा, सरकार ने इस स्टे का कोई विरोध नहीं किया। आज यह इनके हितैषी बने हैं। जो साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये का पाप था, जिससे प्रदेश की गरीब जनता का हित होना था वह इस सरकार ने अदा किया है इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है। फिर आज आप हिम्मत कर रहे हैं वाक आउट करने की। आज आप अपने पापों को धोने का काम कर रहे हैं। माननीय हुकुम सिंह ने कहा कि उत्तरांचल ने पैकेज मांगा, बिहार ने मांगा, तो आप उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज का मिलान उनसे कर सकते हैं। हुकुम सिंह जी नैनीताल में, रानीखेत में गन्ना बोया जाता है ? अगर किसानों के नेता ऐसे होंगे तो किसानों को सोचना पड़ेगा कि यह कैसे किसानों के नेता है। यह हिमालय की चोटियों पर गन्ना उगाने वाले लोग हैं इनकी नोटिस महज एक छलावा है, धोखा है। यह किसानों को धोखा देने वाले लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, हुकुम सिंह जी, विनोद तिवारी जी आदि को सुनने और सरकार को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। पांचवीं सूचना श्री लल्लू सिंह जी की है, मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अब मैं विशेष उल्लेख से पहली सूचना जो कि डा0 इन्द्रदेव सिंह जी की है, को ले रहा हूं।

श्री इन्द्रदेव सिंह-

मान्यवर, आज एक बहुत ही दुखद घटना पर नियम-56 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी जिस पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया है इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, 26/27 तारीख की रात को काकोरी, जो कि लखनऊ जनपद में आता है, वहां पर हमारे माननीय

विधायक श्री इरशाद खां का घर है। इन्होंने अपनी बहन के लिये भी वहीं मकान बनवा दिया था। वह उनके घर के बगल में ही था। मान्यवर, बावरिया गिरोह के लोग करीब 15 की संख्या में लाठी डन्डा लेकर वहां पर घुस गये और उनकी बहन और बहनोई को बुरी तरह से मारा पीटा। जो छोटे-छोटे मासूम बच्चे थे उनको बुरी तरह से मारा और जख्मी कर दिया। लगभग सात लोग बुरी तरह से मारे गये हैं। आज वह जीवन मरण के बीच मेडिकल कालेज में पड़े जूझ रहे हैं। कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है। इनके बहनोई अभी भी किसी को पहचानने की स्थिति में नहीं हैं। अब भी वह यही कह रहे हैं कि देखो वह डन्डा मारकर जा रहा है उसे पकड़ो। हम लोग वहां पर गये। इतनी गम्भीर घटना है और बावरिया गिरोह के लोग लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रही है। आज पुलिस प्रशासन पंगु बन चुका है, एक सप्ताह के अन्दर ही आपने सुना होगा अभी उन्नाव के अन्दर भी तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और सात लोगों को बुरी तरह से मारा-पीटा गया। आज उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है, पंगु बन चुकी है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है, पूरे उत्तर प्रदेश में गम्भीर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे आत्मा राम प्रधान की हत्या कर दी गई हो, चाहे फतेहपुर में हत्या कर दी गई हो, उन्नाव में हत्या कर दी गई, छात्र नेता की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस की कान पर जूं नहीं रेंग रही है, आज पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है पंगु हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में आज जो वर्तमान सरकार है वह अक्षम अधिकारियों को बड़े-बड़े पदों पर बैठाने का काम कर रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कानून व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा आपने स्वीकार कर ली है, लेकिन मान्यवर, जब कई घटनाओं पर चर्चा होनी है तो वह नियम-56 में नहीं हो सकती है, आप इस घटना को जिसकी सूचना दी है उसकी गम्भीरता को स्वीकार करते हुए यह बात कहना चाहते हैं तो इसे आप इस घटना की गम्भीरता तक ही मौजूद रखें तो यह ज्यादा गम्भीरता से ली जायेगी, कानून व्यवस्था पर तो विस्तृत चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे अपने विषय तक ही सीमित रखें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, इन लोगों को इतनी बुरी तरह मारा-पीटा गया है कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी वहां पर हम लोग गये तो वह लोग हम लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान नहीं कर पा रही है, वह बावरिया गिरोह के लोग हैं, इसकी पहचान नहीं कर पा रही है, पुलिस आज तक उन्हें नहीं पकड़ पा रही है। मान्यवर, जो लोग घायल हुए हैं उनकी चिकित्सीय सुविधा मुहैया नहीं कर पा रही है, मान्यवर, मेरी मांग है कि उनके इलाज का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। हमें आशंका है कि चूंकि माननीय विधायक जी का घर बिल्कुल सटा हुआ है और माननीय विधायक जी को जान से मारने के लिये ऐसे लोग वहां पर आये थे, निश्चित तौर पर मान्यवर, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती थी, इसलिये उनकी सुरक्षा की भी हम मांग करते हैं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये सारे सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा करा लें।

(व्यवधान)

श्री मो0 इरशाद खां-

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 12 किमी0 दूर काकोरी के रहने वाले हैं और इस सदन का प्रथम बार सदस्य हुआ हूं मैं नहीं कह सकता कि इस घटना को अंजाम देने वाले बावरिया गिरोह के लोग थे या कोई और लोग हैं, जो मेरी जान लेना चाहते हैं। ये धोखे से मेरे बहन-बहनोई और पांच बच्चों को जख्मी करके चले गये जिसमें दो-तीन बच्चों की स्थिति तो ऐसी है कि वह बचते हैं या, नहीं बचते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता और अस्पताल की स्थिति यह है कि वहां पर उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, मेडिकल कालेज के हर वार्ड में मेरा एक बच्चा पड़ा हुआ है, अनिश्चितता की स्थिति बनी है। मान्यवर, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सरकार हमारी व हमारे परिवार और हमारे निवास स्थान की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करे। मान्यवर, मैं फोन करता हूं तो पता चलता है कि थाने का फोन कटा हुआ है, एस0 पी0 का मोबाइल आफ है, मान्यवर, हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस व्यवस्था की यह हालत है। ग्रामीण क्षेत्र के एस0 पी0 का मोबाइल आफ है। थाने का फोन कटा हुआ है। मान्यवर, जब हम जैसे जनप्रतिनिधियों की यह हालत है तो आम जनता की क्या हालत हो रही होगी उसको समझा जा सकता है। सौ नम्बर पर कंट्रोल रूम में फोन करते हैं तो 4 बार घंटी बजती है फोन कोई नहीं उठाता है। पांचवीं बार जब फोन आपरेटर उठाता है तो वह पूछता है कौन बोल रहा है जी। मैंने अपना परिचय उन को बताया कि मैं विधायक सरोजनीनगर बोल रहा हूं मेरे परिवारजन पर 30 लोगों ने जानलेवा हमला किया है। मेरे इत्तला देने के बाद भी डेढ़ घंटे के बाद थाने की पुलिस वहां पर मेरे आवास पर पहुंची। जबकि यहां से 12 किलोमीटर दूर मेरा आवास है। मान्यवर, मैं कानून व्यवस्था पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, मैं इस सदन का सदस्य हूं मेरी पीड़ा को आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। आप मुझे सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बड़ा अफसोसनाक वाकया है, जिसने भी इस कार्य को अंजाम दिया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मान्यवर, मैं कल, खुद काकोरी जाना चाहता था आपके काकोरी निवास पर लेकिन फिर रुक गया। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कभी-कभी मामला इतना गर्म होता है कि हम लोगों के जाने से लोगो का गुस्सा और बढ़ भी जाता है। अगर आपकी राय होगी कि मेरे जाने से उस गम में उस एहसास में कमी हो सकती हो तो मैं आज भी आपके निवास पर जाने के लिये तैयार हूं। वहां पर बैठकर बातचीत कर सकता हूं। इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है। जो लोग भी इसमें इन्वाल्व हैं उनके प्रति कार्यवाही में कोई कमी नहीं होगी। हम किसी ग्रुप को इंगित कर देंगे कि फलां ग्रुप है और यदि उस ग्रुप का हाथ न हो लेकिन पुलिस की कार्यवाही तो उसी ग्रुप की तरफ हो जाती है। बावरिया या कच्छा गिरोह जिसने भी यह काम किया है, उनकी पकड़ होनी चाहिए। उसमें सब कार्यवाही होनी चाहिए। इलाज का जो सवाल है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आयेगी। जहां तक हमारी बातें पहुंचनी चाहिए वहां यह बातें पहुंच रही हैं वह इसका संज्ञान ले रहे हैं। अच्छा इलाज होना चाहिए सुरक्षा के सम्बन्ध में मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि एक अन्य मामले में मैं माननीय नेता जी से बात करूंगा इस मामले में भी मैं उनसे

बात कर लूंगा। सुरक्षा के सिलसिले में आप एक पत्र भी माननीय स्पीकर साहब को लिखकर दे दें हम तक आ जायेगा।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, यह घटना लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। यह घटना मानवता पर कलंक है। मैं अन्य किसी घटना का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मुझे मान्यवर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस सरकार में ऐसा होगा। मैं इस सरकार के मुखिया को व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, जब मैं इस सदन में नहीं भी था, कि वे एक सामान्य और कृषक के परिवार से आये हैं और अध्यापक रहे हैं। अपने संघर्ष और हुनर के बल पर वह इस इतने बड़े सूबे के अनेक बार मुखिया बने हैं। मैं कभी भी इस पक्ष का नहीं रहा हूं कि किसी भी पार्टी के राजनैतिक कार्यकर्ता को गुण्डा, बदमाश या कोई भी उसको टार्चर करे तो उसका साथ देने का दावा करता हूं। छात्र जीवन से भी प्रवृत्ति रही, अनेकों साथी यहां पर थे, नहीं हैं यहां पर विश्वविद्यालय में साथ में पढ़े हैं। जब कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता पर हाथ उठा देता था तो हम सारे लोग एक समूह में मिलते थे। लेकिन श्रीमन् 18 मार्च को घटना घटी इस घटना के परिप्रेक्ष्य में जायेंगे तो 11 मार्च के दिन मेरे विधान सभा के मेरी पार्टी के मण्डल अध्यक्ष अत्यन्त गरीब श्री राम प्रवेश चौहान के ऊपर कातिलाना हमला किया गया और उस कातिलाना हमले में वह घायल होकर लहूलुहान हो गये। स्वयं थानाध्यक्ष नगरा उनको अपनी जीप में उठाकर ले आये थे, स्वयं मेडिकल कराया था और स्वयं उन्होंनें मुकदमा दर्ज कराया था। इस बीच अगर ईश्वर सत्य है कोई लाग लपेट या कुछ उसमें करना नहीं चाहता क्योंकि जितना दण्ड हमको भोगना था, भोग लिये। श्रीमन्, उसमें धारा-323, 147 और 308 लगायी गयी तो आकर लोगों ने मुझको बताया तो मैंने कहा कि मारा है तो 2-4 दिन जेल में रह लेंगे पालिटिकल आदमी को मारा है। लेकिन तीसरे दिन दरोगा जी ने 308 धारा हटाकर 147 और 323 में उसका चालान कर दिया और उसमें वह बेल आउट होकर उस गरीब के ऊपर सीटी मारता हुआ ललकारता हुआ गया। इस पर हम लोगों ने पार्टी की आपस में बैठक की और यह हुआ कि 16 टांके उसके लगे हैं और खुद दरोगा जी ने ले जाकर लगवाये हैं नगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तो इससे तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया कि 18 मार्च को थाने पर प्रदर्शन करेंगे हम लोग श्रीमन्, 17 मार्च को एस0पी0 बलिया का टेलीफोन हमको मिला कि आप लोग क्या चाहते हैं हमने कहा कि पालिटिकल गरीब आदमी है मारा गया है किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो मारा गया है, हम चाहते हैं कि जो धारा लगी है उसके अनुसार कार्रवाई हो, उन्होंने कहा कि अब तो धारा बदल दी तो हमने कहा कि आई0ओ0 चेन्ज कर दीजिए दूसरे आई0ओ0 से जांच करा दें तो उन्होंन कहा कि देखेंगे लेकिन 18 तारीख तक उन्होंने न आई0ओ0 चेन्ज किया न कार्रवाई किया। मैं प्रदर्शन का एलान कर चुका था। मैं थाने पर नहीं जाना चाहता था* क्योंकि इलाके की जो पोजीशन थी उससे जनता में बड़ा आक्रोश था लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। एडीशनल एस0पी0 चार थाने की फोर्स लेकर थाने पर मौजूद थे। उन्होंने खबर कराया कि 5-7 लोगों को लेकर अन्दर आ जायें वार्ता के लिए मेरे साथ हो सकता है 5-7 लोगों से ज्यादा भी प्रयास किये हों लेकिन ज्यों मैं उनके यहां पहुंचता हूं त्यों पीछे से लाठीचार्ज हो गया और उसमें मैं भी नहीं समझ पाया कि यकायक क्या हो गया। बाहर कार्यकर्ताओं पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंधाधुन्ध लाठीचार्ज होने लगा। कार्यकर्ताओं को यह लगा, विधायक जी की पिटाई हो रही है, मैं एस0पी0 साहब से कह रहा था कि मुझे बाहर जाने दो, नहीं जाने दोगे तो वह लोग समझेंगे कि विधायक जी की पिटाई हो रही है ओर मानेंगे नहीं। लाठीचार्ज के बाद लोग गिरे पड़े भागे और भागकर कुछ ईंटा पत्थर चलाने लगे दोनों तरफ से ईंटा पत्थर चलने लगे। थोड़ी देर बाद बिना चेतावनी के पुलिस ने फायरिंग कर दी। सीधी फायरिंग में हरिन्द्र दुषाद जो पार्टी का कार्यकर्ता था, एक फिट उसके पास जमीन नहीं एक इन्दिरा आवास है उसके सिर पर गोली लगी, खोपड़ी उड़ गयी और मौके पर ही वह धराशाई हो गया। इसके अलावा प्रधान राजभर पुत्र रामबरन की मौके पर ही मौत हो गयी। इसके अलावा 22 अन्य लोगों को गोली लगी, इसके अलावा लालजी के पेट में 3-3 गोली लगी, उसके पेट में 3 इंच का होल हो गया है, हर दिन डायलिसिस पर रखना पड़ता था, पाखाना निकलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिये वह थैली लगाकर घूमता था, अभी अगस्त में उसका आपरेशन करने के लिये कहा गया है, उस गरीब की जरा भी देखभाल सरकार की तरफ से नहीं हुयी है, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने अपनी तरफ से की है। मान्यवर, वहां की इस घटना के बाद मुझे व 17 अन्य लोगों को अरेस्ट करके गाड़ी से बलिया ले आया गया, वहां पुलिस इतनी बड़ी कहानी बनायेगी, यह मैं नहीं जानता था। मान्यवर, आप भी बचपन से राजनैतिक कार्यकर्ता रहे हैं, वेशभूषा, हावभाव से मैं आपका तब भी प्रशंसक था और आज भी हूं। श्रीमन्, मैंने तनिक भी कल्पना नहीं की थी कि पुलिस इतना बड़ा धारावाहिक बनायेंगी, पुलिस द्वारा कहा गया कि विधायक ने ललकारा और गोलियां चलाईं और बी0जे0पी0 के कार्यकर्ताओं ने ही रिवाल्वर, कट्टे से फायरिंग कर उसको मार डाला। मान्यवर, बलिया का यह आन्दोलन दुनिया का एक मात्र ऐसा आन्दोलन है जिसमें लोगों ने किसी को मारने के लिये थाने का गेट चुना हो। मान्यवर, मैं तो डेढ़ महीने जेल काट कर आ चुका हूं, पर्यावरण मंत्री मुझसे जेल में मिले थे, वहां गांव-गांव से लोग मिलने आते थे, आलमबदी साहब भी गये थे, उनका मैं बहुत आभारी हूं।

माननीय राम नरेश यादव जी चले गये हैं, उन्होंने एक अच्छा बयान दिया था कि डेमोक्रेसी में धरना-प्रदर्शन आदमी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। श्रीमन्, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस घटना में दो लोग मारे गये हैं और 22 घायल हुये हैं, 3-4 लोगों के शरीर में अभी भी गोली फंसी है, एक का अभी आपरेशन होना है, इसके अलावा 300 से ऊपर लोग लाठियों से घायल हुये हैं, इन सबके ऊपर डकैती, हत्या से लेकर इतनी धाराओं में मुकदमें बना दिये गये और पुलिस यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि यही लोग इनको मार डाले हैं। मान्यवर, आप धाराओं का जिक्र सुन लें। अपराध संख्या-40/2004 धारा-147, 148, 149, 323, 353, 383, 427, 504, 506, 307, 302, 395 भा0दं0वि0 व 7 कि0 ला0 ए0 व धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व धारा-25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करके प्रार्थी व उनके समर्थकों को जेल भेजा गया। मान्यवर, मेरी तो डेढ़ महीने बाद जमानत हो गयी, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं नहीं, हम तो बचपन से लड़ते हुये यहां तक आये हैं और सत्य कहने की हिम्मत ही ईश्वर से मांगता हूं कि वह मुझको इतना ताकतवर बनाये कि मैं सत्य कह सकूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो बार मुझको फोन करके जेल में मेरा हालचाल लिया, मैं इस बात के लिये उनके प्रति आभारी हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता केवल इतना चाहता हूं कि इन्साफ हो जाय

क्योंकि जो हमलावर हैं, हत्यारे हैं, वह बाहर घूम रहे हैं, वर्दी में। हमारे जैसे लोग तो कभी पत्थर तक नहीं चलाये, हम लोग जेल में जरूर गये, लेकिन हम कोई माफिया नहीं है, भूत-भविष्य में ठेका-व्यापार करने के सवाल पर नहीं आये हैं। एक गरीब कार्यकर्ता पर हमला हुआ तो उसके विरोध में धरना-प्रदर्शन का हथियार है, हम लोग वही कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां सीधी गोली चलाई, बिना रबर की गोली चलाये बिना आंसू गैस छोड़े और बिना पानी का फोर्स दिये। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सीधे-सीधे हत्या है, जो हत्यारे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिये, मुझे आपसे यही कहना है कि ऐसा किसी भी पार्टी के ऊपर हो सकता है, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है, मैं इस मामले की सी0बी0आई0 जांच की मांग करता हूं और सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि यदि मैं गुनहगार हूं, गलत हूं तो सजा भोगने के लिये तैयार हूं। लेकिन यदि मेरी बात सही है तो इस मामले में गलती करने वालों को सजा मिले, अन्यथा कल के लिये गलत परम्परा पड़ जायेगी। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि एक ही दिन में 250 मुकदमें आपके ऊपर दर्ज हुए। मैं इसका विरोधी शुरू से रहा हूं, किसी राजनीतिक व्यक्ति पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा लेकिन आज तक इंसाफ नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री जी को शायद कुछ निर्देश मिले हों। माननीय अध्यक्ष जी, जिनका जीवन समाप्त हो चुका है उनके घर वालों को एक-एक लाख रुपया मिला है उनको एक-एक लाख रुपया और दे दिया जाए और जो घायल हो गये हैं उनके इलाज का खर्च सरकार दे दे। जिसका आपरेशन होना है, वह अनुसूचित जाति का अत्यन्त निर्धन व्यक्ति है और डलिया बीन करके जिन्दगी काट रहा है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए और इस घटना की जांच सी0 बी0 आई0 से कराने की घोषणा सरकार इस सदन में करें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मेरे ख्याल से बात की गम्भीरता के साथ-साथ इसका एहसास भी हमको, आपको और इस सदन को करना चाहिए कि आपकी वार्ता मुख्य मंत्री जी से हुई है, उन्होंने आपको जो भी आश्वासन दिया हो, जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी तरफ से सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही। जो बातें हुई हैं उससे इसकी गम्भीरता भी साबित होती है और यह भी साबित होता है कि कोई पक्षपात नहीं होगा, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं होगी। घटना 4 महीने पुरानी है, तात्कालिक नहीं है इसलिए स्वीकार करने योग्य नहीं है। बड़ा सोचने वाला सवाल छोड़ा है, हम सबके लिए कि जब कभी किसी माननीय सदस्य पर ऐसा हादसा हो तो एक जमाना वह था कि ऐसी बातों पर सब एक हो जाया करते थे लेकिन ऐसा भी जमाना गुजरा है कि जब माननीय विधायक जी बाजार से गुजरते थे और किसी दुकान पर रुकते थे तो उस दुकान से सामान खरीदने वाले लोग हट जाया करते थे कि विधायक जी आए हैं। डाक्टर के यहां जाते थे तो मरीजों की भीड़ हट जाती थी कि विधायक जी आए हैं, टिकट की लाइन लगी हो और विधायक जी आ जाएं तो लोग हट जाते थे कि विधायक जी आए हैं। आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। हम विधायकों जैसे कपड़े पहनकर जब सार्वजनिक स्थलों से गुजरते हैं तो लोग जिस तरह के कमेंट करते हैं उसको सुनने की हिम्मत हममें नहीं है। आज यह बदलाव क्यों आ गया ? अगर हमें यह शिकवा है कि एक जमाना यह है कि मेरे

जैसे आदमी को यह भी कहना है कि एक जमाना वह भी था जो साख में गिरावट आई है उसे वापस लाने की जरूरत है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की साख उसकी दहशत में नहीं है, उसके प्यार करने में है। लोग उससे डरकर रास्ता छोड़ दें, लोग उसकी ताकत को देखकर उसका लोहा कबूल करें, वोट डाल दें तो न वह राजनीति है और न ही इंसानियत। राजनीति और इंसानियत यह है कि लोग उसकी मोहब्बत की ताकत को तस्लीम करें, उसके पीछे चलें। अगर हम इस तरह की चीज को लागू करें तो शायद विधायक जी को यह शिकायत न हो। जो कुछ आपने कहा है उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में नेता जी से बात करूंगा और इसका हवाला दूंगा, लेकिन यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम इकबाल सिंह, श्री इन्द्रजीत सरोज और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो गाइड लाइन दिया उससे हम असहमत नहीं हैं लेकिन मैं यह बता दूं कि मैं कोई दहशत बनाकर या सिक्योरिटी गार्ड लेकर चलने वाला जनप्रतिनिधि नहीं हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सबका स्तर गिरा है, उसको कह रहा हूं।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, हमारी बात सुन लें। मुझे यह जानकारी कब मिलेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप संसदीय कार्य मंत्री जी से भी मिल लीजिएगा।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 , जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह संशोधन मतदाता सूची में सरलता लाने के लिये है। जो निर्वाचन नामावली थी, उसमें पहले राज्य चुनाव आयोग द्वारा कोई संशोधन या परिवर्द्धन किया जाता था। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसमें असुविधा महसूस की और इसमें सरलता और सहजता भी नहीं थी। नामावली संशोधित हो करके स्वीकृति के लिये जब आती थी तब तक चुनाव बीत जाता था और वह नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहुंचती थी। इसलिये इसमें संशोधन ला करके यह व्यवस्था की जा रही है कि जिला स्तर पर ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के परामर्श से नामित किये जायेंगे और उनके द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची में जितने भी संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन या रूपान्तरण जो भी करने होंगे, वह करेंगे। इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य विचार रखना चाहेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिये लाये हैं इसमें मेरा विनम्र निवेदन यह है कि अभी तक जो राज्य निर्वाचन आयोग था, यह आयोग निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के जब कभी निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी नियम-कानून या नाम को घटाने-बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी तो अपने तरीके से वह कार्य किया करता था लेकिन इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार की सहमति अधिकारियों को नामित करने की कार्यवाही किये जाने की लायी जा रही है। यह कहीं न कहीं इस बात को जाहिर करती है कि सरकार की मंशा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णयों पर शिकंजा कसने, उसकी निष्पक्षता न रह जाये, इस बात पर अंकुश लगाने की है। इससे चुनाव आयोग की जो निष्पक्ष भूमिका रहती थी और निर्वाचन कार्य निर्वाध रूप से होता था और बिना किसी राजनीतिक दबाव या सरकार के दबाव से समय-समय पर आवश्यकतानुसार नाम घटाये-बढ़ाये जाते थे। इस विधेयक के बाद वह राज्य सरकार की सहमति के लिये मजबूर हो जायेगा और राज्य सरकार की सहमति यदि दुर्भावनावश हो गयी तो किसी पार्टी के लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में एक मुश्त घटाये जा सकते हैं और किसी पार्टी विशेष के नामों को एक मुश्त निर्वाचक नामावली में बढ़ाया जा सकता है। जो अभी तक व्यवस्था थी वह ज्यादा निष्पक्ष थी। यह आयोग निष्पक्ष रूप से काम करता है। एक संवैधानिक संस्थान के रूप में, एक अर्धन्यायिक संस्थान के रूप में यह आयोग काम करता है। इसके कार्य कलापों पर अंकुश लगाने का सरकार प्रयास कर रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपनी निरंकुशशाही व्यवस्था को निर्वाचन आयोग पर लादने का काम न करे। तो ज्यादा अच्छा होगा अन्यथा अभी तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर असफल हुई है उसी तरह से आगे होगी। सरकार निर्वाचन आयोग के कार्यों को अस्त-व्यस्त करना चाहती है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार निर्वाचन आयोग पर शिकंजा कसने का जो तिकड़म इस संशोधन के माध्यम से कर रही है वह उचित नहीं है। इसको वापस लेना चाहिए यही मेरा निवेदन है।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, यह एक छोटा सा संशोधन है। नगर निकायों में यह व्यवस्था पहले से लागू है उसी को ग्राम पंचायतों में लागू किया जा रहा है। जो कुछ किया जा रहा है वह राज्य निर्वाचन आयोग के सुझाव पर किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य में पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 5 जुलाई, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2-संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ङङ) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे किसी जिले में निर्वाचक नामावली को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिये राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो ;

(ङङङ) 'सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एक या उससे अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो।".

धारा 9 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (8) में शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर शब्द "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2004

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या-15

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 जुलाई, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इसमें से पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में कार्यकारिणी व उपाध्यक्ष का निर्वाचन न कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अर्धनिर्मित पानी की टंकी को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री उदयभान करवरिया की इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया स्थित इसारी सलेमपुर ग्राम में 33/11 के0 वी0 के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की जनपद शाहजहांपुर के किसानों का गेहूं जेवा किसान सहकारी समिति के द्वारा खरीद में घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की प्रदेश में जीवन रक्षक दवा "इन्सुलिन" को हर प्रकार से कर मुक्त करने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री राम करन आर्य की जनपद बस्ती, सन्त कबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर में चमर मंगता जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री शिवेन्द्र सिंह की जनपद महाराजगंज के ग्राम टूटीवारी एवं मिठौरा में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण समूह पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के श्री ओ0 पी0 सिंह सहारा इण्डिया के मैनेजर की हत्या के सम्बन्ध में सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के ग्राम मानिकपुर स्थित स्व0 मनोज चौहान के हत्यारों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट में पनहाई टैंक के निर्माण की टी0 ए0 सी0 जांच कराये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

बारहवीं सूचना श्री धर्मराज निषाद की जनपद अम्बेडकर नगर के लिये आवंटित विधायक निधि एवं पूर्वांचल विकास निधि के धन को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तेरहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार में स्वीकृत 33 के0 वी0 ए0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौदहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील टाण्डा में घाघरा नदी के कटान से हो रही क्षति को रोकने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी के मूरतगंज राजापुर राजमार्ग-95 की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सोलहवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन में निजी नलकूप की बोली कराने वाले कृषकों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सत्रहवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत में बंगाली समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

अट्ठारहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह की प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण का फर्जी प्रमाण-पत्र लेकर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

उन्नीसवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की जनपद आजमगढ़ स्थित श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चण्डेश्वर में छात्रों से वसूल किये गये विकास मद की धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु सवीकृत की जाती है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं :—श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री राम किशुन, श्री आलमबदी, डा0 पूर्णमासी देहाती, चौ0 मस्तराम, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री प्रार्गीलाल अहिरवार, श्री शिव तपस्या पासवान, श्री रामहेत, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री अवधेश कुमार वर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री कलीचरन राजभर, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लल्लू सिंह,

श्री ओ0 पी0 सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री मदन चौहान, श्री नवाब सिंह नागर।

श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री आर0 के0 शर्मा, थानाध्यक्ष तथा जय किशोर त्यागी, सिपाही, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है। श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री आर0 के0 शर्मा, थानाध्यक्ष तथा श्री जय किशोर त्यागी, सिपाही, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 02 जुलाई, 2003 को शासन द्वारा प्रश्नगत मामले में वांछित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के कारण जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु दिनांक 25 फरवरी, 2004 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 24 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 28 जुलाई, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

निजी क्षेत्र में लगने वाली विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति (दि0 7-7-04 तक)

संलग्नक-"क"

तापीय एवं जल विद्युत परियोजनायें

क्र0सं0	परियोजना का नाम	विकासकर्ता का नाम	क्षमता (मे0वा0 में)	अनुबंध की तिथि	परियोजना की लागत	अनुमानित ऊर्जा दर (प्रथम वर्ष)	अनुमानित उत्पादित ऊर्जा (मि0यू0)	उ0 प्र0 का अंश (मि0यू0)	चालू होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	मै0 डन्कन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं0 लि0	330 मे0 वा0 (4×82.5 मे0वा0)	28-8-98	रु0 1699.12 करोड़ (रु0 1219.89 करोड़ + यू0 एस0 95.054 मिलियन) यू0एस0 = रु0 42	रु0 2.98 प्रति यूनिट	1397	1217	मार्च, 2008
2	विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना	मै0 जय प्रकाश पावर वेन्चर्स लि0	400 मे0वा0 (4×100 मे0वा0)	19-9-02 (संशोधित)	रु0 1614.66 करोड़ (रु0 233.57 करोड़ +यू0एस0 10735 मिलियन) यूएस = रु0 35.5	रु0 2.23 प्रति यूनिट	2060.5	1795	प्रथम इकाई दिनांक 31-12-2006 तक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	परियोजना का नाम	विकासकर्ता का नाम	क्षमता (मे0वा0 में)	अनुबंध की तिथि	परियोजना की लागत	अनुमानित ऊर्जा दर (प्रथम वर्ष)	अनुमानित उत्पादित ऊर्जा (मि0यू0)	उ0 प्र0 का अंश (मि0यू0)	चालू होने की सम्भावित तिथि
3	रोजा ताप विद्युत परियोजना	मै0 रोजा पावर सप्लाई कं0	567 मे0वा0	24-9-98	रु0 2740.91 करोड़ (रु0 1435.52 करोड़ + यूएसडी 280.7267 मिलियन) यूएसडी = रु0 46.5	रु0 2.79 प्रति यूनिट	3820.8 (85% पी0 एल0 एफ0)	3820.0	प्रथम इकाई दिनांक 05/2007 तक
4	जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना	मै0 जवाहरपुर पावर प्रा0 लि0	800 मे0वा0	27-12-95	रु0 45746.42 करोड़ (रु0 1524.659 करोड़ + 677.774 मिलियन यूएसडी) यू0एस0डी0 रु0 45		5390.904 (85% पीएलएफ)	5390. 904	फाइनेंशियल क्लोजर से 54 माह पश्चात्

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत नीडिल एण्ड सिरिंज डेस्ट्रॉयर नामक उपकरण की सूची

क्र0सं0	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		जिला	नीडल एण्ड सिरिंज डेस्ट्रॉयर
1	2	3	4	5
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	फतेहाबाद, खैरागढ़, बाह, किरावली	आगरा	8
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जवां, अतरौलिया, छर्रा, इग्लास, सिकन्दराराऊ, खैर	अलीगढ़	12
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अलीगंज, सहावर, निधौलीकला	एटा	6
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जसराना, कोटला, टूण्डला, शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	8
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बेवर, करहल, भोगांव, शिकोहाबाद	मैनपुरी	8
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	राल, सादाबाद, बरसाना, फरह, वृन्दावन	मथुरा	10
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	आंवला, बहेड़ी, फरीदपुर, नवाबगंज	बरेली	8
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बिलसी, दातागंज, उझानी, बिसौली	बदायूं	8
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जलालाबाद, पुवायां, तिलहर	शाहजहांपुर	6
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बीसलपुर, अमरिया, पूरनपुर	पीलीभीत	6
11	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अनूपशहर, बहादुरगंज, जहांगीराबाद, पहासू, शिकारपुर, सिकन्दराबाद, स्याना	बुलन्दशहर	14
12	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	दादरी, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, मुरादनगर, नोएडा, सपनावत	गाजियाबाद	12

क्र0सं0	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		जिला	नीडिल एण्ड सिरिंज डेस्ट्रॉयर
13	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बागपत	बागपत	2
14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बड़ौत, छपरौली, हस्तिनापुर, मवाना, सरधना	मेरठ	10
15	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अफजलगढ़, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, स्योहारा	बिजनौर	10
16	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अमरोहा, गजरौला, धनौरा, रामपुर, सम्भल, ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	12
17	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मिलक, शाहाबाद, स्वार, टाण्डा, बिलासपुर	रामपुर	10
18	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जानसठ, कैराना/रामनगर थाना-भवन, खतौली, शामली।	मुजफ्फरनगर	10
19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	फतेहपुर, नारसन, नकुड़, रनडौल, देवबन्द	सहारनपुर	10
20	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	हैदरगढ़, जैदपुर, फतेहपुर, सूरतगढ़, नवाबगंज	बाराबंकी	10
21	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जलालपुर, टाण्डा	फैजाबाद	4
22	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर	2
23	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	धनपतगंज, गौरीगंज, जगदीशपुर, जामो, लम्भुआ, मुसाफिरखाना, अखण्डनगर, अमेठी	सुल्तानपुर	16
24	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अजीतमल, औरैया, भर्थना, बिधुना, सैफई, जसवन्तनगर	इटावा	12
25	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	छिबरामऊ, हसेरन, कायमगंज, नवाबगंज	फर्रुखाबाद	8
26	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कन्नौज	कन्नौज	2
27	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अकबरपुर, बिधुना, बिल्हौर, डेरापुर, पुखरायां	कानपुर	10

उत्तर प्रदेश राजपत्र सभा

क्र0सं0	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		जिला	नीडिल एण्ड सिरिंज डेस्ट्रॉयर
28	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बिलग्राम, माधौगंज, हरपालपुर	हरदोई	6
29	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	धरौरा, गोला, निघासन	खीरी	6
30	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बिसवां, हरगांव, महमूदाबाद, मिश्रिख, पिसावां, रेउसा, सिधौली, तम्बौर, लहरपुर	सीतापुर	18
31	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बांगरमऊ, हसनगंज, पुरवा	उन्नाव	6
32	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	माल, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, चिनहट, गोसाईगंज	लखनऊ	10
33	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	डलमऊ, लालगंज, महाराजगंज, सलोन, तिलोई, ऊंचाहार	रायबरेली	12
34	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जसपुर, कर्बी, मानिकपुर, नारायनी, भर्तरा	बांदा	10
35	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कुलपहार	महोबा	2
36	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मोदहा, पनवारी, राठ	हमीरपुर	6
37	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	काल्पी, कोच	जालौन	4
38	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बबीना, मऊरानीपुर	झांसी	4
39	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मेहरौली, तालबेहट, महावरा	ललितपुर	6
40	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अतरौलिया, जियनपुर, अजमतगढ़, लालगंज, फूलपुर, सागरी	आजमगढ़	12
41	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बांसडीह, नरही, रसड़ा, सिकन्दरपुर, सोनवरसा, सोनवानी, दुबहड़, खजुनी	बलिया	16
42	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, रतनपुरा	मऊ	6

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		जिला	नीडिल एण्ड सिरिंज डेस्ट्रॉयर
43	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मांडा, चाका, हण्डिया, जसरा, कनैली, करछना, कौंधियारा, मैजा, फूलपुर, रामनगर, शंकरगढ़, सोराव	इलाहाबाद	24
44	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बिन्दकी, हथगांव, जहानाबाद	फतेहपुर	6
45	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अमरगढ़, गौरा, कालाकांकर, कुन्डा, पट्टी, संडवाचन्द्रिका, रनडौर, संग्रामगढ़, लक्ष्मणपुर	प्रतापगढ़	18
46	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	खलीलाबाद	बस्ती	2
47	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	डुमरियागंज, इटवाबाजार,, शोहरतगढ़, उसकाबाजार, केसरहा, सोहरतगढ़	सिद्धार्थनगर	12
48	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	भिनगा, इकौना, कैसरगंज, रिसिया, नानपारा, सिरसिया	बहराइच	12
49	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मनकापुर, पचपेड़वा, तरबगंज, तुलसीपुर, उतरौला, नवाबगंज	गोण्डा	12
50	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	शिवपुरा	बलरामपुर	2
51	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	भाटपाररानी, दुद्धी, फाजिलनगर, कसिया, लार, पथरदेवा, सेवरही, तमकुही, बरहज, सलेमपुर	देवरिया	20
52	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बांसगांव, गोला, हरनही, कैम्पियरगंज, पिपराइच, चौरीचौरा	गोरखपुर	12
53	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	फरेन्दा, उसकाबाजार, परतावल	महाराजगंज	6
54	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	चोपन, दुद्धी, घोरावल	सोनभद्र	6

क्र0सं0	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		जिला	नीडिल एण्ड सिरिंज डेस्ट्रॉयर
55	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	गोपीगंज, भदोही	भदोही	4
56	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	चोपन, मडियांव, विन्ध्यांचल, चुनार	मिर्जापुर	8
57	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	ज्ञानपुर	संत रविदास नगर	2
58	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	गुन्डौर, मोहम्मदाबाद	गाजीपुर	4
59	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बदलापुर, मड़ियाहूं, मछलीशहर, शाहगंज	जौनपुर	8
60	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	विराओकोट, चन्दौली, चोलापुर, धानापुर, मिसिरपुर, मुगलसराय, रामनगर, पिंडारा	वाराणसी	16
				532

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

जिला प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति का माह अप्रैल, 2004 का विवरण

तिथि	विद्युत आपूर्ति के घण्टे	टिप्पणी
1-3-2004	13.20	
2-3-2004	11.35	
3-3-2004	11.15	
4-3-2004	12.20	
5-3-2004	11.30	
6-3-2004	11.15	
7-3-2004	11.15	
8-3-2004	14.00	
9-3-2004	14.00	
10-3-2004	14.00	
11-3-2004	14.00	
12-3-2004	10.50	
13-3-2004	12.10	
14-3-2004	14.00	
15-3-2004	14.00	
16-3-2004	12.00	
17-3-2004	12.00	
18-3-2004	9.40	
19-3-2004	8.00	
20-3-2004	2.35	विद्युत लाइन पर पेड़ गिर जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई।
21-3-2004	12.45	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22-3-2004	10.50	
23-3-2004	7.30	
24-3-2004	7.30	
25-3-2004	14.00	
26-3-2004	14.00	
27-3-2004	14.00	
28-3-2004	14.00	
29-3-2004	14.00	
30-3-2004	14.00	
31-3-2004	14.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

जिला प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति का माह अप्रैल, 2004 का विवरण

तिथि	विद्युत आपूर्ति के घण्टे	टिप्पणी
1-4-2004	14.00	
2-4-2004	14.00	
3-4-2004	14.00	
4-4-2004	14.00	
5-4-2004	14.00	
6-4-2004	6.50	पट्टी लाइन ब्रेक डाउन में रहने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही।
7-4-2004	14.00	
8-4-2004	12.35	1.25 घण्टा विद्युत आपूर्ति बाधित रही।
9-4-2004	14.00	
10-4-2004	14.00	
11-4-2004	13.10	1 घंटा ट्रिपिंग होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही।
12-4-2004	14.00	
13-4-2004	13.00	
14-4-2004	11.15	45 मिनट ट्रिपिंग के कारण आपूर्ति बाधित रही।
15-4-2004	13.40	
16-4-2004	13.00	
17-4-2004	14.00	
18-4-2004	14.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

19-4-2004	14.00	
20-4-2004	13.30	
21-4-2004	14.00	
22-4-2004	14.00	
23-4-2004	23.45	प्रणाली नियंत्रण लखनऊ के आदेश से 14 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति की गई।
24-4-2004	23.15	
25-4-2004	13.00	
26-4-2004	22.55	-तदैव-
27-4-2004	5.00	-तदैव-
28-4-2004	14.00	
29-4-2004	13.30	
30-4-2004	20.05	-तदैव-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 237 विधान सभा (442)-3-1-2005-813 डी0टी0पी0।